228

MINUTES OF MEETING

FROM:- 22-11-1999.

original in file No. F2(13)/99-PrC/Pt.p.

- 2 -

Annual Administration Report of the DDA is sent to the Government of India under Section 26 of the DD Act. Government lays this Report on the table of the Parliament during every Winter Session. Report for the year 1998-99 has been prepared and shall be sent to the Government after approval by the Authority. Draft of the Report is at 'Flag-A'. Agenda item for consideration of the Authority is at 'Flag-B'.

Cover of the Report has been finalised by the Principal Commissioner after call of designs by us from the empanelled agencies and is at 'Flag-C'. Printing layout etc., has also been finalised by the Principal Commissioner after seeing various proposals. The Report shall be printed after finalisation of the photographs and diagrams in consultation with the Principal Commissioner and the printers. Annual Administration Report is proposed to be sent to the Ministry by 1st December. Approval to the Report may kindly be accorded by the Authority through circulation.

[V.M. BANSAL]
COMMR.-CUM-SECY
12-11-99

Principal Commissioner

Engineer Member

Finance Member

Vice-Chairman

Chief Planner (TCPO)

Commissioner, MCD

Chairman-Cum-Managing Director, HUDCO

Joint Secretary, MOUD

Shri Mahabal Mishra, MLA

Kanwar Karan Singh, MLA

Puran Chand Yogi, MLA

Km. Devagya Bhargava, Councillor

Shri Prithvi Raj Chand, Councillor.

Lt. Governor, Delhi.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

Item No. 62/99

A-22.11.99

Annual Administration Report of D.D.A. for the year 1998-99.

File No.F2(13)99/P&C/DDA

P R E C I S

Delhi Development Authority is required to submit a report on its activities to the Central Government under Section 26 of the Delhi Development Act, 1957, after the close of the each financial year.

On the basis of the information received from all the heads of the departments, a draft Annual Administration Report on the activities of the DDA, for the financial year 1998-99 has been prepared and is placed before the Authority for approval. (Appendix 'A' pages 2 to 55 - Booklet). Layout and form of presentation will include bar charts, pi diagrams and graphs which shall be added at suitable places to highlight improvement aspects/achievements etc.

R E S O L U T I O N

Resolved that the Annual Administration Report for the year 1998-99 of the DDA be approved and sent to the Ministry of Urban Development.

******

सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण
नई दिल्ली
9/2/2000

उपाध्यक्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण
नई दिल्ली

Item No. 62/99

A-22.11.99

Annual Administration Report of D.D.A. for the year 1998-99.

File No.F2(13)99/P&C/DDA

P R E C I S

Delhi Development Authority is required to submit a report on its activities to the Central Government under Section 26 of the Delhi Development Act, 1957, after the close of the each financial year.

On the basis of the information received from all the heads of the departments, a draft Annual Administration Report on the activities of the DDA, for the financial year 1998-99 has been prepared and is placed before the Authority for approval. (Appendix 'A' pages 2 to 55 - Booklet). Layout and form of presentation will include bar charts, pi diagrams and graphs which shall be added at suitable places to highlight improvement aspects/achievements etc.

R E S O L U T I O N

Resolved that the Annual Administration Report for the year 1998-99 of the DDA be approved and sent to the Ministry of Urban Development.

******

सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण
नई दिल्ली
9/2/2000

उपाध्यक्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण
नई दिल्ली

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
1998-99

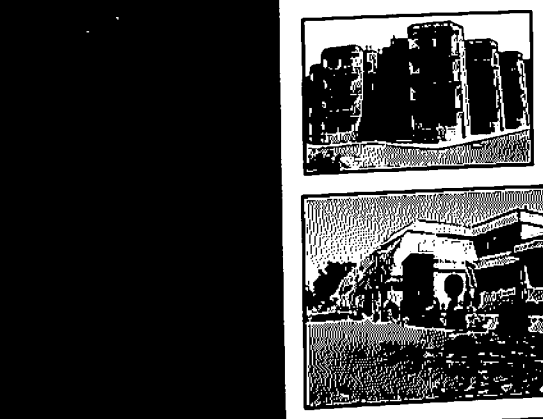

बेहतर कल
के लिए
व्यापक दृष्टिकोण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

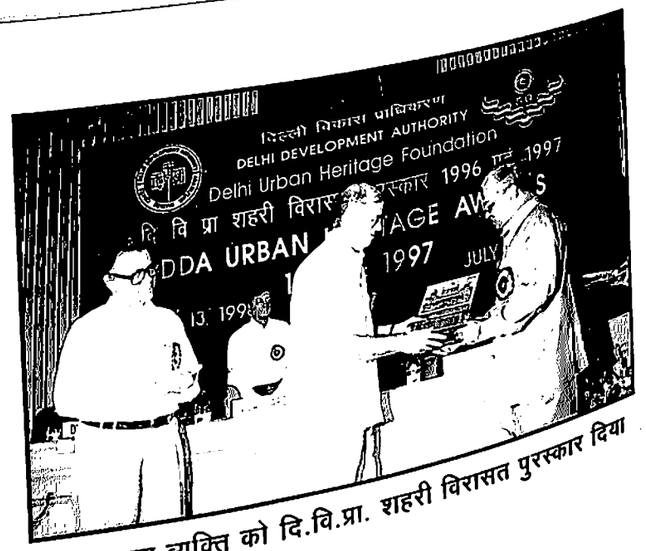

एक पुरस्कृत व्यक्ति को दि.वि.प्रा. शहरी विरासत पुरस्कार दिया जा रहा है।

श्री विजय कपूर, उपराज्यपाल, विकास सदन स्थित स्टाम्प समाहर्ता के कार्यालय का निरीक्षण करते हुए।

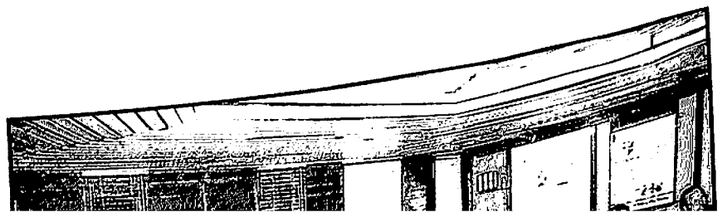

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1998 - 99

	पृष्ठ सं.
[illegible]	1
दिल्ली विकास प्राधिकरण की मुख्य उपलब्धियाँ	3
[illegible]	5
[illegible]	10
[illegible]	12
[illegible]	15
[illegible]	17
[illegible]	29
[illegible]	35
[illegible]	38
[illegible]	43
[illegible]	45
[illegible]	51
[illegible]	55

दिल्ली विकास प्राधिकरण
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

...MENT AUTHORITY
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

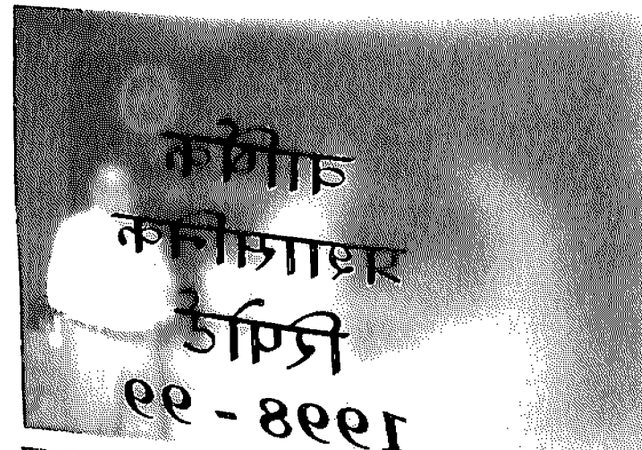

विषय – सूची

अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण – एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	1
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की मुख्य उपलब्धियाँ	3
3.	प्राधिकरण का प्रबंध तंत्र	5
4.	सतर्कता विभाग	10
5.	विधि विभाग	12
6.	प्रणाली एवं प्रशिक्षण	15
7.	इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्यकलाप	17
8.	वास्तुकला एवं योजना	29
9.	आवास	35
10.	भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग	38
11.	कार्मिक विभाग	43
12.	खेल–कूद	45
13.	कोटि नियंत्रण कक्ष	53
14.	वित्त एवं लेखा	55

URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

I. दिल्ली विकास प्राधिकरण – एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1.1 समस्त महानगरों की भांति दिल्ली की नींव भी यहां रहने वाले नागरिकों और आने वाले यात्रियों के स्वप्नों, आकाक्षांओं एवं कल्पना से निरन्तर सुदृढ़ होती रही हैं। कोई भी नगर अपने भव्य भवनों, प्रशस्त प्रासादों एवं स्मारकों का सम्बल लेकर समय को चुनौती नहीं दे पाया हैं। वास्तविकता तो यह है कि एक नगर का जीवन उसकी इमारतों, सड़कों एवं उद्यानों में नहीं बसता है, बल्कि वह उसके नागरिकों से प्राणवन्त होता है, जो वहां के वासी हैं, जिनका वह नगर भरण–पोषण करता है और आश्रय प्रदान करता है। आगतों एवं विस्थापितों, जड़ एवं चेतना तथा देशी–विदेशी आदान–प्रदान से एक नगर को समय के गलियारों से गुजरने की शक्ति एवं गति मिलती है।

1.2 दिल्ली ने यह सब ईसा से हज़ार वर्ष पूर्व महाभारत काल से घटित होते देखा है। पांडवों ने यहां इन्द्रप्रस्थ के रूप में अपनी नूतन राजधानी का निर्माण कर इस महानगर के बीज़ बोए थे, जो समय के साथ विभिन्न दृष्टाओं का योगदान पाकर विकसित हो गया था। आज दिल्ली भव्य, विशाल, चमत्कारी कहलाती है।

1.3 तोमरों के लालकोट, अलाउद्दीन खिलजी के सिरी, गयासुद्दीन तुगलक के तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के जहांपनाह, फिरोज़शाह से लेकर लूटियन की दिल्ली तक का काल दिल्ली के लिए विभिन्न संस्कृतियों एवं संस्कारों को आत्मसात करने का समय रहा है, जिससे इसकी विशिष्ट पहचान में वृद्धि हुई है।

1.4 नई सहस्त्राब्दि में प्रवेश करते समय यदि विगत पर दृष्टिपात करें तो दिल्ली 1911 में पुनः प्रशासन का केन्द्र बनी दिखाई देती है, जब राष्ट्र की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। यद्यपि प्रारम्भ में इसे उत्तरी रिज के उत्तर में स्थापित करने का विचार था किन्तु यह रायसीना पहाड़ियों के निकट स्थापित की गई। 1912 में एडवर्ड लुटियन एवं फ्लेबर्ट बेकर ने भारत की राजधानी की ऐसी योजना बनाई कि आज भी उसे लुटियन की दिल्ली कहा जाता है। उनके द्वारा घोड़े की नाल की तरह नियोजित व्यापारिक केन्द्र आज कनाट प्लेस की महिमा से मंडित है।

1.5 रिकार्ड रखने के लिए दिल्ली समाहर्तालय में लगभग दस–बारह कर्मचारियों का एक "नजूल" कार्यालय स्थापित किया गया। इसे संयुक्त प्रदेश शहरी सुधार अधिनियम–1911 के अंतर्गत बढ़ाकर एक सुधार न्यास का रूप दिया गया। 1937 में इस न्यास में 50 कर्मचारी कार्यरत थे, जो भवन कार्यकलाप एवं भूमि उपयोग का विनियमन करते थे।

1.6 1947 तक दिल्ली की जनसंख्या 7 लाख थी तथा बस्तियाँ भी व्यवस्थित थीं। देश के बंटवारे ने दिल्ली में शरणार्थियों की भीड़ लगा दी। उसकी जनसंख्या विशाल हो गई। सन् 1951 में दिल्ली में 17 लाख भारतीय रहते थे। अर्थात् मात्र चार वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या 24 प्रतिशत बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में बस्तियाँ ही बस्तियाँ हो गई तथा शहर के स्मारक एवं उद्यान अस्थायी शिविर बन

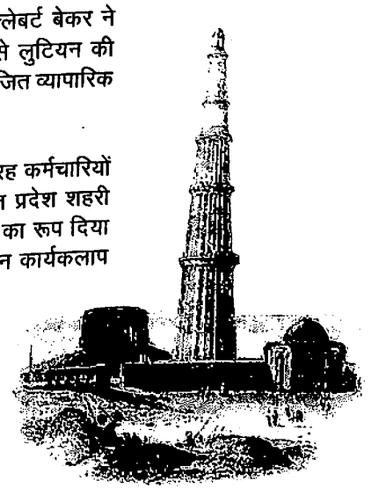

"विलियम डेनियल के पश्चात् की गई नक्काशी" (एच. कोन्टर एवं डब्ल्यू. डेनियल, द ओरियन्टल एन्युअल, 1834)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

डी.डी.ए. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 30 दिसम्बर, 1957 को अस्तित्व में आया।

गए। इस अव्यवस्थित स्थिति ने रिहाइशी जगह की भारी किल्लत पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप कालोनियों का अव्यवस्थित निर्माण होने लगा, आवासों का अभाव होने लगा तथा गंदी बस्तियां (स्लम) पनपने लगीं।

1.7 दिल्ली की योजना बनाने और तीव्र गति से अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने 1950 में श्री जी.डी. बिरला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

1.8 इस समिति ने दिल्ली के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एकल योजना एवं नियंत्रण प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप; दिल्ली (भवन निर्माण–कार्य नियंत्रण) अध्यादेश 1955 (जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 द्वारा बदला गया) लागू करके दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण गठित किया गया। इसका मूल उद्देश्य, दिल्ली का एक योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करना था। दिनांक 30 दिसम्बर, 1957 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपना वर्तमान नाम प्राप्त किया।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, दिल्ली का प्रशासक डी.डी.ए. का अध्यक्ष होता है और मुख्य कार्यपालक इसका उपाध्यक्ष होता है।

1.9 इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली के प्रशासक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यपालक अर्थात् उपाध्यक्ष एवं वित्त विभाग और इंजीनियरी विभागों के प्रमुख इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। बजट बनाने एवं लेखाकरण के उद्देश्य से प्राधिकरण के खाते वित्त विभाग के चार वर्गों में रखें जाते हैं, अर्थात नजूल–1, नजूल–2, नजूल–3 एवं सामान्य विकास। इंजीनियरी पक्ष में डिजाइन, निर्माण, आधारिक विकास एवं संबंधित मामलों का सम्पूर्ण कार्य अभियंता सदस्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

1.10 सन् 1989 में कार्मिक विभाग, भारत सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के पद को भारत सरकार के अपर सचिव के पद के अनुरूप बढ़ाने के परिणामस्वरूप, कार्मिक विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत के संयुक्त सचिव के पद के स्तर पर सन् 1991 में आदेश सं. के–11011/12/91–डीडी। ए(पार्ट) द्वारा प्रधान आयुक्त के एक पृथक पद का सृजन किया गया था।

भारत सरकार की बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण की नीति के अंतर्गत 62707.08 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) के अंतर्गत 59542.78 एकड़ भूमि डी.डी.ए. के निपटान पर रखी गई है।

1.11 प्रधान आयुक्त के समग्र कार्यभार के अंतर्गत भूमि प्रबंध, प्रणाली एवं प्रशिक्षण, आवास, भूमि निपटान, कार्मिक, समन्वय विभाग, सचिव, दि.वि.प्रा. से संबधित कार्य सौपे गये हैं। इसके अतिरिक्त, वे सार्वजनिक सुनवाई एवं जन शिकायत निवारण प्रणाली के प्रमुख कार्य प्रभारी भी हैं।

1.12 1961 में, भारत सरकार ने भूमि के व्यापक पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान के लिए दिशा–निर्देश सिद्धांत निर्धारित करते हुए दिल्ली की शहरी भूमि नीति तैयार की। इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिग्रहण हेतु भूमि को अधिसूचित किया गया और 31.3.99 तक 62707.08 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई, जिसमें से 59542.78 एकड़ भूमि दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास के उद्देश्य से, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22 (1) के अंतर्गत दि.वि.प्रा. को निपटान हेतु सौपी गई।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण की मुख्य उपलब्धियां

2.1 दि. वि. प्रा. ने दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए 1962 में एक मुख्य योजना बनाई थी, जिसमें व्यापक संशोधन किया गया और वर्ष 1990 में 2001 के परिप्रेक्ष्य वाली एक व्यापक मुख्य योजना लागू की गई। इस योजना की समीक्षा की जा रही है और नई योजना को तैयार करने में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठियां आयोजित की गई तथा मुख्य योजना–2021 तैयार करने के लिए इन गोष्ठियों में प्राप्त निष्कर्ष उपयोग में लाए जा रहे हैं।

वर्ष 1998-99, 1997-98 के दौरान किये गये 2992 आबंटनों की तुलना में 11033 आबंटन किये गये। पिछले वर्ष 462.51 करोड़ रू. राजस्व से प्राप्ति की तुलना में 526.47 करोड़ रू. प्राप्त हुए।

2.2 31 मार्च, 1999 तक कुल 2,93,626 फ्लैट आबंटित किए गए (इनमें वे फ्लैट भी शामिल हैं, जो रद्द किए जाने एवं वापस किए जाने के बाद पुनः आबंटित किए गए हैं)। कुल 23 आवास योजनाएं प्रारम्भ की गई थी, जिनमें से केवल तीन योजनाएं ही 31 मार्च, 1999 तक चालू थी। 1998–99 में कुल 11033 आबंटन किए गए, जबकि वर्ष 1997–98 के दौरान 2992 आबंटन किए गए थे। आवास से कुल प्राप्ति पिछले वर्ष के 462.51 करोड़ रू. की तुलना में इस वर्ष 526.47 करोड़ रू. थी। नई पद्धति आवास योजना, 1979, अम्बेडकर आवास योजना, 1989 और जनता आवास पंजीकरण योजना, 1996 के बकाया पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 31.3.99 को 47667 थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत 31.3.99 तक 16005 आबंटितियों ने राहत पाने के लिए आवेदन किया।

2.3 एम्नेस्टी स्कीम 1998, अगस्त 1999 तक बढ़ाई गई, जिस में जनता ने काफी रूचि ली है और 31.3.99 तक कुल 16005 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इस योजना के अंतर्गत जुर्माने की राशि में अधिकतम राहत 75 प्रतिशत तक दी गई।

2.4 जनता की आवास विभाग से संबधित शिकायतों को दूर करने के लिए 28.1.99 और 11.2.99 को दो लोक शिविर आयोजित किए गए। कुल 576 आबंटिती अपनी शिकायतें लेकर आए और इनमें से 238 मामले स्थल पर ही निपटाए गए।

दिनांक 28.01.99 और 11.2.99 को दो लोक शिविरों का आयोजन किया गया।

2.5 दि.वि.प्रा. ने आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक, औद्योगिक एवं मनोरंजनात्मक उद्देश्य के लिए अब तक 59,542.78 एकड़ भूमि का विकास किया है। 31 मार्च 1999 तक दि.वि.प्रा. ने कुल 420 सुविधा बाजारों, 116 स्थानीय बाजारों, 24 समाज सदनों और 6 जिला केन्द्रों का निर्माण पूरा किया है। वर्ष के दौरान 7 सुविधा बाजारों, 7 स्थानीय बाजारों, 6 समाज सदनों और 7 जिला केन्द्रों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों पर था और इन कार्यों में पर्याप्त तेजी आई है। वर्ष के दौरान कुल 48 औद्योगिक प्लॉट और 82 सांस्थानिक प्लॉट आबंटित किए गए।

2.6 दि.वि.प्रा. ने नीलामी/आबंटन द्वारा 1103 व्यावसायिक प्लॉटों (पी.वी.सी. डीलरों को आबंटित किए गए 1043 प्लाटों सहित) का निपटान किया है और नीलामी/निविदा/आबंटन द्वारा कुल 809 दुकानों/निर्मित इकाइयों का भी निपटान किया गया है, जिनसे क्रमशः 119.17 करोड रू. और 45.29 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है। ऐसे प्रयास भविष्य में जारी रखनें का प्रस्ताव है ताकि खाली पड़ी सभी व्यावसायिक सम्पत्तियों का निपटान किया जा सके और निवासियों

... OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

द्वारा अपने निवासों में व्यावसायिक संस्थापनाएं अनाधिकृत रूप से चलाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके।

2.7 वर्ष के दौरान भूमि सुधार में भी प्रगति आई है और कुल 281 अवैध निर्माण गिराए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2912 ढांचों को हटाकर 195 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की गई।

कुल 281 अवैध निर्माण गिराए गये जिसके परिणामस्वरूप लगभग 195 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की गई।

2.8 दि.वि.प्रा. ने अब तक 16000 एकड़ हरित भूमि का विकास नगर वनों, हरित पट्टियों, जिला पार्कों, निकटवर्ती पार्कों, लघु क्षेत्रों आदि के रूप में किया हैं।

2.9 दिल्ली मुख्य योजना के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के विभिन्न भागों में विभिन्न व्यायाम केन्द्र (फिटनेस ट्रेल्स) आदि के अतिरिक्त अब तक 8 खेल परिसरों, 4 मल्टीजिमों, खेल के 26 मैदानों का निर्माण/विकास किया है। पाँच और खेल–परिसरों, 4 मल्टीजिमों और खेल के 10 अतिरिक्त मैदानों का कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

2.10 वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. की, दिल्ली सरकार के निक्षेप–कार्य के रूप में 7 ऊपरी पुलों का निमार्ण कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

ये सात ऊपरीपुल निम्नलिखित स्थानों पर होगें:

1. वजीराबाद रोड – मार्ग सं. – 66।
2. विकास मार्ग – मार्ग सं. – 57।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग–24–नोएडा चौराहा।
4. जेल रोड/मायापुरी रोड चौराहा।
5. रिंग रोड, मार्ग सं. – 41।
6. नेल्सन मंडेला मार्ग – महरौली–महिपालपुर मार्ग।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग–2, मार्ग सं.–13ए।

आशा है कि कुछ ऊपरी पुलों का निर्माण जून–जुलाई, 2000 तक पूरा हो जाएगा।

सतर्कता प्रबंध कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर श्री भूरे लाल, सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने दीपक ज्योति प्रज्वलित की।

दिल्ली को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए, दूसरे चरण में दि.वि.प्रा. द्वारा 6 फ्लाई ओवरों/रोड ओवर ब्रिज का कार्य प्रारंभ किए जाने की आशा हैं।

2.11 दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मिकों की कार्यक्षमता में निरन्तर सुधार करने और उनके कार्य में उन्हें अत्यधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग के अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन श्री भूरे लाल, सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने किया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आमंत्रित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता श्री विट्ठल, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार द्वारा की गई।

3. प्राधिकरण का प्रबंध तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ऐसा निगमित निकाय है, जिसे सम्पति का अधिग्रहण करने, उसे रखने और उसका निपटान करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार एवं कॉमन सील प्राप्त है। यह मुकदमा दायर कर सकता है और इस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था।

भारतिय प्रशासनिक सेवा के 1961 के बैच के अधिकारी तथा प्रख्यात प्रशासक श्री विजय कपूर, आई.ए.एस. ने दिनांक 20 अप्रैल, 1998 को दिल्ली के उपराज्यपाल तथा दि.वि.प्रा. के अध्यक्ष के रुप में कार्य भार ग्रहण किया। उन्होंने इससे पूर्व छह वर्ष से ऊपर तक एशिया एवं प्रशांत के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र में कार्य किया। वे अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली तथा जम्मू–कश्मीर के मुख्य सचिव भी रहे। वे दि.वि.प्रा. के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने से पहले रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के रुप में सेवा–निवृत हुए।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 1.4.98 से 31.3.99 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन इस प्रकार था:–

अध्यक्ष:	
श्री विजय कपूर	20.4.98 से 31.3.99 तक
उपाध्यक्ष	
श्री पी.के.घोष	1.4.98 से 31.3.99 तक
पूर्ण कालिक सदस्य	
1. श्री के.पी.लक्ष्मण राव, वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	1.4.98 से 31.3.99 तक
2. श्री आर.के.भंडारी, अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	1.4.98 से 31.3.99 तक
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत	
1. श्री एस.बनर्जी, संयुक्त सचिव	29.5.98 से 31.3.99 तक
2. श्री वी.सुरेश, अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक, हडको	1.4.98 से 31.3.99 तक
3. श्री डी.एस.मेशराम मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ	1.4.98 से 31.3.99 तक
पदेन	
1. श्री वी.के.दुग्गल, आयुक्त, दि.न.नि.	1.4.98 से 23.11.98 तक
गैर–सरकारी सदस्य	
1. श्री साहिब सिंह चौहान, विधायक	1.4.98 से 23.11.98 तक
2. श्री स्वरूप चंद राजन, विधायक	1.4.98 से 23.11.98 तक
3. श्री रामवीर सिंह विधूडी, विधायक	1.4.98 से 31.3.99 तक.
4. कुमारी देवाज्ञा भार्गव, पार्षद, दि.न.नि.	1.4.98 से 23.11.98 तक
5. श्री महाबल मिश्र, पार्षद, दि.न.नि.	

प्राधिकरण की वर्ष में 6 बैठकें हुई और कुल 71 मदों पर विचार किया गया।

विकास सदन मे स्वागत कक्ष का निरिक्षण करते हुए श्री विजय कपूर, उप राज्यपाल, दिल्ली और दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारी

दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हुए उप राज्यपाल

3.2 सलाहकार परिषद

यह दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत गठित निकाय है, जिसका उद्देश्य मुख्य योजना तैयार करने तथा योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से संबद्ध या उसके संबंध में उठने वाले मामलों में – जो भी प्राधिकरण इसे भेजे, प्राधिकरण को सलाह देना है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन इस प्रकार था:–

1. अध्यक्ष — श्री विजय कपूर 20.4.98 से 31.3.99 तक
2. लोक सभा सदस्य
   1. श्री लाल बिहारी तिवारी 8.6.98 से 31.3.1999 तक
   2. श्री ममती मीरा कुमार 8.6.98 से 31.3.99 तक
3. राज्य सभा सदस्य
   1. श्री भुवनेश चतुर्वेदी 1.4.98 से 31.3.99 तक
   2. श्री पी.के.घोष 1.4.98 से 31.3.99 तक
4. उपाध्यक्ष
5. सदस्य
   1. श्री तिलक राज अग्रवाल, पार्षद, दि.न.नि. 1.4.98 से 31.3.99 तक
   2. श्री दुष्यंत कुमार गौतम, पार्षद, दि.न.नि. 1.4.98 से 31.3.99 तक
   3. श्री अजित सिंह, पार्षद, दि.न.नि. 1.4.98 से 31.3.99 तक
   4. श्रीमती लीला बिष्ट, पार्षद, दि.न.नि. 1.4.98 से 31.3.99 तक
   5. अध्यक्ष, दि.प.नि.
   6. अध्यक्ष, डी.ई.ए.
   7. महानिदेशक (रक्षा संपदा), रक्षा मंत्रालय
   8. महानिदेशक (सड़क) एवं अपर सचिव, परिवहन मंत्रालय
   9. मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.
   10. जी.एम.पी.एम. (एन) म.न.टे.नि.लि.
   11. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, दि.न.नि.
   12. श्री जे.पी.गोयल
   13. श्री चत्तर सिंह
   14. श्री सुनील देव।

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (ड.) के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली जल–आपूर्ति एवं मल–जल व्ययन संस्थान एवं दिल्ली विद्युत बोर्ड समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्तियों का उक्त समितियां चयन नहीं कर सकीं।

3.3 केन्द्र सरकार के निर्देश

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 41 के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश और उन पर की गई कार्रवाई का भी रिकार्ड रखा गया।

आवास विभाग का निरीक्षण करते हुए श्री विजय कपूर, उप राज्यपाल, दाएं आयुक्त और आयुक्त (आवास) के साथ।

3.4 स्टाफ क्वार्टर

स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा दिल्ली एवं नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में फैली 35 कालोनियों में 1613 स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन का कार्य देखती है। स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन शहरी विकास मंत्रालय एवं सम्पदा निदेशालय के विनियमों के अनुसार किया जाता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिवि.प्रा. के कर्मचारियों से 765 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए। वरिष्ठता के आधार पर 197 स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए। चिकित्सा समस्याओं, अनुकम्पा, कार्य–अपेक्षाओं एवं महिला कोटे के अंतर्गत बिना बारी आधार पर 16 स्टाफ क्वार्टर शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आबंटित किए गए। 33 मामलों में स्टाफ क्वार्टर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में देने के अनुरोधों को अनुमति दी गई। नए आबंटन में टाइप–1 के 77 फ्लैट, टाइप–2 के 55 फ्लैट, टाइप–3 के 55 फ्लैट, टाइप–4 के 7 फ्लैट और टाइप–5 के 3 फ्लैट आबंटित किए गए।

3.5 नजारत शाखा

नजारत शाखा सामान्य प्रशासन एवं प्रबंध कार्य करती है और लेखन–मदों फर्नीचर, कार्यालय उपकरणों की खरीद, वर्दी जारी करने, फैक्स मशीनों, मैनुअल, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के रखरखाव, तथा पैट्रोल/डीजल की खपत पर निगरानी रखने सहित दि.वि.प्रा. के स्टाफ–वाहनों के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है।

उक्त कार्यों के अतिरिक्त, नजारत शाखा ने दि.वि.प्रा. के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर की मदें देने के मानदंड निर्धारित किए।

बी ब्लॉक, भूतल, विकास सदन में 4 फोटोकोपियर लगाए गए और दि.वि.प्रा. न्यायालय मामलों से संबंधित लगभग 4 लाख दस्तावेजों की फोटोप्रतियां की गई, ताकि पैनल वकीलों के लिए समानांतर फाइलें तैयार की जा सकें।

अवैध निर्माण गिराने वाले एवं प्रवर्तन के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मोबाइल/सेलुलर फोन खरीदे गए ताकि शीघ्र कार्यालय कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

3.6 प्रिंटिंग प्रेस

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मुद्रण के 366 कार्य प्राप्त हुए और सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लिया गया। इस उद्देश्य के लिए लगभग 1.80 करोड़ मुद्रण–पत्र (इम्प्रेशन) पूरे किए गए। मुद्रित लेखन–मदें जैसे विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, नोट–शीट, ड्राफ्ट शीट, सेवा–पुस्तिकाएं, जी.पी.एफ.पास बुक, फार्म, विवरणिकाएं आदि तैयार की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. प्रेस में कलर प्रिंटिंग को मजबूती दी गई और दि.वि.प्रा. प्रेस में पहली बार दि.वि.प्रा. पत्रिका "दिल्ली विकास वार्ता" छापी गई, जो बहुरंग मुद्रण कार्य है। दि.वि.प्रा. की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ भी विभाग में ही छापे गए। एम्निस्टी योजना पुस्तिका की 29,000 प्रतियों और अंतरण पुस्तिका की 20,000 प्रतियों का मुद्रण भी किया गया। यह भी बहुरंग कार्य था। उक्त सम्पूर्ण कार्य तत्काल किया गया।

यह प्रमाण करता है दि.वि.प्रा. विभाग में ही हर तरह का मुद्रण कार्य करने में सक्षम है।

प्रेस के आधुनिकीकरण के लिये तत्काल मुद्रण करने की एक मशीन लगाई गई, जिससे मुद्रण–क्षमता में और वृद्धि हुई है।

3.7 हिन्दी विभाग

हिन्दी विभाग का मुख्य कार्य दि.वि.प्रा. में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करना है। तद्नुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई और हिन्दी के प्रयोग संबंधी समस्याओं एवं निवारक उपायों सहित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर विचार किया गया। 6 निरीक्षण किए गए और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया।

13 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण में कुल 163 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टंकण के लिए क्रमशः 14 आशुलिपिकों और 72 निम्न श्रेणी लिपिकों को नामित किया गया। सितम्बर, 1998 में "हिन्दी पखवाड़ा" के अवसर पर नए प्रोत्साहन प्रारंभ किए गए और 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 9 कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए।

3.8 जन–सम्पर्क विभाग

दि.वि.प्रा. के जन–सम्पर्क विभाग को प्रचार के माध्यम से संगठन की छवि निर्माण और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इस के अन्य मुख्य कार्यों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें निर्धारित करना, विज्ञापन एजेंसियों को नामिका में रखना, विभागीय तिमाही पत्रिका, प्रचार साहित्य, दिशानिर्देश पुस्तिकाएं, स्मारिका आदि प्रकाशित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों के आयोजन, विभिन्न समारोहों की कवरेज, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने, समाचार पत्रों एवं जन–शिकायत विभाग, भारत सरकार से प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने, खण्डन पत्र जारी करने, शिष्टमंडलों के स्वागत तथा प्रेस–दौरों के संयोजन आदि के लिए भी जिम्मेदार है। 1.4.98 से 31.3.99 की अवधि के दौरान किए गए विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं:

- विभिन्न कार्यों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली 98 प्रेस विज्ञप्तियों (अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में) जारी की गई। ये प्रेस विज्ञप्तियां समाचार पत्रों एवं दृश्य/श्रव्य माध्यम दोनों को दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एक प्रेस सम्मेलन तथा समाचार–कार्मिकों के लिए दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों के एक दौरे का भी आयोजन किया गया।
- दिल्ली विकास वार्ता के अप्रैल–जून–98 के अंक की 3000 प्रतियां प्रकाशित एवं वितरित की गई।
- व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए 99 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।
- सम्पादकों को 31 पत्र जारी किए गए।

- विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशत के लिए 133 से अधिक विज्ञापन हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किए गए।

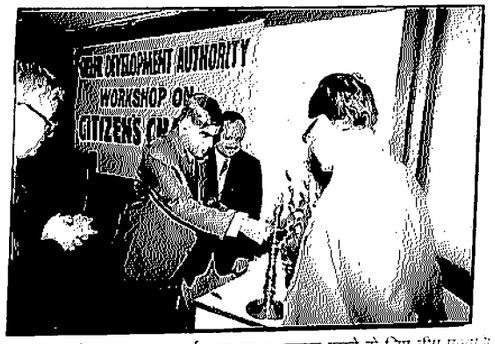

नागरिक घोषणा पत्र पर कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए दीप प्रज्वलित करते हुए श्री एन.पी. सिंह, सचिव, जन शिकायत विभाग।

दि.वि.प्रा. पुस्तकालय जन–सम्पर्क विभाग के अधीन कार्य करता है। यह दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों एवं उनके बच्चों की पठन एवं संदर्भ आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं पर संदर्भ भंडार के रूप में कार्य करता है। भोजन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को वीड़ियो फिल्में दिखाई जाती हैं। बाल पुस्तकों के लिए इसमें एक अलग अनुभाग है। कर्मचारियों द्वारा उसके उपयोग को और कारगर बनाने के लिए पुस्तकालय का सुधार किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालय में 785 नई पुस्तकें मंगाई गई और इसमें कुल 16250 पुस्तकों का संग्रह हो गया है। पुस्तकालय 46 समाचार–पत्र एवं 55 पत्रिकाएं मंगाता है।

नागरिक अधिकार पत्र में निर्दिष्ट समय कार्यक्रम का अनुपालन नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर निगरानी रखी गई। रिपोर्टाधीन अवधि में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 12 को निपटाया गया।

नागरिक अधिकार–पत्र में दिए गए समय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक प्रश्नावली बनाई गई। स्वागत काउंटर, विकास सदन में एक बॉक्स रखा गया, जहां व्यक्ति अपने विशेष मामले में समय–कार्यक्रम की कमियों का सहायक फार्म में उल्लेख करके इन फार्मों को बॉक्स में डाल सकते हैं।

जन शिकायत विभाग, मंत्रि–मंडल सचिवालय, भारत सरकार के माध्यम से 67 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 50 शिकायतें निपटा ली गई। इन शिकायतों पर विचार–विमर्श करने के लिए सचिव, जन–शिकायत विभाग ने दो बैठकें बुलाई।

आवास विभाग का निरीक्षण करते हुए श्री एन.पी. सिंह, सचिव, जन शिकायत विभाग।

कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए श्री [illegible]

4. सतर्कता विभाग।

कुल 59 आरोप-पत्र जारी किए गए और 74 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया गया।

105 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के दंड दिए गए।

5 वर्ष से पुराने मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

796 सामान्य शिकायतों को निपटाया गया और 179 प्राथमिक जांच-पड़ताल के मामलों को अंतिम रूप दिया गया।

4.1 दि.वि.प्रा. की सर्तकता विभाग का नेतृत्व मुख्य सर्तकता अधिकारी करते हैं। तकनीकी एवं गैर तकनीकी मामलों की जांच करने और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए इनकी सहायता गैर–तकनीकी क्षेत्र में एक निदेशक, तीन उप निदेशक, सात सहायक निदेशक, एक लेखाधिकारी, एक सहायक लेखा अधिकारी, एक अधीक्षक और एक कनिष्ठ विधि–अधिकारी करते हैं, जबकि तकनीकी क्षेत्र में दो अधीक्षण अभियंता (अधीक्षण अभियंता का एक पद रिक्त है), नौ अधिशासी अभियंता, नौ सहायक अभियंता इनकी सहायता करते हैं। तकनीकी प्रकृति के मामलों में इंजीनियरी एवं उद्यान विभाग शामिल हैं। वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग की विभागीय जांच के लिये आयुक्तों ने विभागीय जांच की, चार वरिष्ठ सेवानिवृत अधिकारी संविदा आधार पर जांच अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। एक अधीक्षक अभियंता भी पूर्णकालिक अधीक्षक अभियंता (सर्तकता) जांच के रूप में कार्यरत है।

4.2 सतर्कता विभाग समय–समय पर कार्मिक विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार भ्रष्टाचार निवारक उपयों के कार्यान्वयन एवं सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार निवारक उपायों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनकी कार्य–योजना में बनाई गई तीन आयामी नीति अर्थात रोकथाम, निगरानी एवं खोज तथा निवारक दंडात्मक कार्रवाई का सख्ती से पालन किया जा रहा है। निवारक सतर्कता पर और अधिक बल दिया जा रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के साथ नियमित सम्पर्क रखा जाता है। कोई दोष, विभाग प्रमुख के ध्यान में आने पर उसे ठीक किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो पद्धति सरल एवं कारगर बनाई जाती है।

4.3 वर्ष 1998–99 के दौरान (31 मार्च, 1999 तक) दण्डात्मक मामलों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (वेतन, भत्ते एवं सेवा–शर्त) विनियम, 1961 के विनियम 16 एवं 17 के अर्न्तगत 59 आरोप पत्र जारी किए गए हैं। 74 अधिकारियों / कर्मचारियों को निलंबित रखा गया। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के 105 अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभिन्न प्रकार के दण्ड लगाए गए। इनके विवरण इस प्रकार हैं:–

(क) निंदा	26
(ख) वसूली	2
(ग) वेतन वृद्धि रोकना	72
(घ) निम्न पद पर भेजना	4
(ङ) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति	–
(च) पद से हटाना/सेवा समाप्त करना/पदच्युत करना	1
	105

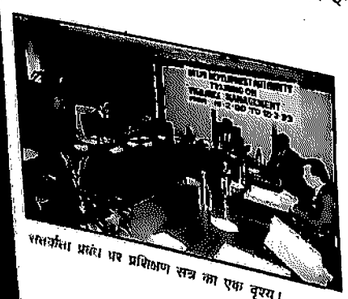

सतर्कता प्रबंध पर प्रशिक्षण सत्र का एक दृश्य।

4.4 रंगे हाथ पकड़ने के मामले

4.4.1 दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रा.रा.क्षे. सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा से सम्पर्क रखता है। इन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चार कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा और सतर्कता विभाग ने उन्हें निलंबित किया।

4.4.2 जाली बैंक चालानों के आधार पर कब्जा पत्र जारी करने के लिए फ्लैटों के पंजीकृत व्यक्तियों को गुप्त रूप सं सहयोग दिए जाने के कारण आवास लेखा विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई।

4.4.3 प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधी शाखा एवं दिल्ली पुलिस में दो मामले पंजीकृत कराए गए। इस अवधि के दौरान 796 सामान्य शिकायतें निपटाई गई। प्राथमिक जांच के 179 मामले समुचित निष्कर्ष के लिये लाए गए। दि.वि.प्रा. के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में कुल 2615 सतर्कता निपटान रिपोर्टें जारी की गई।

'सतर्कता प्रबंध' पर प्रशिक्षण में भाग लेने वालों के साथ उपाध्यक्ष और दि.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

4.4.4 वसंत कुंज क्षेत्र में कुछ अनाबंटित फ्लैटों की जांच की गई और जांच के दौरान पाया गया कि दो अनाबंटित फ्लैटों पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा था। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

4.4.5 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस प्रकार के मामलों में कुछ हद तक कमी आई।

4.4.6 सतर्कता जांच के वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जो अब तक नहीं किए गए थे।

4.4.7 आठ जांच अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देकर सतर्कता टीम को मजबूत किया गया है।

4.4.8 प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सम्पत्ति के विवरणों की अनुवीक्षा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

सतर्कता विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4.4.9 जांच के स्तर में सुधार लाने के साथ–साथ सतर्कता मामलों के समुचित प्रबन्ध के लिए सतर्कता विभाग के अधिकारियों के लिए, दिनांक 16.2.99 से 18.2.99 तक एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4.4.10 प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन श्री भूरे लाल, सचिव, केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा किया गया और उसकी अध्यक्षता श्री ए.रामास्वामी, आई.ए.एस., प्रधान आयुक्त द्वारा की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से विषय के विशेषज्ञ बुलाए गए। सतर्कता विभाग में कार्यरत अधिकारियों को न्यायालय मामलों सहित सतर्कता मामलों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन और अद्यतन जानकारी दी गई। दिनांक 18.2.99 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में भारत सरकार के मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन.विट्ठल मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा प्रधान आयुक्त ने भी अपने विचार प्रकट किये।

5. विधि विभाग

5.1 प्राधिकरण द्वारा अथवा इसके विरूद्ध होने वाले सम्पूर्ण विधिक कार्य की देखभाल प्राधिकरण के विधि विभाग द्वारा की जाती है। दि.वि.प्रा. की विभिन्न शाखाओं के विभागाध्यक्षों द्वारा इस विभाग को भेजे जाने वाले मामलों में यह कानूनी सलाह देता है।

प्राधिकरण के लिए और इसके विरूद्ध अदालती मामलों हेतु यह विभाग अधिवक्ताओं की सेवाएं लेता है। इस समय उच्च न्यायालय के पैनल में 18 अधिवक्ता और जिला न्यायालयों हेतु पैनल में 25 अधिवक्ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अदालती मामले न्यायालयों में प्रभावी रूप से रखे जाते हैं और बचाव किया जाता है, वित्त सदस्य का अनुमोदन लेकर महत्वपूर्ण मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता/विशेष सलाहकार भी रखे जाते हैं। महत्वपूर्ण अदालती मामलों को चलाने के लिए एक वरिष्ठ स्थायी सलाहकार/2 अतिरिक्त वरिष्ठ स्थायी सलाहकार और तीन स्थायी सलाहकार भी रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के मामलों को चलाने के लिए रिकार्ड में 3 अधिवक्ता हैं।

5.2 वर्ष 1998–99 के दौरान दि.वि.प्रा. ने महत्वपूर्ण मुकदमें जीते। इनमें कुछ मामले नीचे दिए जा रहे हैं :–

5.2.1 **प्रकाश चन्द्र मलिक बनाम डी.डी.ए.**

श्री प्रकाश चन्द्र मलिक को आट्रम लाइन, दिल्ली में एक प्लाट सं., 1444 का आबंटन किया गया था। उन्होंने अपने साथ की 133 वर्ग गज अतिरिक्त भूमि (प्लाट सं. 1444/1) के रियायती दरों पर आबंटन के लिए एक मुकदमा दायर किया। उक्त प्लाट सं 1444/1, आट्रम लाइन की नीलामी दि.वि.प्रा. द्वारा की जानी थी। तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उक्त प्लाट की नीलामी के लिए स्थगनादेश देने से मना कर दिया। इस प्रकार उक्त प्लाट की नीलामी दि.वि.प्रा. द्वारा की गई और इससे विभाग को 26,27,000/– की राशि प्राप्त हुई।

5.2.2 **श्रीमती अमृत कौर बनाम श्रीमती परमजीत कौर और अन्य (आर.एफ.ए.सं. 817/85)**

श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्लाट सं. 51, वसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली, एक नीलामी में खरीदा गया और नीलामी की शर्तों के अनुसार बोली की राशि का 25 प्रतिशत जमा करा दिया गया और शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह की दिनांक 1.7.73 को मृत्यु हो गई। बोली–दाता के पिता श्री सूरत सिंह ने घोषणा (डिक्लेरेशन) के लिए एक मुकदमा दायर किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह एक बेनामी धारक था। श्री सूरत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा श्रीमती अमृत कौर रिकार्ड में आई। ट्राइल कोर्ट द्वारा घोषणा (डिक्लेरेशन) के लिए मुकदमें को खारिज कर दिया और उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई। प्रतिवादी सं. 1 ने मुख्तारनामें के माध्यम से मैसर्स वैनटेज कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के श्री हरिन्दरपाल सिंह को प्लॉट वेच दिया, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 1992 में आबंटन रदद कर दिया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह की विधवा प्रतिवादी सं. 1 ने उपर्युक्त एप्रोल में सी.एम. दर्ज की जिसमें प्रतिवादी सं. 2, दि.वि.प्रा. द्वारा विचाराधीन प्लाट की पुनर्नीलामी.

एक प्रशिक्षण कार्यशाला के भागीदारों को सम्बोधित करते हुए प्रधान आयुक्त, दि.वि.प्रा.।

हस्तान्तरण अथवा अन्तरण करने से रोकने का अनुरोध किया गया। अपर वरिष्ठ स्थायी काउन्सिल द्वारा मुकदमा लड़ा गया। तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने सी.एम. को खारिज कर दिया। अपील के निष्क्रिय होने के पश्चात दि.वि.प्रा. ने दिनांक 24.8.98 को उक्त प्लाट की पुनर्नीलामी 3.65 करोड़ रू. पर की।

5.2.3 **डी.डी.ए. बनाम श्री कीमती लाल बब्बर एवं अन्य (सिविल अपील सं. 8918/98)**

शिकायतकर्ता/प्रतिवादी श्री के.के.बब्बर ने एम.आर.टी.पी. में डी.डी.ए. के विरूद्ध एक शिकायत की कि बरसात में नबी–करीम क्षेत्र में उसका पुराना मकान गिर गया और वह उसको दोबारा बनवा रहा है, जिसमें प्राधिकरण की कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। डी.डी.ए. ने कहा कि विचाराधीन क्षेत्र डी.डी.ए. के विकास क्षेत्र में आता है और डी.डी.ए. की बिना पूर्व स्वीकृति के कोई निर्माण–कार्य नहीं किया जा सकता और भवन उपविधि भी इस तरह के निर्माण करने की अनुमति नहीं देती। तथापि, एम.आर.टी.पी. ने निर्माण करने की अनुमति दे दी। डी.डी.ए. ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी को प्राथमिकता दी, जिसमें एम.आर.टी.पी. आयोग के उपर्युक्त आदेश को चुनौती दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम.आर.टी.पी.आयोग के आदेशों को अपास्त (सेट एसाइड) कर दिया और पाया कि आयोग के उपर्युक्त आदेश बिना क्षेत्राधिकार के थे। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिकायत को भी खारिज कर दिया गया।

5.2.4 **लिटिल एंजेल्स पब्लिक स्कूल सोसाइटी एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सी.डब्ल्यू 3775/91 एवं अन्य सी.डब्ल्यू.पी.एल.सी.)**

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में शैक्षिक सोसाइटियों द्वारा बहुत सी रिट याचिकाएं दायर की गई, जिनमें उनको आबंटित भूमि के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा की गई अतिरिक्त मांग को चुनौती दी गई। इन शैक्षिक सोसाइटियों को "अस्थायी बाजार मूल्यों" पर सांस्थानिक प्लॉट आबंटित किए गए और आबंटन स्वीकार करते समय वाचिकाकर्ता अन्तर राशि का भुगतान करने के लिए सहमत थे, जो "न लाभ न हानि" आधार पर नहीं था बल्कि "अस्थायी बाजार मूल्यों" पर था। हमारे वरिष्ठ स्थायी काउन्सिल द्वारा मामले पर तर्क किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 21.8.98 के निर्णय द्वारा कहा कि आवेदकों को यह अनुरोध करने से रोका जाता है कि वे "न लाभ–न हानि" आधार पर आबंटन करने के हकदार हैं या वे "न लाभ–न हानि" आधार पर दरों का भुगतान करने को बाध्य है। इस निर्णय द्वारा प्राधिकरण, 18 शैक्षिक सोसाइटियों से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित लगभग 2.00 करोड़ रू. के शेष प्रीमियम को वसूल कर पाएगा।

5.2.5 **सीताराम भंडार सोसाइटी बनाम उपराज्यपाल इत्यादि (सी.डब्ल्यू.एस.1628 एवं 1629/95)**

याचिकाकर्ता ने दो रिट याचिकाएं दर्ज की, जिसमें अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी गई और लाडो सराय, खसरा नं. 157 में स्थित 11 बीघा और 8 विस्वा भूमि का कब्जा लेने के स्थगन के लिए आग्रह किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 25.9.98 के निर्णय द्वारा प्रत्येक मामले में 10,000/– रू. की लागत सहित दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया ओर पाया कि भूमि का कब्जा भारत संघ भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के पास रहेगा और दि. वि.प्रा. को अन्तरित कर दिया जाए तथा किया गया अधिग्रहण कानून की निगाह में पूर्ण और वैध था। इस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण दक्षिण दिल्ली में करोड़ों रूपयों की प्रतिष्ठित भूमि को बचाने में कामयाब रहा।

5.2.6 **खजान सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (सी.डब्लू.पी.1958 / 96 एवं 128 अन्य सी. डब्लू.पी.)**

दिल्ली उच्च न्यायालय में 129 रिट याचिकाएं दायर की गई, जिसमें उनकी अधिग्रहीत भूमि के बदले में विकसित आवासीय प्लाटों के आबंटन के लिए याचिकाकर्ताओं से मांगे गए प्रीमियम को चुनौती दी गई। याचिका कर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 21 और उसके अन्तर्गत बनाई गई नीति के अन्तर्गत याचिकाकर्ता और अन्य लोग जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है, उक्त भूमि पर आवासीय स्थान के आबंटन के लिए अन्य किन्ही भी लोगों से प्राथमिकता रखते हैं और दि.वि.प्रा. अविकसित नजूल भूमि का आबंटन नहीं कर सकता और उसको विकसित किए बिना प्लाट की कीमत की मांग नहीं कर सकता। हमारे वरिष्ठ स्थायी काउन्सिल द्वारा मामला लड़ा गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28.10.98 के आदेश के द्वारा सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और पाया कि दि.वि.प्रा. द्वारा लिए गए मूल्य सही और तर्कसंगत हैं। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दि.वि.प्रा. को निर्देश जारी किए कि यदि याचिकाकर्ता को आबंटित की गई भूमि का प्लाट अभी भी उपलब्ध है और राशि जमा करने के लिए 4 सप्ताह की अवधि में बिना किसी शर्त के अनुरोध किया जाता है तो दि.वि.प्रा. इस प्रकार के अनुरोध प्राप्ति के 8 सप्ताह की अवधि के अन्दर रिकार्ड से सत्यापन करने के पश्चात प्रत्येक याचिकाकर्ता को नया मांग पत्र जारी करे। इसमें पहले भुगतान हेतु निर्धारित की गई तिथि से किए गए भुगतान की तिथि अथवा भुगतान के लिए जारी नए पत्र की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाए। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संशोधित मांग–पत्र की प्राप्ति की 8 सप्ताह की अवधि I के अन्दर याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान करने पर ओर दस्तावेज के संबंध में अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण उसके बाद 4 सप्ताह की अवधि के अन्तर्गत याचिकाकर्ता को संबंधित प्लाट का कब्जा दे देगा। इस प्रकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रीमियम के रूप में (ब्याज सहित) करोड़ों रूपये प्राप्त करने में सफल होगा।

5.2.7 **अमीन चन्द्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सी.एम.सं. 9964 / 98, सी.डब्ल्यू. सं. 2762 / 85 में)**

रिट याचिका का विषय–मामला उस भूमि से है, जो खसरा सं. 133–134 गांव खिड़की में है। 104 एस.एफ.एस. फ्लैट बनाए गए। तथापि, पहुंच–मार्ग विद्युतीकरण, सीवर, जल और नाली इत्यादि के कारण ड्रा नहीं निकाला जा सका, क्योंकि उपर्युक्त भूमि के संबंध में यथापूर्व स्थिति के आदेश विद्यमान थे। यथापूर्व स्थिति के आदेशों को संशोधित करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा एक आवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 12.1.99 के आदेशों द्वारा "यथापूर्व स्थिति" आदेशों को इस हद तक संशोधित किया कि पहुंच–कार्य किया जा सके, जिसमें उपर्युक्त प्लाट में विद्युत कार्य और सीवर तथा बरसाती पानी निकालने की आवश्यक कार्रवाई शामिल है। इस प्रकार, दि.वि.प्रा. ड्रा को निकाल कर उपर्युक्त एस.एफ.एस. फ्लैटों के निर्माण पर खर्च हुई बड़ी राशि को वसूल कर सकता है।

5.2.8 **हरी प्रकाश इत्यादि बनाम भारत संघ एवं अन्य (सी.डब्ल्यू. सं. 2507 / 98 एवं सी. डब्ल्यू.सी. डब्ल्यू.पी)**

4 रिट याचिकाएं दायर की गई, जिसमें मोलड़ बंध में 103 बीघा और 5 बिस्वा भूमि की अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी गई तथा निर्मित अथवा मुआवजे के भुगतान न होने के कारण उक्त भूमि को जारी करने का अनुरोध किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शुग्गियों को पुनः स्थान देने के लिए विचाराधीन भूमि स्लम एवं जे.जे. विभाग को सौपी जानी अपेक्षित थी। हमारे वरिष्ठ स्थायी काउन्सिल द्वारा मामले को लड़ा गया और रिट याचिका खारिज हुई, जिसमें उसके स्थगनादेश से मुक्त हुई उपर्युक्त भूमि को वापिस लिया गया। माननीय न्यायलय ने याचिका कर्ता द्वारा दर्ज की गई एल.पी.ए. को भी खारित कर दिया।

6. प्रणाली एवं प्रशिक्षण

6.1 आवास और विधि विंग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य सी.एम.सी. लिमिटेड को सौंपा गया और सोफ्टवेयर विकास, नेटवर्क केबलिंग इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। इस बात का ध्यान रखा गया कि वित्त वर्ष 1999–2000 के दौरान विधि एवं आवास विंग पूर्णतः ऑनलाइन पर हो और कम्प्यूटरीकरण सभी उम्मीदों पर खरा उतरे और सूचना का प्रचार–प्रसार सही हो, पूर्ण हो और दक्षतापूर्ण हो।

आवास और विधि विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य सी.एम.सी. लिमिटेड को सौंपा गया।

कार्मिक विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी किया गया और सौफ्टवेयर विकास संबंधी कार्य "राइट्स" को दिया गया। जब एक बार प्रणाली अध्ययन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, हार्डवेयर संरक्षण और नेटवर्किंग कार्य भी कर लिया जाएगा, तब आशा है कि 1999 के अन्दर परियोजना पूर्ण हो जाएगी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान भूमि निपटान और भूमि प्रबन्ध के साथ–साथ भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकरण भी किया जाएगा, ताकि वर्ष 2000 के दौरान सौफ्टवेयर का विकास हो, डाटा बेस बन सके ओर प्रणाली कार्यान्वित हो। पिछले वर्ष में इंटरनेट सैटअप की संभावना प्रबल हुई और इसमें कई और नोड्स बना दिए गए हैं। आवास और विधि विंग के कम्प्यूटरीकरण होने के पश्चात अधिकारियों / उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क पर डाटाबेस उपलब्ध हो जाएंगे।

चालू वर्ष के दौरान आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को दुकानों का आबंटन करने के लिए एक ड्रा निकाला गया। पिछले ड्रा के असफल और गैर–पात्र आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को वापसी चैक जारी किए गए। इसी प्रकार न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, अम्बेडकर आवास योजना और जनता आवास पंजीकरण योजना के फ्लैटों के आबंटन के लिए मासिक ड्रा भी निकाले गए। एस.एफ. एस. योजना के एलोकेटीज को विशिष्ट फ्लैट आबंटित किए गए।

आवासीय प्राप्ति लेखा प्रणाली और प्राप्ति सत्यापन मोड्यूल से प्राप्तियों के सत्यापन में दक्षता आई है। प्राप्ति (रिसीट) ऑन लाइन के तीव्र सत्यापन से राहत योजना के आवेदनों पर दक्षता पूर्वक कार्यवाही हुई है। 1981 से गैर–एन.पी.आर.एस. योजना की प्राप्ति के आंकड़ों की वैधता की जांच की जा रही है और इसको भी शीघ्र ही ऑन लाइन पर उपलब्ध करा लिया जाएगा।

63 बाह्य पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु 146 भागीदारों को भेजा गया और विभागीय पाठ्यक्रमों में 1637 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

6.2 प्रशिक्षण संस्थान स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता रहा है एवं उनके व्यावसायिक ज्ञान के उन्नयन की आवश्यकता का भी पता लगाता रहता है। यह अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामित भी करता है। यह योग्य कर्मचारियों / अधिकारियों को व्यावसायिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए नामित करता है, जो उन्हें अन्य लोगों के साथ अनुभव बांटने में मदद करता है और उनके व्यावसायिक अनुभवों में नए विचारों की प्रशंसा मिलती है।

विभागीय प्रशिक्षण–सत्र की एक झलक।

वर्ष 1998–99 के दौरान, कार्य की विभिन्न गतिविधियों में नवीनतम तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने के लिए और कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए 1637 कर्मचारियों को अपने यहां सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण संस्थान ने, बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित 63 पाठ्यक्रमों में दि. वि.प्रा. के 146 व्यक्तियों को भी नामित किया, जिनमें हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और दि.वि.प्रा. का प्रतिनिधित्व किया।

नागरिक घोषणा-पत्र पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 70 अधिकारियों ने भाग लिया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "नागरिक अधिकार" पर भी 'बी' ब्लॉक सम्मेलन कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 21.1.99 एवं 22.1.99 को संयुक्त निदेशक स्तर के 70 मध्य स्तर के अधिकारियों ने और 27.1.99 को 50 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। फरवरी, 1999 के महीने में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य संगठनों के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के सतर्कता विभाग के अधिकारियों के लिए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ संयुक्त रूप से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2.2.99 को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं/अनुभाग अधिकारियों (उद्यान) के लिए सामान्य लेखा परीक्षा भी आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 55 आवेदकों ने हिस्सा लिया और इसमें से 35 कर्मचारी सफल घोषित किए गए।

पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण एवं वर्ष 1998–99 के दौरान उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

1998–99 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तिमाही अनुसार विवरण:

क्र.सं.	तिमाही	अपने यहां के पाठ्यक्रम		बाहर के पाठ्यक्रम	
		संख्या	भाग लेने वाले	संख्या	भाग लेने वाले
1.	1.4.98 से 30.6.98	18	249	20	47
2.	1.7.98 से 30.9.98	29	363	14	29
3.	1.10.98 से 31.12.98	33	497	19	47
4.	1.1.99 से 31.3.99	28	528	10	23
कुल		108	1637	63	146

वर्ष 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

	कार्यक्रमों की संख्या			भाग लेने वालों की संख्या		
	96–97	97–98	98–99	96–97	97–98	98–99
1. दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें दि.वि.प्रा. के नामित व्यक्तियों ने भाग लिया।	38	85	108	1140	1342	1637
2. बाहरी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें दि.वि.प्रा. के नामित व्यक्तियों ने भाग लिया।	57	66	63	167	182	146

7. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्यकलाप

इंजीनियरिंग विंग की मुख्य गतिविधियां है –अधिग्रहीत भूमि का विकास, आधारिक सुविधाओं जैसे सड़कें, नाले, जलापूर्ति, सीवरेज और अन्य सुविधाओं का विकास, व्यावसायिक केन्द्रों और आवासीय इकाइयों का निर्माण। विकसित भूमि का उपयोग प्लाटों को उपलब्ध कराने ओर विभिन्न श्रेणियों के आवासों के निर्माण के लिए किया जाता है। सहकारी समितियों को भी भूमि दी जाती है। दि.वि.प्रा. द्वारा बनाए गए मकान विभिन्न पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं, जिनसे आशा की जाती है कि वे मकानों का रख–रखाव स्वयं करें। सड़कें, बरसाती पानी, जल निकासी, सीवरेज, जलापूर्ति इत्यादि सेवाएं, आन्तरिक/परिधीय सेवाएं उपलब्ध कराकर नगर निगम को आगे के रखरखाव के लिए सौंप दी जाती हैं। आम रास्ते और निर्मित क्षेत्रों के अंतर्गत की उपयोगता की जिम्मेदारी आवासीय/व्यावसायिक पाकेटों की संबंधित वैलफेयर सोसाइटियों की होती है।

वर्ष 1998-99 के दौरान 4038 मकान बनाए गए। दिनांक 1.4.98 को 10990 मकान बनाए जा रहे थे और वर्ष 1998-99 के दौरान 12452 मकानों का निर्माण आरंभ किया गया।

इंजीनियरिंग विंग की गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(क) आवासीय भवनों का निर्माण
(ख) व्यावसायिक केन्द्रों को विकास।
(ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि का विकास।
(घ) खेलकूल परिसरों सहित विशेष परियोजनाएं।
(ड.) हरित क्षेत्रों अर्थात मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्क, समीपवर्ती पार्क, मनारंजनात्मक केन्द्र, खेल मैदानों एवं बाल उद्यानों आदि का विकास और रखरखाव।

उपर्युक्त कार्यकलापों से संबंधित वर्ष 1998–99 की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

7.1 आवासीय भवनों का निर्माण

प्रारंभ से ही दिल्ली विकास प्राधिकरण बहुत बड़ी संख्या में पंजीकृत व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे: स्ववित्त योजना/एम.आई.जी./एल.आई.जी./जनता/आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों आदि के लिए मकानों का निर्माण करता है। 1.4.98 को प्राप्तियों में मकानों का संक्षिप्त विवरण, वर्ष 1998– 99 के दौरान शुरू किए गए नए मकानों, और वर्ष 1998–99 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित किए गए मकानों का विवरण इस प्रकार है:

वास्तविक उपलब्धियां

	स्व.वित्त योजना	एम.आई.जी.	एल.आई.जी.	जनता	मिश्रित भूमि उपयोग	कुल	97–98	96–97
1. 31.3.98 तक निर्मित आवास	49093	59190	72806	77141	–	258230	254595	246852
2. 1.4.98 को निर्माणाधीन आवास	2122	2672	2680	3516	–	10990	13959 (1.4.97)	12324 (1.4.96)
3. 1998–99 के दौरान आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य	2874	604	176	7116	–	10770	9968	17900
4. 1998–99 के दौरान हाथ में लिए गए/शुरू किए गए नए आवास	2020	1348	176	8908	–	12452	1122	9644
5. 1998–99 के दौरान आवासों के निर्माण का लक्ष्य	160	1234	1872	656	–	3922	3935	9900
6. 1998–99 के दौरान पूरे किए गए आवास	160	1234	2032	612	–	4038	3635	7743

7.2 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

वर्ष 1998-99 के दौरान 7 व्यावसायिक योजनाएं पूरी की गई।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित और बेचे गए विभिन्न आवासीय/औद्योगिक परिसरों के निवासियों के लिए खरीददारी सुविधाओं तथा व्यावसायिक स्थान की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए दि.वि.प्रा. ने विभिन्न आकार के अनेक व्यावसायिक केन्द्रों की योजना बनाई है और उनका निर्माण किया है।

1.4.98 को निर्माणाधीन विभिन्न खरीददारी/व्यावसायिक परिसरों, 1998–99 के दौरान आरंभ किए गए/पूरे किए गए नव परिसरों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वास्तविक उपलब्धियां

	जिला केन्द्र	समाज सदन	स्थानीय बाजार	सुविधा बाजार	कुल	1997–98	1996–97
1. 31.3.98 तक पूरे किए गए व्यावसायिक परिसर	6	24	114	417	561	547	538
2. 1.4.98 को निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर	7	5	6	4	22	22 (1.4.97)	20 (1.4.96)
3. 1998–99 के दौरान आरंभ करने के लक्ष्य के परिसर	–	3	6	7 +7जे.एम.	16 +7जे.एम.	17	13
4. 1998–99 के दौरान आरंभ की गई व्यावसायिक स्कीमें	–	1	1	3 +3जे.एम.	5 +3जे.एम.	14	12
5. 1997–98 के दौरान पूरी की गई व्यावसायिक स्कीमें	–	–	2	3 +2जे.एम.	5 +2जे.एम.	14	9

7.3 भूमि संबंधी योजनाओं का वृहद विकास

योजना के विभिन्न सैक्टरों/पॉकेटों में, जहां विकास कार्य चल रहा है, सड़कों, सीवर, जल आपूर्ति, जल निकास प्रणाली, बिजली जैसी विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था अनुबंध–क में दी गई है।

7.3.1 द्वारका फेज–1 एवं 2

दक्षिणी–पश्चिमी दिल्ली में द्वारका (पप्पनकला) परियोजना लगभग 5648 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और यह दिल्ली मुख्य योजना–2001 के प्रस्तावित शहरी विस्तार का भाग है। परियोजना के फेज–1 में पहले से अधिग्रहीत भूमि के 1862 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जाना निर्धारित है। परियोजना के दूसरे फेज में 2098 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास की योजना बनाई गई है। इस परियोजना की योजना लगभग 10 लाख की आबादी को बसाने के लिए बनाई गई है। दिल्ली नगर कला आयोग ने इस योजना को सितम्बर, 1998 में ही अनुमोदन प्रदान कर दिया। फेज–2 के लिए कुल 2098 हैक्टेयर भूमि में से अब तक 1040 हैक्टेयर भूमि ग्रहण की गई है, जहां विकास कार्य चल रहे हैं। द्वारका फेज–2 की शेष भूमि अधिग्रहण के अधीन है और इसे वर्ष 1999–2000 के दौरान अधिग्रहीत करने की संभावना है। फेज–1 और 2 का विकास कार्य क्रमशः 2002 और 2004 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है, जोकि फेज–2 में भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करेगा।

योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क.	कुल स्थल क्षेत्र	5648 है.
ख.	फेज–1 क्षेत्र	1862 है.
ग.	फेज–2 क्षेत्र	2098 है.
घ.	क्षेत्र जिसका फेज–2 में अधिग्रहण किया जाना है	1084 है.
ङ.	कुल सहकारी समूह आवास समिति प्लाट	269 है.
च.	कुल निर्मित मकान	15630 है. (बिंदापुर सहित)

द्वारका में एस.एफ.एस. के दि.वि.प्रा. फ्लैट।

द्वारका में विस्तारणीय आवास।

इस योजना के विभिन्न सैक्टरो/पॉकेटों में, जहां विकास कार्य चल रहा है, वहां पर सड़क, सीवर, जल–आपूर्ति, जल निकास प्रणाली, बिजली जैसी विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने की वर्तमान स्थिति अनुबन्ध "क" में दी गई है। उपराज्यपाल भी इस क्षेत्र में सेवाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। सेवाओं के विकास की प्रगति मुख्यतः और भमि के अधिग्रहण पर निर्भर करती है। इस कारण से कुछ सेवाओं को चालू करने में बाधा आ रही है।

7.3.2 नरेला

यह परियोजना दिल्ली के एकदम उत्तरी भाग में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7282 हैक्टेयर है जिसमें 14 लाख जनसंख्या के लिए योजना बनाने के लिए एम.एन. एण्ड पी. के पार्ट जोन शामिल हैं।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकास हेतु पूरक केन्द्र (काउन्टर सैन्टर) स्थापित करके शहरी दिल्ली पर दबाव कम करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले ही अधिग्रहीत लगभग 750 हैक्टे. भूमि पर इस परियोजना का विकास प्रारंभ किया है, जिसमें से 515.74 हैक्टे. भूमि क्षेत्र लगभग एक लाख जनसंख्या हेतु आवास प्रदान करने के लिए फेज–1 के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है। मुख्य योजना की सड़कों और बाह्य सड़कों का कार्य पूरा कर लिया गया है। नरेला में पूरे किये गए आवासों के लिए मल व्ययन, जल आपूर्ति और बरसाती नालों जैसी सेवाओं की भी व्यवस्था की गई हैं। नरेला परियोजना में सम्पूर्ण विकास कार्य मार्च, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना हैं।

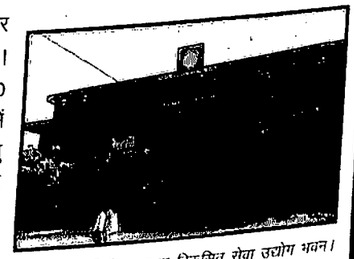

जनकपुरी में दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित रोया उद्योग भवन।

विकसित की जाने वाली 515.74 हैक्टे. भूमि के भूमि–उपयोग का विवरण निम्न है:–

	भूमि–उपयोग	क्षेत्र (हैक्टे. में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	259.42	50.30
2.	व्यावसायिक	8.00	1.55
3.	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ	60.92	11.80
4.	मनोरंजनात्मक	112.42	21.80
5.	परिचालन	65.90	12.78
6.	उपयोगिता	9.08	1.77
	कुल	515.74	100.00

इस स्कीम कें विभिन्न सेक्टरों/पाकिटों में, जहां विकास कार्य चल रहा है, सड़को, सीवर, जल आपूर्ति, नाले, विद्युत आदि विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति अनुबंध – "क" में दी गई है।

7.3.3 धीरपुर

यह क्षेत्र आजादपुर सब्जी मंडी के निकट रिंग रोड, जी.टी. रोड के आसपास पड़ता है और माडल टाउन इत्यादि पॉश आवासीय कालोनियों से सटा हुआ है। यह हमारे किसी भी नये शहरी विस्तार क्षेत्र से अधिक निकट है। यह भूमि दि.वि.प्रा. के पास इस समय उपलब्ध सभी स्थलों में सर्वोत्तम है। 900 हैक्टे. भूमि में से 194.50 हैक्टे. के विकास हेतु प्रथम चरण में एक योजना तैयार की गयी है। इस योजना का क्षेत्रफल 194.50 हैक्टे. है और 40,000 जनसंख्या के लिए योजना बनाई गई है। धीरपुर क्षेत्र के ले–आउट प्लान में 4 मंजिले और कुछ बहु मंजिले आवासों के निर्माण की व्यवस्था है। यह योजना दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। कुछ भूमि समस्याओं और परियोजनाओं की वित्तीय निर्धारण व्यवहार्यता के कारण विकास कार्य 1997–98 तक शुरू नहीं किया जा सका। बाह्य और आन्तरिक विकास कार्य अब आरंभ किये जा रहे हैं।

गाजीपुर में दि.वि.प्रा. प्लैट।

विकसित की जा रही 194.5 है. भूमि के भूमि–उपयोग का विवरण निम्न है:–

	भूमि–उपयोग		क्षेत्र(हैक्टे.में)
क.	योजना का सकल क्षेत्र		194.50
ख.	वर्तमान विकास क्षेत्र		38.18
	1. गोपाल पुर गांव		
	2. निरंकारी मंडल	9.56 हैक्टे.	
	3. गांधी विहार	15.00 हैक्टे.	
	4. 220 के.वी.विद्युत सब स्टेशन	9.30 हैक्टे.	
	कुल	4.32 हैक्टे.	
		38.18 हैक्टे.	
1.	योजनाबद्ध विकास हेतु निवल क्षेत्र		156.32
	कुल आवासी क्षेत्र		
	2. व्यावसायिक	115.69 हैक्टे.	
	3. सार्वजनिक एवं अंर्धसार्वजनिक सुविधाएं	5.50 हैक्टे.	
	4. मनोरंजन	15.40 हैक्टे.	
	कुल	19.73 हैक्टे.	
		156.32 हैक्टे.	

कार्यों के विकास की वर्तमान स्थिति अनुबंध "क" में दी गई है।

7.3.4 रोहिणी

क) **रोहिणी फेज–1 एवं 2 (सेक्टर 1 से 19 तक)**

(2400 हैक्टे. – जिसमें से 1756 हैक्टे. विकास हेतु उपलब्ध है)

रोहिणी फेज–1 (सेक्टर–1 से 8 तक) और फेज–2 (सेक्टर–9 से 19 तक) पूरी तरह विकसित कर दिया गया है और यह अधिकांशतः पूरी तरह बसा हुआ है। फेज–1 एवं फेज–2 में सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हैं।

जिला पार्क और नगर केन्द्र सहित जिला केन्द्र और समुदायिक केन्द्र स्तर का व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

क) सेक्टर–3 में जिला केन्द्र का विकास किया जा रहा है।

ख) सेक्टर–3,8,9 एवं 14 में प्रत्येक में एक–एक सामुदायिक केन्द्र सम्मिलित करके 4 समुदाय केन्द्रों का विकास किया जा रहा है।

ग) वोट क्लब, जापानी गार्डन और बच्चों के खेल–कूद क्षेत्र जैसी सुविधाओं के साथ 100 हैक्टे. भूमि के जिला पार्क अर्थात् स्वर्ण जयंती पार्क का विकास किया जा रहा है।

घ) उपर्युक्त जिला पार्क के निकट ही 63 हैक्टे. क्षेत्र में एक नगर केन्द्र भी विकसित किया जा रहा है।

निम्न व्यावसायिक भूखण्डों के 31.3.99 तक उपलब्ध होने की संभावना है:

1. रोहिणी, सेक्टर–3 में समुदाय केन्द्र के तीन भू–खण्ड।
2. मंगलम प्लेस, सेक्टर–3, रोहिणी में एक सिनेमा हॉल और एक कार्यालय एवं दुकानों हेतु दो –भू–खण्ड।
3. प्रशान्त विहार, रोहिणी में सिनेमा हॉल, के लिए एक भू–खण्ड।

कार्यों के विकास की वर्तमान स्थिति अनुबंध "क" में दी गई है।

ख) **रोहिणी फेज–3: (सेक्टर 20 से 25 तक)**

रोहिणी सेक्टर–3,700 हैक्टे. क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसमें लगभग 1,58,000 जनसंख्या रह सकेगी और विभिन्न आवासीय/भू–खण्डीय विकास और रिहायशी योजना के अन्तर्गत 31,600 आवासीय इकाईयों की व्यवस्था की जाएगी। परिधीय मल–व्ययन, जल आपूर्ति और नाले के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बाह्य सड़के मार्च–2000 तक पूरी हो जाने की संभावना है। फेज–3 में जल आपूर्ति संबंधी भण्डारण सुविधा प्रदान करने के लिए सेक्टर–23 में 7.50 एम.जी. क्षमता के मुख्य टैंक का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है और जून 99 तक इसके पूरे जो जाने की संभावना है।

ग) कार्यों के विकास की वर्तमान स्थिति अनुबंध "क" में दी गई है।

रोहिणी फेज–4

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति प्लाटों के आबंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आवास प्रदान करने के लिए 835 हैक्टे. भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव अधिसूचना/अधिग्रहण की अन्तिम अवस्था में है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत लगभग 160 हैक्टे. भूमि अधिसूचित की जा चुकी है, जिसके लिए राशि पहले ही जमा कर दी गई है और दि.वि.प्रा. द्वारा लगभग 70 हैक्टे. भूमि का कब्जा ले लिया गया है। शेष भूमि पर प्रहलाद रेजीडेंट्स वैलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ का एक मामला न्यायालय में है। कुछ स्थायी ढांचे भूमि पर मौजूद हैं।

7.3.5 वसन्त कुंज फेज–1 एवं 2

वसन्त कुंज परियोजना दिल्ली के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। यह परियोजना दो चरणों में विकसित की गई है।

क) **वसन्त कुंज फेज–1**

वसन्त कुंज फेज–1 उत्तर में घिटोरनी, रंगपुरी आदि ग्रामीण, दक्षिण में जे.एन.यू., लिंक रोड और पूर्व में महिपालपुर गांव और पश्चिम में अरविन्द मार्ग जैसे क्षेत्र से घिरा हुआ है। परियोजना कुल 381.45 हैक्टे. क्षेत्र में है और कुल 1,15,000 जनसंख्या को बसाने का अनुमान लगाया गया है। फेज–1 का विकास हो गया है। 13600 आवास पूरे कर लिए गए हैं और आवंटित कर दिये गये हैं / आवंटित किये जा रहे हैं।

ख) **वसन्त कुंज फेज–2**

वसन्त कुंज फेज–2, वसन्त कुंज फेज–1 के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में वसन्त कुंज फेज–1, दक्षिण में वसन्त विहार, पूर्व में पहाड़ी (सुरक्षित वन) और पश्चिम में जे.एन.यू. से घिरा हुआ है। इस परियोजना में 315 हैक्टे. भूमि है।

विकास की स्थिति

सामाजिक और भौतिक आधारिक संरचना:

4 और 5 सितारा होटलों के अन्तर्राष्ट्रीय होटल काम्प्लेक्स, शापिंग माल, सांस्थानिक, आवासीय, मनोरंजनात्मक सुविधाएं आदि के विकास की योजना बनाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संपूर्ण 315 हैक्टे. क्षेत्र पर संभी निर्माण कार्य कलापों पर रोक लगा दी है, लेकिन बाद में जारी की गई 92 हैक्टे. भूमि पर आरंभिक योजना के अनुसार निर्म्राण कार्य चल रहा है। पांच सितारा होटल, शापिंग माल अन्तराष्ट्रीय स्तर की, सांस्थानिक क्षेत्रों हेतु भू–खण्ड के रूप में आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक और मनोरंजनात्मक सुविधाओं को समाविष्ट करके यह 92 हैक्टे. भूमि का क्षेत्र संयुक्त रूप से निरूद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका कुछ भाग योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, बिड़ला अकादमी जैसी संस्थाओं को पहले ही आवंटित है। पांच सितारा होटल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में अनुमानित जनसंख्या 60,000 है।

विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति अनुबंध–ए में दी गई है।

7.3.6 जसोला

यह योजना दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। इसमें 163.87 हैक्टे.भूमि शामिल है और यह योजना 40,000 आबादी हेतु बनाई गई है। जनवरी, 97 में भूमि के कुछ टुकड़ों को "कोर्ट स्थगन" से मुक्त करा लिया गया है। वर्ष 1999 के दौरान विकास कार्यों को पूरा किया जाना है।

विकास कार्यों की विद्यमान स्थिति अनुबंध–ए में दी गई है।

7.3.7 सूर स्नान घाट

वजीराबाद पुल और नजफगढ़ ड्रेन के मिलन स्थल के बीच सूर स्नान घाट हेतु स्थल का चयन किया गया है। उक्त घाट हेतु यह एक आदर्श स्थल है, इसमें औद्योगिक इकाईयों से आनी वाली गंदी नीजों से प्रदूषित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

कार्य प्रगति पर है और यदि भूमि पर से खसरा सं. 98 के अन्तर्गत स्थगन आदेश रिक्त करा लिया जाता है तो वर्ष 1999 के दौरान कार्य पूरा किए जाने की संभावना है।

अनुबन्ध "ए"

दि.वि.प्रा., दिल्ली नगर के अन्तर्गत, रोहिणी, द्वारका और नरेला आदि जैसे उपनगरों के विकास कार्य को जारी रखे हुए है। कुछ प्रमुख विकास योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क. योजनाओं में व्यवस्था की जाने वाली सर्विस की कुल लम्बाई।
ख. दिनांक 31.3.97 तक व्यवस्था की जाने वाली सर्विस।
ग. दिनांक 31.3.98 तक व्यवस्था की जाने वाली सर्विस।
घ. दिनांक 31.3.99 तक व्यवस्था की जाने वाली सर्विस।

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टेयर में		आधारिक संरचना की वास्तविक उपलब्धि				
			सड़क कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती पानी ड्रेन कि.मी में	विद्युत
1. द्वारका क) फेज–1	1862	क	80.74	59.30	57.56	188.45	डी.वी.बी. कार्य प्रगति पर है।
		ख	80.74	58.00	55.00	24.00	
		ग	80.74	58.00	55.00	120.00	
		घ	80.74	59.00	57.56	145.00	
ख) फेज–2 (उपलब्ध भूमि)	2098 / 1014	क	42.00	19.00	8.00	25.00	डी.वी.बी. कार्य प्रगति पर है।
		ख	25.00	4.00	–	3.60	
		ग	25.00	10.00	–	11.00	
		घ	30.00	11.00	2.00	15.00	
2. नरेला	7282 / 750	क	33.00	33.00	33.00	79.00	डी.वी.बी. कार्य प्रगति पर है
		ख	33.60	32.00	20.50	30.00	
		ग	33.60	32.00	26.00	55.00	
		घ	33.60	32.00	26.00	55.00	
3. धीरपुर	194.5	क	5.60	6.00	6.00	10.00	
		ख	2.00	–	–	–	
		ग	2.00	–	–	–	
		घ	2.00	–	–	–	
4. रोहिणी क) फेज–1व2	2400 / 1756	क	300.00	105.00	148.00	67.00	पूरा हो गया
		ख	300.00	105.00	148.00	67.00	
		ग	300.00	105.00	148.00	67.00	
ख) फेज–3	1000 / 700	क	168.00	26.60	55.00	83.00	डी.वी.बी. कार्य प्रगति पर है
		ख	153.00	26.60	55.00	83.00	
		ग	153.00	26.60	55.00	83.00	
		घ					
5. वसन्त कुंज फेज–2	315 / 92	क	3.90	–	–	–	सर्विस प्लान दि.न.नि. का प्रस्तुत किया गया वर्ष 1999–2000 में 92 हेक्ट. भूमि के विकास कार्य किए जाएंगे
		ख	3.20	–	–	–	
		ग	3.20	–	–	–	
		घ	7 कि.मी. हिस्से का अतिक्रमण कर लिया गया	–	–	–	
6. जसोला	163.87	क	17.25	14.50	19.40	15.00	
		ख	4.15	2.65	2.00	–	
		ग	9.25	4.00	7.00	8.00	
		घ	11.15	10.00	15.25	11.00	

7.4 खेल परिसर सहित विशेष परियोजनाएं

दि.वि.प्रा. ने विकास के रूप में काफी संख्या में विशेष परियोजनाएं ओर नगर स्तर पर सुविधा व्यवस्था का कार्य आरम्भ किया है। वर्ष 1998–99 के दौरान दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु निम्नलिखित विशेष/बड़ी परियोजनाएं पूरी की हैं।/आरम्भ की हैं।

7.4.1 विशेष बड़ी परियोजनाएं

विशेष बड़ी परियोजनाएं, जो प्रगति पर हैं:–

1) यमुना नदी के साथ सूर स्नान घाट।
2) भलेसवा लेक परिसर का विकास।
3) रोहिणी में सेक्टर–9 एवं 11 के मध्य जिला पार्क।
4) टीकरी कलां में पी.वी.सी. मार्किट।
5) यमुना खेल परिसर।

7.4.2 विभिन्न खेल परिसरों में परियोजनाएं

क) जो वर्ष 1998–99 के दौरान पूरी की गई:

1) सरिता विहार में मल्टीजिम।
2) रोहिणी खेल परिसर में कवर्ड बैडमिन्टन हॉल।
3) सीरी फोर्ट खेल परिसर में क्रिकेट अभ्यास पिच।
4) पश्चिम विहार खेल परिसर में स्केटिंग रिंक।
5) पीतमपुरा खेल परिसर में प्रशासन ब्लाक, वॉली बॉल कोर्ट, बेडमिन्टन कोर्ट, स्कैंटिंग रिंक, टेनिस कोर्टस, बॉस्केट बॉल कोर्ट, प्लानटर्स एवं ट्यूब वेल।
6) साकेत खेल परिसर में स्कवेश कोर्ट बिल्डिंग।
7) यमुना खेल परिसर में तीन नम्बर सिन्थेटिक सर्फेस टेनिस कोर्टस, स्केटिंग रिंक, जॉगिंग ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक एवं क्रिकेट पिच कृत्रिम क्लाइम्बिंग वाल और भवन सुविधा।
8) हरिनगर खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक।
9) बसन्त कुंज के सैक्टर–डी, पाकेट–2 खेल परिसर में किक्रेट पिच, ट्यूबवैल एवं चारदीवारी।
10) बसन्त कुंज के सैक्टर–डी, पाकेट–2 एवं 3 खेल परिसर में बैडमिन्टन कोर्ट, टेनिस कोर्टस एवं ट्यूब वैल।
11) लाडो सराय, पब्लिक गोल्फ कोर्स में भूमिगत टैंक सब–स्टेशन बिल्डिंग एवं पार्किंग सुविधा।

ख) वर्ष 1998–99 के दौरान परियोजनाएं प्रगति पर

1. सीरी फोर्ट खेल परिसर में कवर्ड बैडमिन्टन हॉल।
2. अशोक विहार खेल परिसर के सामने खेल मैदान।
3. लाडो सराय में गोल्फ कोर्स।
4. बसन्त कुंज में खेल परिसर।
5. प्रताप नगर पार्क में मल्टीजिम
6. फैज रोड के समीप मल्टीजिम।
7. हर्ष विहार जिला पार्क में मल्टीजिम
8. रोहिणी, सैक्टर–14 में मल्टीजिम।
9. कल्याण विहार में मल्टी–जिम।
10. जसोला में खेल परिसर।
11. पीतमपुरा, टी.वी.टावर के समीप खेल परिसर।
12. चिल्ला में खेल परिसर।
13. द्वारका में खेल परिसर।

मल्टीजिम के पास विकसित खेल मैदानों में से एक में जारी बास्केट बॉल मैच।

7.5 उद्यान कार्य का विकास/रखरखाव

दि.वि.प्रा. ने नगर के मध्य में हरित क्षेत्र के विकास पर जोर डाला है। दि.वि.प्रा. देश के किसी भी नगर की तुलना में हरित क्षेत्र को सर्वोत्तम बनाने का गौरवपूर्ण दावा कर सकता है। दि.वि.प्रा. ने लगभग 16,000 एकड़ में हरित क्षेत्रों का विकास किया है जिसमें नगर वन/जंगल, हरित पट्टी, जिलापार्क, जोनलपार्क, नेबरहुड पार्क और आवासीय कालोनियों के टॉट–लाट्स सम्मिलित हैं।

	वर्ष	वृक्षारोपण (लाखों में)		नए लान्स का विकास (एकड़ों में)		बच्चों के पार्कस/चिल्ड्रेन कार्नर का विकास (संख्या में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	1996–97	5.00	6.35	160	140.00	16	11
2.	1997–98	7.50	5.90	172	126.50	8	15
3.	1998–99	4.30	4.78	158	145.50	22	19

7.6 विशेष उपलब्धियाँ/अभियान

क) **दि.न.नि. को सेवाएं सुपुर्द करना**

दि.न.नि. को 382 विकसित कालोनियों की सेवाएं चरणबद्ध रूप में सुपुर्द की जानी हैं। इन कालोनियों में से 91 कालोनियों की सेवाएं मार्च, 98 तक पहले ही दि.न.नि. को सुपुर्द की जा चुकी हैं। दिसम्बर, 1998 तक दि.न.नि को और 84 कालोनियों की सेवाएं सुपुर्द की जा चुकी हैं और जून, 1999 तक दि.न.नि. को शेष कालोनियों की सेवाएं सुपुर्द किए जाने की सम्भावना है।

ख) **नयी योजनाएं हेतु अनुमोदित अनुमान**

नए निर्माण और दि.वि.प्रा. में विकास कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निम्नानुसार अनुमानों को अनुमोदित कर दिया गया है:

वर्ष 1996–97 के दौरान : 354 करोड़ रू.
वर्ष 1997–98 के दौरान : 195 करोड़ रू.
वर्ष 1998–99 के दौरान : 320 करोड़ रू.

7.7 नए विकासशील क्षेत्र

7.7.1 फ्लाई ओवर

आबादी वृद्धि (स्थानीय तथा बाहरी) के साथ और आटो उद्योग में आत्म निर्भरता उपलब्धि के कारण सड़कों पर यातायात में वृद्धि हुई है। रिंग रोड जैसी व्यस्त आन्तरिक सड़कों के क्रासिंग पर संकीर्ण यातायात के कारण उपभोक्ता को काफी असुविधा होती है। इसके अलावा, यह प्रदूषण स्तर को बढ़ाता है और ईंधन खपत बेकार होती है। माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने इच्छा व्यक्त की है कि दि.वि.प्रा. फ्लाईओवर्स का निर्माण करे और यातायात समस्या कम करे। निम्नलिखित फ्लाईओवर्स दि.वि.प्रा. को नियत किए गए हैं:

1. वजीराबाद रोड – रोड सं. 66
2. विकास मार्ग – रोड सं. 57
3. एन.एच. 24 – नोएडा क्रासिंग
4. जेल रोड/मायापुरी रोड़ क्रासिंग
5. रिंग रोड – रोड सं. 41
6. नेल्सन मंडेला मार्ग – महरौली महिपालपुर रोड
7. एन.एच. 2 – रोड सं. 13–ए।

उपर्युक्त 7 फ्लाई ओवरों का कार्य दिया गया है। सभी 7 फ्लाई ओवर्स के अवधारणात्मक योजना दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कर

7 फ्लाई-ओवरों का कार्य दिया गया।

दी गई है और इन परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु दिल्ली नगर कला आयोग को पहले ही मामले को भेज दिया गया है। दि.न.क.आ. के अनुमोदन की कार्यवाही प्रगति पर है।

7.7.2 यमुना नदी तट का विकास

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यमुना नदी की लम्बाई का लगभग 50 प्रतिशत लम्बाई विद्यमान में शहरी सीमा में है और शेष दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र की चौड़ाई किनारों के बीच 1.5 कि.मी. से 3 कि.मी. तक है। नदी तट का क्षेत्र 9700 हेक्टेयर है। दि.वि.प्रा. ने बाढ़ क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार करते हुए नदी तट का विकास करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। सी.डब्ल्यू.पी.आर. एस. पूना द्वारा एक करोड़ रू की लागत का अध्ययन किया गया है, जो दर्शाता है कि लगभग 4600 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर पुनः दावा किया जा संकता है और लघु व्यावसायिक घटक, आवासीय, अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं और सरकारी कार्यालयों के अलावा विभिन्न मनोरंजात्मक उद्देश्य हेतु विकास किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. की बैठक में सी.एस.आर.आई. की एक इकाई एन.ई.ई.आर.आई. के निर्णय पर मामले पर चर्चा भी की गई और प्रस्तावित विकास के वातावरणीय प्रभाव निर्धारण को जारी रखने हेतु कहा गया। आरंभिक रिपोर्ट हाल में प्राप्त की गई है। उपाध्यक्ष महोदय ने जांच करने हेतु एक समिति गठित की है और इस समिति से अपनी सिफारिश देने का कहा है।

कूड़ा-करकट निपटान के लिए वैकल्पिक स्त्रोत का पता लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

7.7.3 कूड़ा–कचरा प्रबन्ध

दिल्ली नगर के अधिक से अधिक उपयोग ओर आबादी वृद्धि के कारण कूड़ा–कचरा का प्रबन्ध एक प्रमुख समस्या हो गया है। कूड़ा–कचरा के निपटान हेतु यह पहले से चिह्नित सभी स्थान भर गए हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि कूड़ा–कचरा के निपटान हेतु कोई वैकल्पिक स्त्रोत का पता लगाया जाए। कई एजेन्सियां अपने–आपको कूड़ा कचरा प्रबन्ध हेतु नई तकनीक के साथ पेश कर रहे हैं।

7.7.4 झुग्गी–निवासियों पुनः नियतन एवं धारक क्षेत्रों का विकास

विद्यमान में विभिन्न स्थलों पर झुग्गी समूहों के स्थान की व्यावसायिक संभावनाएं बहुत हैं। दि.वि.प्रा. के प्रबन्ध के अन्तर्गत, ऐसा निर्णय किया गया है कि इन झुग्गी वालों को अनेक क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा कहीं अन्यत्र उनके आश्रय की व्यवस्था की जाए। माननीय उपराज्यपाल ने एक कमरे के 10000 मकान निर्माण करवाने हेतु फेज–1 में किए जाने हेतु अनुमोदन कर दिया है और जो जून, 1999 में पूरा कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य में तैजी लाने हेतु और कोटि में सधार करने हेतु आंशिक रूप से पूर्व निर्मित प्रीफैब तकनीक का उपयोग करने का विचार किया गया। इसके अतिरिक्त अपात्र झुग्गी निवासियों को हटाने हेतु धारक क्षेत्र स्थलों को योजित एवं विकास किया जा रहा है।

7.7.5 बहु–मंजिली कार पार्किंग

अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग समस्या के समाधान करने हेतु ऐसा निर्णय लिया गया है कि नेहरू प्लेस क्षेत्र, बहाई और इस्कोन मन्दिर के समीप बहु–मंजिली पार्किंग प्रणाली की मुख्य परियोजना को आरंभ किया जाए। इनके कार्य पर्यवेक्षण के पश्चात, ऐसे पार्किंग स्थल अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाए जा सकते हैं।

7.7.6 जनता मार्किट

रेहड़ी वाले निम्न एवं मध्य वर्ग क्षेत्रों की मांग की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्हें चलाने के लिए, वे सड़क किनारे फुटपाथ आदि पर कब्जा कर लेते हैं अतः यातायात एवं पैदल चलने वालों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं। समाज के आवश्यक अंग होने के नाते, ऐसा निर्णय लिया गया है कि उनके लिए प्रत्येक कालोनी में उपयुक्त स्थान को विकसित किया जाए। ऐसे कार्य हेतु सड़क किनारे से सभी रेहडी वाले हटाये जाए ओर कार्य की अवधि इन क्षेत्रों में नियमित की जाए। ऐसे सभी आरक्षित स्थान जनता मार्किट के रूप में चिह्नित किए जाएं। प्रयोग के आधार पर आरंभिक तौर पर 30 स्थलों को चिह्नित किया गया है। पीतमपुरा में एक का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और चल रहा है। यह बहुत ही सफल साबित हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में एक, रोहिणी क्षेत्र में एक जनता मार्किट पूरा हो गया है और एक जनता मार्किट निर्माणाधीन है।

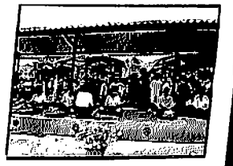

जनता मार्किट का एक दृश्य।

7.7.7 मनोरंजन पार्क

दि.वि.प्रा. द्वारा विकास किए जा रहे हैं। दक्षिण–पश्चिम दिल्ली के द्वारका में गति प्रदान करने हेतु ऐसा निर्णय लिया गया है कि एक मनोरंजन पार्क का विकास किया जाए, ताकि उप–नगर के विकास में एक आकर्षण बिन्दु बन सके। एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया और प्राधिकरण के सदस्य विभिन्न नगरों के चारों तरफ जा चुके हैं और स्वयं देख चुके हैं। इस मामले में जैसे ही उनके विचार प्राप्त होंगे मनोरंजन केन्द्रों के विकास की कार्रवाई आरंभ की जायेगी।

7.7.8 पूर्व निर्मित (प्रीफैब) तकनीकें

पूर्व निर्मित (प्रीफैब) तकनीकें विश्व में विशेष रूप से आवासीय परिसर में भारी सफलता के साथ होलो ब्लाक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के निर्माण में कोटि, विभिन्नता, मजबूती और गति जैसे बहुत लाभ होते हैं। दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां ईट की कोटि संतोषजनक नहीं है, दि.वि.प्रा. जो एक एजेंसी के रूप में विशाल मकान निर्माण कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वह गंभीरता पूर्वक इस तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रहा है।

वसंत कुंज में होलो–ब्लाक प्रौद्योगिकी से निर्मित मास्टल फ्लैट।

साधारणतया निर्माण के अलावा, इस प्रकार की तकनीकी नालीदार पाइपें लाइन्स, टेलीफोन के साथ–साथ विद्युत कनेक्शन देने में सुविधा प्रदान करती है। वे ताप निरोधक और जहां–कहीं हमें कार्नर जैसे कुछ जोन में स्टील बार और गंभीर लोडिंग, रेत भरने में लचीलापन, सीमेन्ट मोर्टार अथवा कंक्रीट में भी सुविधा होगी। अतः गरम्मत और सुधार में आसानी होगी। दि.वि.प्रा. ने बसन्त कुंज में होलो ब्लाक तकनीकी इरतेमाल करते हुए फ्लैट्स के कुछ नमूना पेश किया है। जिसे अनुसंधान संस्थान और जनता द्वारा स्वीकार किया गया है।

7.7.9 तैयार ठोस (रेडीमिक्स कानक्रिट प्लांट) मिश्रण प्लांट

तकनीक के उत्थान के हिस्से के रूप में, दि.वि.प्रा. ने एक मिश्रण ठोस प्लांट लगाने का प्रस्ताव किया है। उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा पहले ही आर.एम.सी.प्लांट को अनुमोदित कर दिया गया है। सैक्टर 20, द्वारका में 1.9 हेक्टेयर भूमि पर एक आर.एम.सी. प्लांट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है और जो तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

आर.एम.सी. प्लांट निजी उद्योगपति द्वारा स्थापित किया जायेगा, जिन्हें दि. वि.प्रा. पट्टा आधार पर भूमि आवंटित करेगा ओर 5 वर्षों की अवधि हेतु लाइसेंस प्रदान करेगा। निजी उद्योगपति राहगति- दर पर तैयार ठोस मिश्रण को, दि. वि.प्रा. कार्य हेतु आपूर्ति करेगा और बाजार में शेष भाग को बेचेगा। नगर में आर.एम.सी.प्लांट आरंभ होने से लगातार गुणवत्ता और कंक्रीट मजबूती में सुनिश्चितता मिलेगी। कुल मिलाकर इससे सड़क रूकावट कम होगी। पडोस

में और पैदल गुजरने वालों के लिए ध्वनि प्रदूषण को दूर करेगा। इससे कंक्रीट की बर्बादी कम होगी। यह गुणवत्ता को लगातार सुनिश्चित करेगा और श्रमिक बल की कम आवश्यकता होगी। इस प्रकार नगर का अधिक झुग्गी समूह के निर्माण से बचायेगा, क्योंकि देश के अन्य भाग से जो मजदूर यहां कार्य की तलाश में आते हैं, अन्ततः यहीं बस जाते हैं।

स्वर्ण जयन्ती पार्क विकसित करने के लिए रोहिणी के सैक्टर 9 और 11 में 100 हैक्टेयर हरित क्षेत्र के विकास के लिए भू-दृश्य योजना को अंतिम रूप दिया गया।

7.7.10 **गोल्डन जुबली पार्क**

दि.वि.प्रा. द्वारा रोहिणी के सैक्टर 9 एवं 11 नगर केन्द्र में भू–दृश्यांकन योजना हेतु 100 हेक्टेयर में हरित क्षेत्र का विकास करने हेतु अनुमोदित किया गया। पार्क के विकास में मनोरंजन सुविधाओं सहित झील, अनेक फव्वारों वाले उद्यान, चिल्ड्रन पार्क, प्रदर्शन ग्राउंड, रेस्तरां, पिकनिक हट, झीलों के साथ जापानी उद्यान वोट क्लब आदि की संख्या को ध्यान में रखना शामिल है। दिनांक 14.11.97 को माननीय उप–राज्यपाल ने नींव रखी है इसके अतिरिक्त यह पार्क परिधीय नालियों से घिरा हुआ है और इन झीलों में बरसाती पानी को निकालने हेतु काम किया जा रहा है ताकि साल भर पानी भरा रहे। विकास के बहुत अधिक कार्य आरंभ किए गए हैं ओर प्रगति पर है।

7.7.11 **पी.वी.सी. मार्किट, टिकड़ी कलां**

पी.वी.सी. मार्किट को संगठित करने हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा मंगेशपुर के समीप टिकड़ी कलां में 250 एकड़ भूमि में ड्रेन को विकसित किया गया है। आउटफाल ड्रेन की व्यवस्था करने हेतु लगभग 0.85 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के अन्तर्गत है। एक सीवरेज पम्पिंग स्टेशन निर्माणाधीन है जो एक वर्ष में पूरा हो जाएगा। प्लाट के आबंटितियों ने अभी तक अपने प्लाट पर निर्माण आरंभ नहीं किया है। वेयर–हाउसिंग / व्यावसायिक / लघु उद्योग सहित 2738 प्लाट्स में से 623 प्लाटस (40–45 वर्ग मी) पहले ही विद्यमान ज्वाला हेड़ी वालों को आबंटित किये गये हैं और 225 आवंटितियों को कब्जा भी दे दिया गया है।

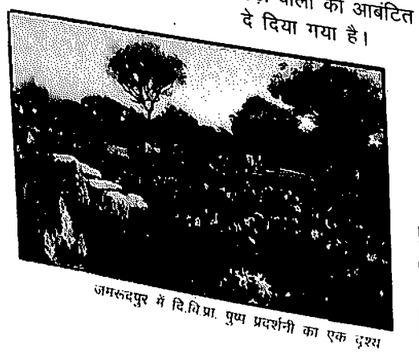

जमरूदपुर में दि.वि.प्रा. पुष्प प्रदर्शनी का एक दृश्य

उत्तरी रिज का एक दृश्य।

8. वास्तुकला एवं योजना

दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली की योजना बनाना और उसका विकास करना है। अतः दि.वि.प्रा. का एकमूल उद्देश्य योजना बनाना है। वास्तुकला एवं योजना विभाग योजना तैयार करने और योजना कार्यवाही को कार्यान्वित करने में विभिन्न दीर्घावधि एवं अल्पावधि मार्गनिर्देशों को निर्धारित करने के लिए भी उत्तरदायी है। दि.वि.प्रा. के योजना एवं वास्तुकला विभाग की वर्ष के दौरान उपलब्धियां निम्नानुसार है।

8.1 **योजना**

8.1.1 **विकास नियंत्रण एवं भवन इकाई**

विकास नियंत्रण

क) **मुख्य योजना इकाई**

तकनीकी समिति की 14 बैठकें आयोजित की गई और तकनीकी समिति की बैठकों के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

प्राधिकरण की 3 बैठकें आयोजित की गई और अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर किया जा रहा है। आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचनाएं जारी करना और भूमि उपयोग मामलों / दिल्ली मुख्य योजना–2001 में संशोधन के लिए शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा मंत्रालय संदर्भ तैयार करना आदि।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1962 में पहली मुख्य योजना बनाई थी। यह 1990 में 2001 तक के परिप्रेक्ष्य में संशोधित की गई।

ख) **क्षेत्रीय / विकास नियंत्रण इकाई**

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु मार्ग निर्देश तैयार किये गये और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। जोन "एल" के लिए क्षेत्रीय विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया और तकनीकी समिति से अनुमोदित कराया गया।

विकास संहिता दिल्ली मुख्य योजना–2001 से संबंधित संदर्भ की संवीक्षा एकीकृत भवन उपविधि–1998 को अंतिम रूप देने के लिए शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को सहयोग देना।

गैस गोदाम स्थलों से संबंधित समन्वय कार्य और जोन ई, एफ एवं सी की क्षेत्रीय योजना की प्रिंटिंग।

ग) **नीति मामला संबंधी इकाई**

जोन डी के लिए ड्राइंग प्रेजेंटशन, चार्ट, 3–डी कम्प्यूटराइज्ड माडल तैयार करना।

सार्वजनिक / अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, बैंक, बैंकट हाल, मोटल, प्राइवेट डिवेल्पर्स को सम्मिलित करना, विभिन्न अन्य मामलों आदि के लिए दि.वि.प्रा. के योजना विभाग से संबंधित नीति विषयक मामलों हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

8.1.2 **भवन**

- विभिन्न उपयोग जोन के नेमी भवन परमिट भवन उपविधि, 1983 के अनुसार जारी किये गये।
- सिटीजन चार्टर का पालन किया जा रहा है।
- दिल्ली नगर निगम को फाइलों के हस्तांतरण का कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है।
- वर्ष के दौरान जारी किये गये भवन परमिटों की स्थिति निम्नानुसार है:

1.	भवन नक्शे की मंजूरी एवं पुनवैधीकरण	2462
2.	जारी किये गए "सी" फार्म	0620
3.	जारी किये गये "डी" फार्म	2024
4.	जारी किये गये अधिभोग प्रमाण–पत्र	0235

भवन अनुभाग में अप्रैल, 98 से फरवरी, 99 तक प्राप्त किया गया कुल राजस्व 2,94,69,047.00 रूपये है।

योजना 2001 की समीक्षा और 2021 के लिए दिल्ली मुख्य योजना की तैयारी का कार्य प्रारम्भ किया गया।

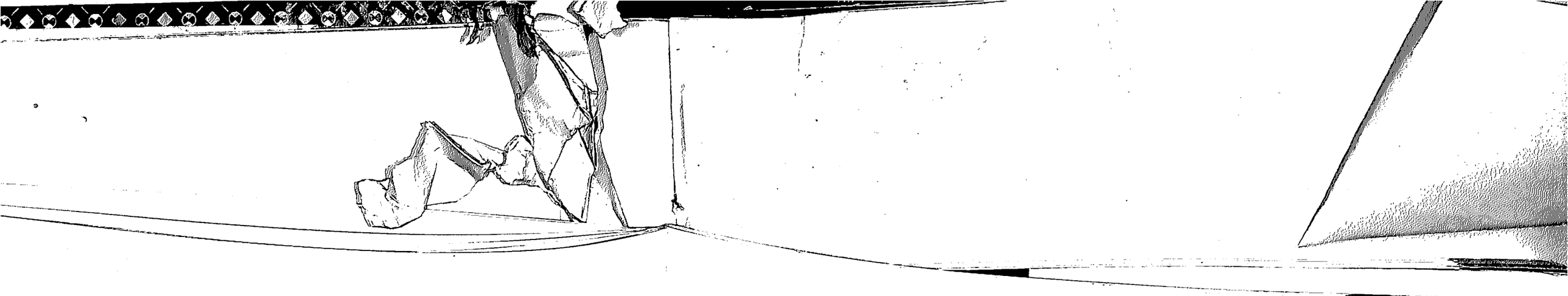

8.1.3 क्षेत्र योजना इकाई

- जोन "बी", "सी" का श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण ओर शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय हेतु जोन "एफ" की प्रजेंटेंशन ड्राइंग।
- जोन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एवं एच में सी.एन.जी. स्थलों का निर्धारण एवं उनके लिए योजना तैयार करना।
- जोन "ई" को अन–अधिसूचित करना।
- जोन ए, बी, एवं ई में सुरक्षित रखे जाने वाले/अन–अधिसूचित किये जाने वाले क्षेत्र का विकास।
- जांचसमिति से सुविधा केन्द्र–2, चिल्ला दल्लूपुरा एवं सेवा केन्द्र–1 अनुमोदित
- दल्लुपुरा में सुविधा केन्द्र, एफ सी–26, एस सी–11, ताहिरपुर में एफ सी–10, सी बी डी, शाहदरा में एफ सी–13, जसोला में एफ सी–33 ओर गीता कालोनी स्थित सुविधा केन्द्र के लिए ले आउट प्लानों को अंतिम रूप देना।
- जोन ए, बी एवं सी की क्षेत्रीय योजनाएं शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
- शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जोन "सी" हेतु की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- जांच बोर्ड की सिफारिश के अनुसार जोन "एच" के लिए कार्य रिपोर्ट तैयार करना।
- विभिन्न जोनों में विभिन्न खाली पड़ी हुई पॉकेटों के लिए ले आउट प्लॉन तैयार करना।
- गली नं. 10 आनन्द पर्वत में ओ.सी.एफ. पाकेट, एच ब्लॉक, विकास पुरी, एयर पोर्ट अपार्टमेंट में ओ.सी.एफ. और विकास पुरी सोसायटी क्षेत्र में सी.एस.।
- आनन्द पर्व औद्योगिक क्षेत्र का संकल्पनात्मक प्लान।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उद्योगों के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्णयों के अनुसार समन्वय एवं अनुवर्ती कार्रवाई।
- मार्बल व्यापारियों को भूमि के आबंटन हेतु मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस–2 के ले–आउट प्लान का संशोधन।
- आबंटन हेतु भेजे गये 3 पुलिस स्टेशन स्थलों के प्लान।
- एकीकृत भाड़ा परिसर हेतु भूमि के निपटान के अनुसार भूमि के विकास एवं व्यापक नेटवर्क के मानकों से संबंधित नीति।
- तकनीकी समिति द्वारा वजीराबाद के उत्तर में फायरिंग रेंज (10 एकड़) हेतु भूमि का आबंटन।

8.1.4 शहरी विकास परियोजनाएं, ग्रामीण जोन एवं शहरी विस्तार इकाई

1. **रोहिणी**

- सेक्टर–4 एक्सटेंशन में एक कमरे के मकानों के ले आउट प्लान एवं वास्तुकलात्मक ड्राइंगें, जांच समिति द्वारा अनुमोदित 9 पाकेट के सी. एस./ओ.सी.एफ ले–आउट।
- पुनर्वास प्लाटों में 2 सी.एस./ओ.सी.एफ पाकेट के ले–आउट प्लान।
- रोहिणी क्षेत्र के लिए तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप।
- सेक्टर–26 में जांच समिति द्वारा अनुमोदित 21 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि का ले आउट प्लान।

2. **द्वारका एवं अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसर बसंत विहार**

1. **द्वारका**

- विकास क्षेत्र सं. 171 एवं 172 से आंशिक क्षेत्र की अन–अधिसूचना संबंधी मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- द्वारका परियोजना (पार्ट जोन के) की क्षेत्रीय योजना, 66 के.वी. रूट संरेखन में संशोधन, रूट सहित 66 के.वी. एवं 220 के.वी. के अतिरिक्त ग्रिड स्टेशनों हेतु प्रस्ताव, 220 के.वी. पाइलोन स्थितियां, द्वारका का रेडी मिक्स प्लांट तकनीकी समिति से अनुमोदित कराया गया।
- सेक्टर 16–ए एवं 16–बी, अलग–थलग पाकेट–5 के संशोधित ले–आउट प्लान जांच समिति से अनुमोदित कराए गए।
- विभिन्न सेक्टरों के लिए कूड़ा–कचरा एकत्रित करने के केन्द्र डिजाइन एवं अवस्थितियां, सीनेज सब सिटी/सेक्टर लेबल सेक्टर–6, आबादकार पुनर्वास योजना के संशोधित ले आउट, ट्रांजिट कैम्प ले आउट, अलग–अलग पाकेट–20 बी का संशोधित ले आऊट, ट्रांजिट कैम्प के ले आउट, अलग–अलग पाकेट–2. बी का संशोधित ले आउट, 6 एच.ए.एफ पाकेटों के ले आउटों को अंतिम रूप दिया गया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया गया।
- छावनी के बीच में से 45 मीटर का प्रस्तावित पहुँच मार्ग, प्लान सहित रिपोर्ट एवं मौडल तैयार किया गया।

2. **अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसर वसंत विहार**

- होटल परिसर के समीपवर्ती 92 हेक्टेयर प्रतिबंधित क्षेत्र हेतु सड़क निर्माण स्तरीय प्लॉन तैयार किये गये, उन्हें अंतिम रूप दिया गया एवं अनुमोदित कराये गये तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में दि.वि.प्रा. के भूमि विभाग द्वारा किये गये आबंटन के अनुसार कब्जे दिये गये।
- परियोजना के ई.आई.ए. किल्यरेंस के संबंध में उनके पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी सरकार के पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण को विस्तृत उत्तर दिया गया।

3. **नरेला**

- नरेला सबसिटी एम (पार्ट), एन (पार्ट) एवं पी (पार्ट) की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन दे दिया गया।
- नरेला औद्योगिक क्षेत्र के लिए संरचनात्मक प्लान को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन दे दिया गया।
- पी.वी.सी.बाजार, टिकरी कलॉ हेतु भवन कार्यकलापों की अनुमति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है।

सचिव, शहरी विकास मंत्रालय योजना विभाग द्वारा की गई भेंट–वार्ता के दौरान दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ।

8.1.5 मुख्य योजना–2021 "ओ" जोन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यू.सी. एवं दिल्ली मुख्य योजना–2001 इकाई

स्थानीय बाजार का एक माडल।

1. मुख्य योजना 2021 एवं "ओ" जोन

- एन.आर.एस.ए. हैदराबाद द्वारा दिल्ली के डिजीटल बेस मैप तैयार करने के लिए समन्वय।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 को तैयार करने के संबंध में जनसांख्यिकी, प्रादेशिक संबंधी परिवहन, शैल्टर, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं आदि जैसे कुछ पहलुओं संबंधी प्रारंभिक सेकेण्डरी आंकडे संग्रहित एवं संकलित किये गये और प्रजेंटेशन ग्राफिक्स/ड्राइंग/पारदर्शिता के रूप में प्रस्तुत किये।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 तैयार करने के लिए सब ग्रुप का गठन।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 को तैयार करने में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना और विभिन्न विशेष सेक्टर, एसोसिएशन, सिटीजन चार्टर शामिल करना, दिल्ली मुख्य योजना–2021 के लिए गोष्ठी/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- क्षेत्रीय भूमि उपयोग योजनाओं के मोजेक की तैयारी।
  - नदी जोन "ओ" की क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तकनीकी समिति की बैठक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित हरित मुख्य योजना का एक दृश्य।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यू.सी. एवं एम.पी.डी.–2001

- विषय–निर्वाचन समिति की रिपोर्ट ओर विज्ञान भवन में आयोजित सेमीनार के आधार पर दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली मुख्य योजना 2001 की समीक्षा की गई और यह समीक्षा दिल्ली मुख्य योजना–2021 की तैयारी के लिए फीड बैंक के रूप में कार्य करेगी।
- विभिन्न पहलुओं के संबंध में क्षेत्रीय योजना–2001 की समीक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा शुरू की गई।
- प्राइवेट भागीदारी के आधार पर विकास नीतियों को निर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग–10 के पास वाले क्षेत्र की विकास योजना तैयार की गई।
- माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार शहरी विस्तार में आवश्यक रूप से स्थानांतरित किये जाने के लिए असंगत उद्योगों, जो रिहायशी क्षेत्र में स्थित हैं, के लिए स्थलों के निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।
- अनुसंधान एवं नवाचार (इनोवेशन) कार्यक्रम के अंतर्गत बाहरी परामर्शदाताओं के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन शुरू किये गये। ऐसे तीन अध्ययन, जिनकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है, को एक कार्यशाला में विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 1000 से अधिक अनधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु नीतियों को तैयार करने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 को तैयार करने के लिए भौतिक आधारिक संरचना के बेस पेपर सहित यातायात एवं परिवहन के बेस पेपर पूरे कर लिये गये।

8.1.6 यातायात एवं परिवहन इकाई

- 17 पेट्रोल पम्प स्थलों के प्रस्ताव आवंटन हेतु डी.एल.एम. (मुख्यालय) को भेज दिये गये।
- तकनीकी समिति द्वारा 10 एच.टी. रूट संरेखण के मामलों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

- द्वारका परियोजना के चार सेक्टरों के परिचालन प्लानों की जांच की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।
- तकनीकी समिति द्वारा 14 ग्रेड सेप्रेटरों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- विकास सदन में ओर उसके आसपास परिचालन में सुधार करने की परिचालन योजना को अंतिम रूप दिया गया।
- सी एन जी फिलिंग स्टेशन को समायोजित करने के लिए पेट्रोल पंप स्थलों के सेट बैक में छूट देने के अनुरोध को तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- दिल्ली मुख्य योजना–2001 के परिवहन प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण मल्होत्रा समिति के समक्ष किया गया।

8.1.7 भूदृश्यांकन एवं पर्यावरणीय योजना इकाई

- चिल्ला स्थित खेलकूद केन्द्र और पीतमपुरा स्थित खेलकूद केन्द्र ने ले आउट में संशोधन किया और ड्राइंग संबंधित विभागों को भेज दी।
- वसंत कुंज सेक्टर डी पार्ट ए (विद्युत सब स्टेशन के पीछे) स्थित खेलकूद केन्द्र – वृक्षारोपण योजना संबंधित विभागों को जारी कर दी गई।
- वसंत कुंज पार्ट बी और जसोला स्थित खेलकूद केन्द्र की ड्राइंग पूरी कर दी गई।
- सरस्वती विहार में संगीतमय फव्वारा – प्लान को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया और कार्यात्मक ड्राइंग पूरी की गई और संबंधित विभागों को भेज दी गई।
- जसोला रोहिणी सेक्टर–19 स्थित जिला पार्क और मायापुरी, मायापुरी स्थित हरित पट्टी, मेमोरियल राजघाट के सामने, रिंग रोड स्थित हरित पट्टी के भूदृश्यांकन प्लानों को जांच समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया और ड्राइंग संबंधित विभागों को भेज दी गई।
- रोड साइड वृक्षारोपण, सेक्टर–11 द्वारका की योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- मेमोरियल पार्क, वजीराबाद की योजना को पूरा किया गया।
- सराय काले खां में व्यायामशाला के लिए भूदृश्यांकन प्रस्ताव।
- बहुव्यायामशाला, कवर्ड बेडमिंटन कोर्ट ताहिरपुर खेलकूद परिसर, बहुव्यायामशाला पश्चिम विहार, खेलकूद केन्द्र और बहुव्यायाम शाला प्रताप नगर।
- 2 सीवेज पम्पिंग स्टेशन और 1 कमांड टैंक के लिए भूदृश्यांकन योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- खेल के मैदानों, खेल क्षेत्रों, कमांड टैंक, सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के लिए विभिन्न अन्य भूदृश्यांकन योजनाएं तैयार की गई और जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

8.1.8 मॉनीटरिंग इकाई

- विभाग की सभी इकाइयों/विंग के योजना विभाग से संबंधित कार्य को दि.वि.प्रा. के अन्य विभागों और बाहरी एजेंसियों/विभागों के साथ समन्वित करना।
- सामान्य प्रशासन के एक भाग के रूप में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के पुनःसंगठन के आधार पर योजना विंग में पुनः वितरण पूरा किया गया।
- योजना एवं वास्तुकला विभाग की मासिक, तिमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जब भी मांगी गई, उन्हें अंतिम रूप दिया गया ओर भिजवाया गया।
- कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा में आयुक्त (योजना) की सहायता की।

8.2 वास्तुकला

आवास एवं शहरी परियोजना विंग

8.2.1 आवास

अप्रैल 98 से मार्च, 99 तक की अवधि के दौरान लगभग 16121 आवासों के डिजाइन ओर ले आउट प्लान तैयार किये गये। इसमें स्व वित्त योजना के 1889 (श्रेणी–2 श्रेणी–3), मध्यम आय वर्ग के 824 ओर जनता/ई.डब्ल्यू. एस. के. 13408 फ्लैट शामिल हैं। इन आवासों की योजनाएं जांच समिति द्वारा अनुमोदित की गई और कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई।

8.2.2 व्यावसायिक

जिला केन्द्रों, समाज सदनों, स्थानीय बाजारों, सुविधा बाजारों एवं जनता मार्किट जैसे विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों का कार्य।

1) **जिला केन्द्र**

जांच समिति द्वारा बसंत कुज स्थित एक जिला केन्द्र को अनुमोदन प्रदान किया गया और रोहिणी सेक्टर–10 स्थित एक एवं पश्चिम पुरी स्थित एक – इन दो जिला केंद्रों को प्रथम स्तर के कार्य के लिए डी.यू.ए. सी. द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2) **समाज सदन**

डी.यू.ए.सी से 5 समाज सदनों के डिजाइन (प्रथम स्तर) अनुमोदित कराये गये।

डी.यू.ए.सी. से 2 समाज सदनों के वास्तुकला नियंत्रण (द्वितीय स्तर) अनुमोदित कराए गए।

जांच समिति से गीतांजलि में एक सुविधा केन्द्र और जसोला में एक व्यावसायिक केन्द्र अनुमोदित कराये गये।

3) **स्थानीय बाजार**

जांच समिति से नरेला, द्वारका एवं कोंडली घरोली में 7 स्थानीय बाजार अनुमोदित कराए गए।

4) **सुविधा बाजार**

जांच समिति से 8 सुविधा बाजारों के डिजाइन अनुमोदित कराये गये।

5) **जनता मार्किट**

11 जनता मार्किट के डिजाइन बनाये गये और जांच समिति से अनुमोदित कराए गए।

अन्य परियोजनाओं के डिजाइन बनाये गये ओर जांच समिति से अनुमोदित कराये गए। मधुवन चौक स्थित दि.वि.प्रा. जोनल कार्यालय, वसंत कुंज स्थित स्वीमिंग पूल, साकेत में 2 टोडल पूल एवं यमुना खेलकूद परिसर। समग्र रूप में व्यावसायिक केन्द्रों एवं स्थानीय बाजारों में विभिन्न प्लाट नीलामी के लिए भेजे गए।

8.2.3 **सर्वेक्षण इकाई**

सर्वेक्षण इकाई ले आउट/एरिया प्लान की तैयारी के लिए सामग्री के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का भौतिक सर्वेक्षण करती है।

8.2.4 **जांच/तकनीकी समिति**

1) अप्रैल, 98 से मार्च, 99 के दौरान जांच समिति की कुल 9 बैठकें हुई, जिसमें 120 मुददों पर विचार–विमर्श किया गया।

2) अप्रैल, 98 से मार्च, 99 के दौरान तकनीकी समिति की कुल 14 बैठकें हुई जिनमें 98 मदों पर विचार–विमर्श किया गया।

9. आवास

9.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवास संबंध कार्यकलाप वर्ष 1967–68 के दौरान शुरू किये गये। दि.वि.प्रा. ने अब तक 23 आवासीय योजनाओं की घोषणा की है। दिनांक 31.3.99 तक विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 293626 आवंटन किये गये हैं। इस समय न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना–1979, अंबेडकर आवास योजना–1989 और जनता आवास पंजीकरण योजना–1996 चल रही हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष (1998–99) के दौरान 11033 आबंटन किये गये। इन आबंटनों के श्रेणीवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वर्ष 1998–99 में विभिन्न आवासीय योजनाओं में किए गये आबंटन।

1) स्व वित्त योजना	5937
2) ई.एच.एस.	10
3) मध्यम आय वर्ग/एन.पी.आर.एस.–79 अंबेडकर आवास योजना	1973 663
4) निम्न आय वर्ग/एन.पी.आर.एस.–1979 अम्बेडकर आवास योजना–1989	1542 417
5) जनता	491
कुल	11033

चालू स्कीमों की स्थिति निम्नानुसार है:

1) न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना–1979

न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना–1979 मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणियों के फ्लैटों के आबंटनों के लिए वर्ष 1979 में शुरू की गई थी। यह स्कीम अखिल भारतीय स्तर पर थी और 171272 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था। श्रेणीवार आबंटनों, पंजीकृत व्यक्तियों, आबंटन हेतु शेष व्यक्तियों और कवर की गई प्राथमिकता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति	आबंटन	आबंटन हेतु शेष व्यक्ति	कवर की गई प्राथमिकता
मध्यम आय वर्ग	47521	36868	8022	25168
निम्न आय वर्ग	67502	51664	16208	35201
जनता	56249	58288	शून्य	लागू नहीं
	171272	146820		

2) अम्बेडकर आवास योजना–1989

अम्बेडकर आवास योजना–1989 एनपीआरएस–1979 के पंजीकृत व्यक्तियों में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जन जाति के पंजीकृत व्यक्तियों के 25 प्रतिशत कोटे के संबंध में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग ओर जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु 20,000 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था। श्रेणीवार पंजीकृत व्यक्तियों, आबंटनों, शेष बचे हुए व्यक्तियों ओर कवर की गई प्राथमिकता के ब्यौरे निम्नानुसार है:

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति	आबंटन	आबंटन हेतु शेष व्यक्ति	कवर की गई प्राथमिकता
मध्यम आय वर्ग	7,000	2765	3140	3023
निम्न आय वर्ग	10,000	3547	5601	3193
जनता	3,000	2988	शून्य	लागू नहीं
	20,000	9300		

इस योजना में निम्नलिखित आरक्षण किये गये।

1) 1 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग

2) 1 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक

3) 1 प्रतिशत युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं

3) जनता आवास पंजीकरण योजना–1996

यह योजना चरणबद्ध तरीके से जनता फलैटों के आबंटन हेतु समाज के कमजोर वर्गों के 20,000 व्यक्तियों को पंजीकृत करने के लिए वर्ष 1996 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आरक्षण दिये गये थे:

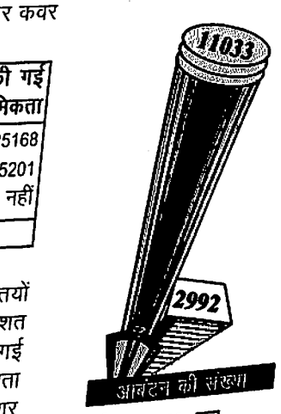

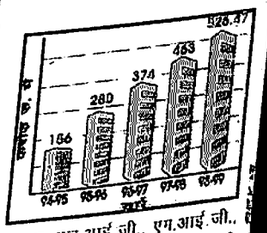

जनता, एल.आई.जी., एम.आई.जी., विस्तारणीय आवास योजना एवं सहकारी समूह आवास सोसाइटी की प्राप्तियाँ।

सरिता विहार में दि.वि.प्रा. फ्लैट।

लोक शिविर का एक दृश्य।

1) 25 प्रतिशत अनु.जा./अनु.ज.जा.। 2) 1 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक। 3) 1 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति। 4) 1 प्रतिशत युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं। 5) 2% उन विधवाओं को, जिनके संतान है। इस योजना की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:

पंजीकृत व्यक्ति	किया गया आवंटन	शेष बचे हुए व्यक्ति	कवर की गई प्राथमिकता
20,000	5243	14696	4526

इस योजना के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी के सभी पंजीकृत व्यक्तियों का किराया खरीद आधार पर फ्लैट खरीदने की अनुमति दे दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आवास विभाग के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार है:

1. क. अ) जारी किये गये मांग एवं आबंटन/विनिधान पत्र 8662
   ब) जारी किये गये कब्जा पत्र 5736
   ख. नामांतरण 755
   ग. फ्री होल्ड अधिकार प्रदान करना 1486
2. सहकारी समूह आवास योजना
   1) प्रस्ताव पत्र 59
   2) आबंटन पत्र 11
   3) कब्जा पत्र 3

उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि हेतु उठाए गए कदमः

उपभोक्ताओं के लंबित मामलों का स्थल पर निपटान हेतु लोक शिविर – दिनांक 28.1.99 एवं 11.2.99 को दो लोक शिविरों का आयोजन किया गया। इस लोक शिविर में प्रबंध विंग, वित्त विंग और विधि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और मामलों को उसी दिन निपटाने के पूरे प्रयास किये गये।

9.2 आवास लेखा विंग

वर्ष 1998–99 के दौरान आवास लेखा विंग ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप किये/उपलब्धियां प्राप्त की:

9.2.1 प्रारंभिक अनुमानों की जांच करना

क) फ्लैटों के संबंध में प्रारंभिक अनुमानों की वित्तीय सहमति 10 आवासीय योजनाओं हेतु प्रदान की गई, जिनमें लगभग 5600 फ्लैट हैं।

ख) दुकानों के संबंध में प्रारंभिक अनुमानों की वित्तीय सहमति 9 योजनाओं के लिए दी गई जिनमें लगभग 230 दुकानें हैं।

9.2.2 फ्लैटों की लागत निर्धारण

क) वर्ष 1998–99 के दौरान 27 आवास योजनाओं, जिनमें लगभग 6500 फ्लैट शामिल हैं, के संबंध में लागत निर्धारण के कार्य को अंतिम रूप दिया गया।

ख) वर्ष के दौरान बचे हुए लगभग 6000 फ्लैटों के संबंध में लागत निर्धारण के कार्य को अंतिम रूप दिया गया/संशोधित किया गया।

ग) वर्ष के दौरान लगभग 375 दुकानों वाली 7 योजनाओं के संबंध में लागत निर्धारण के कार्य को भी अंतिम रूप दिया गया।

चूककर्ता आबंटितियों के विरुद्ध समयबद्ध तरीके से कार्यवाई की गई।

वसूली राशि लेने के लिए 5 वसूली अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई।

9.2.3 वसूली के कार्य को तेजी से करने के लिए किये गये प्रयास

चूककर्ता आवंटितियों से मासिक किश्तों/जुर्माने की बकाया राशि की वसूली करने और चूककर्ता आवंटितियों पर दबाव डालने की दृष्टि से तथा ऐसे चूककर्ताओं के विरूद्ध सख्त एवं समयबद्ध कार्रवाई करने के अपने अभियान के अंतर्गत भू राजस्व बकाया राशि के रूप में वसूली करने के लिए पांच वसूली अधिकारियों को पंजाब भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां सौंपी गई हैं। उन्हें लक्ष्य दे दिये गये हैं, जो समयबद्ध कार्यक्रम में पूरे किये जाने हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किये गये:

क) 111 मामलों में चूककर्ता आबंटितियों को समुचित अवसर देने के बाद मासिक किश्तों का भुगतान न किये जाने के कारण फ्लैटों के आबंटन रद्द कर दिये गये।

ख) 511 मामलों में आबंटन का प्रस्ताव किया गया।

ग) 4262 मामलों में चूककर्ता आबंटिती (आबंटितियों) के विरूद्ध कुर्की के नोटिस जारी किये गये।

घ) 47 सम्पत्तियों की कुर्की की गई।

9.2.4 कुछ अन्य मदें

1) स्व वित्त योजना के अंतर्गत 4609 मांग पत्र जारी किये गये।
2) लीज होल्ड से फ्री होल्ड के 2509 परिवर्तन मामले निपटाये गये।
3) कब्जा पत्र जारी करने के लिए प्रबंध विंग को 5620 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये।
4) 2416 ऐसे मामलों में आबंटितियों को उनकी जमा राशि वापस की गई, जो मकानों के आबंटन के इच्छुक नहीं थे।
5) अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के लिए दुकानों के आबंटन के संबंध में असफल आवेदकों को 12,500 मामलों में जमा धन राशि के चैक लौटाए गए।
6) सामान्य वर्गों को दुकानों के आबंटन के संबंध में 360 निविदाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

9.2.5 आबंटिती अनुकूल विशेष प्रोत्साहन योजना का शुभारम्भ

1) दिल्ली विकास प्राधिकारण ने दिनांक 1.10.98 से "एमनेस्टी स्कीम–1998" की घोषणा की थी, जिसे दिनांक 31.8.99 तक बढ़ा दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत उस आवेदक को जुर्माने में 75 प्रतिशत तक की राहत देने की व्यवस्था की, जिसने दिनांक 31.3.99 को या उससे पहले अद्यतन बकाया किश्तों और जुर्माने का भुगतान कर दिया हो। जनता के मार्ग निर्देश हेतु दि.वि.प्रा. ने मुख्य विशेषताओं, प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न फार्म स्कीम के अंतर्गत देय ब्याज निकालने के परिकलन के नमूने वाली पुस्तिका जारी की। दिनांक 31.3.99 तक इस स्कीम के अंतर्गत 16005 आवेदकों से आवदेन फार्म प्राप्त किये गये। इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त की गई राशि 44.38 करोड़ रूपये थी।
2) वर्ष के दौरान किराया खरीद जुर्माना राहत योजना–97 से संबंधित 880 मामले और एमनेस्टी स्कीम–98 के अंतर्गत 2183 मामले निपटाये गये।
3) दि.वि.प्रा. ने वर्ष के दौरान "एमनेस्टी फाइनेंस स्कीम" की घोषणा भी की। इस स्कीम के अंतर्गत त्रिपक्षीय अनुबंध के निष्पादन द्वारा मासिक किश्तें, भू भाटक, सेवा प्रभार, परिवर्तन प्रभार आदि के रूप में बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए ऋण देने हेतु पांच वित्तीय संस्थाएं सहमत हो गयी हैं। दि.वि.प्रा. ने इस स्कीम से संबंधित मुख्य विशेषताएं, प्रयोग किये जाने वाले नमूना फार्म, जुर्माना निकालने के परिकलन के नमूने आदि वाली एक पुस्तिका जारी की। इस स्कीम के अंतर्गत 129 आवेदन पत्र प्राप्त किये ओर दिनांक 31.3.99 तक 49 मामले निपटाए।

9.2.6 लोक शिविर का आयोजन

आवास विभाग के दो लोक शिविर दिनांक 28.1.99 और 11.2.99 को आयोजित किये गये, जिनमें जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए आवास लेखा इकाई ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दिनांक 28.1.99 को आयोजित लोक शिविर के दौरान वित्त विभाग से संबंधित 115 मामले सामने आये जिनमें से 70 मामले उसी दिन शिविर के दौरान निपटा दिए गए। इसी तरह दिनांक 11.2.99 को आयोजित लोक शिविर के दौरान वित्त विभाग से संबंधित 106 मामले सामने आये, जिनमें से 82 मामले उसी दिन शिविर के दौरान निपटा दिये गये।

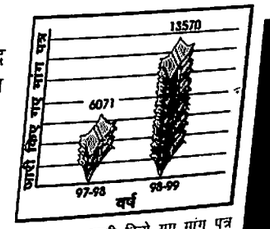

जारी किये गए मांग पत्र

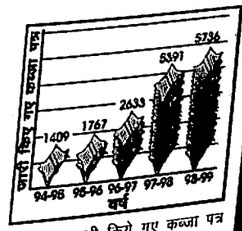

जारी किये गए कब्जा पत्र

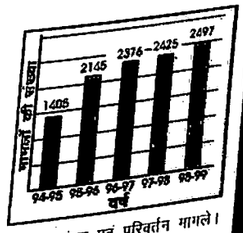

नामातंरण एवं परिवर्तन मामले।

31.3.99 तक बढ़ाई गई दि.वि.प्रा. राहत योजना 1998।

आयोजित 2 आवास लोक शिविर।

10. भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग

10.1 भूमि प्रबंध

10.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल भूमि को नियंत्रण में लेने के अतिरिक्त यह 1957 के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल–2 भूमि का प्रबंध एवं देख–रेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो पुनर्वास मंत्रालय से पैकेज के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के एल. एंड ड़ी.ओ. विभाग की भी कुछ भूमि देखभाल एवं रख–रखाव द्वारा उपयोग एवं आबंटित की जाती है।

40 पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम एवं 28 सी एन जी स्थल आबंटित किए।

10.1.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है:

1. भूमि का अधिग्रहण
2. पैट्रोल पम्प और गैस के गोदामों के लिए स्थलों का आबंटन
3. भूमि के रिकार्ड का रख–रखाव
4. अतिक्रमणों से भमि की सुरक्षा
5. दुरूपयोग के विरूद्ध मुख्य योजना धारा का प्रवर्तन।

10.1.3 यह विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण में तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–1 भूमि और दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की नीति के अंतर्गत अधिग्रहीत नजूल–2 भूमि से संबंधित कार्य करता है। 31.3.99 तक कुल 62707.08 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई, जिसमें से 59542.78 एकड़ भूमि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निपटान करने के लिए निर्धारित की गई है।

195 एकड़ भूमि मुक्त कराने के लिए अवैद्य निर्माण गिराने के 281 अभियान आयोजित।

प्रर्वतन शाखा द्वारा चलाए गए अभियोजन में 290 मामले।

10.1.4 वर्ष 1998–99 के दौरान नया पट्टा शाखा ने 40 पैट्रोल पम्प और 13 गैस गोदामों 28 सी एन जी स्थलों के लिए स्थलों का आबंटन किया। भूमि प्रबंध विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्य अतिक्रमण से भूमि की रक्षा करना है। भूमि की रक्षा के लिए दि.वि.प्रा. ने छह फील्ड जोन स्थापित किये हैं:– पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, रोहिणी जोन, दक्षिणी पूर्वी जोन, दक्षिणी पश्चिमी जोन।

दि.वि.प्रा द्वारा [illegible] में विकसित भूमि पर निर्मित सहकारी [illegible] के फ्लैट।

10.1.5 प्रत्येक जोन के प्रमुख संयुक्त निदेशक/उप निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता लिपिकीय एवं फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। डी.डी.ए. की भूमि पर नियमित रूप से इन सुरक्षा गार्डों द्वारा निगरानी रखी जाती है, जिन्हें विशेष बीट क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। अतिक्रमण की प्रवृति को रोकने के लिए निर्माण गिराने की योजना नियमित रूप से बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से उसे पूरा किया जाता है। अप्रैल, 98 से मार्च, 99 तक डी.डी.ए. ने 281 डिमोलेशन अभियान चलाए और डी.डी.ए. की 195 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस प्रक्रिया में 2912 ढांचे हटाए गए। भूमि प्रबंध विभाग ने पिछले एक वर्ष के दौरान निर्माण गिराने के कुछ मुख्य अभियान चलाए जिनकी भूमि माफिया को छोड़कर समाज के सभी वर्गों एवं प्रेस मीडिया ने प्रशंसा की है। इस कार्य से डी.डी.ए. की छवि एक उस एजेंसी के रूप में बनी है जो अपनी भूमि की रक्षा प्रभावशाली ढंग से करती है। कभी–कभी निर्माण गिराने के अभियानों में मुकदमे बाजी और पुलिस वल की व्यस्तता के कारण अनुपलब्धता की वजह से विलम्ब भी हो

जाता है। इस अवधि के दौरान डी.डी.ए. ने कुछ महत्वपूर्ण न्यायालय मुकदमें भी जीते हैं, जिनमें बहुत बढ़िया भूमि के भाग भी शामिल हैं।

10.1.6 क्षतिपूर्ति शाखा को दि.वि.प्रा. के नियंत्रण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों के कारण हुई क्षतिपूर्ति का पी.पी.एक्ट के अंतर्गत आकलन/वसूली करने और सरकारी भूमि पर बसे अनधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत बेदखल करने की कार्यवाही शुरू करने का कार्य सौंपा हुआ है। इस कार्य के लिए इस शाखा में 3 सम्पदा अधिकारी हैं, जिन्हें क्षतिपूर्ति का आकलन करने और बेदखल करने के लिए अपने कर्तव्य निभाने हेतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं। 1.4.98 से 31.3.99 की अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति शाखा द्वारा किये गये कार्य निम्नानुसार हैं:

1. 1.4.98 से 31.3.99 तक लगभग 1,35,93,739 रूपये की क्षतिपूर्ति की कुल वसूली
2. 1.4.98 को क्षतिपूर्ति के कुल मामलों की संख्या 872 है।
3. क्षतिपूर्ति के मामलों की कुल संख्या जो दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 के बाद शामिल किए गए। — 165
4. सम्पदा अधिकारी द्वारा निर्णीत क्षतिपूर्ति के मामलों की कुल संख्या — 195
5. दिनांक 1.4.98 को बेदखली करने के मामलों की संख्या — 1188
6. 1.4.98 से 31.3.99 के दौरान शामिल किए गए मामलों की कुल संख्या — 57
7. दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 के दौरान निर्णीत बेदखल करने के मामलों की संख्या — 78+121
   (बेदखल करने के 121 मामले भू स्वामित्व एजेन्सी को वापस कर दिए गए)

10.1.7 प्रवर्तन शाखा को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि भूमि ओर भवनों का निम्नलिखित रूप से पठित दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29(2) में उपलब्ध मुख्य योजना में दिए गए मानदण्डों के विरूद्ध उपयोग नहीं किया जाए।

धारा 29(2)

वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का उपयोग धारा 14 के उपबन्धों के उल्लंघन में या उस धारा के परंतुक के अधीन विनियमों द्वारा निहित किन्हीं निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में करेगा, जुर्माने से, जो 5000/– रू. तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, दो सौ पचास रू. तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 की अवधि के दौरान चलाए गए अभियोजन के मामलों की स्थिति और न्यायालय द्वारा लगाया गया दण्ड इस प्रकार है:

1. 1.4.98 से 31.3.99 तक चलाए गए अभियोजन के मामले — 298
2. अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगाया गया दण्ड — 5,04,300/– रू.

10.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग, नजूल करार, 1937 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तत्कालीन दिल्ली सुधार न्यास को सौंपी गई 24 राजस्व सम्पदाओं को भूमि और व्यापक पैमाने पर भूमि अधिग्रहण एवं निपटान योजना के अंतर्गत दि. वि.प्रा. के निपटान वाली भूमि का प्रबंध कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त भूमि निपटान विभाग, पैकेज डील के अंतर्गत पुनर्वास मंत्रालय द्वारा अंतरित भूमि का प्रशासन कार्य भी देखता है। भूमि निपटान विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न शाखाओं का कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

10. भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग

10.1 भूमि प्रबंध

10.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल भूमि को नियंत्रण में लेने के अतिरिक्त यह 1957 के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल–2 भूमि का प्रबंध एवं देख–रेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो पुनर्वास मंत्रालय से पैकेज के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के एल. एंड डी.ओ. विभाग की भी कुछ भूमि देखभाल एवं रख–रखाव द्वारा उपयोग एवं आबंटित की जाती है।

40 पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम एवं 28 सी एन जी स्थल आबंटित किए।

10.1.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है:

1. भूमि का अधिग्रहण
2. पैट्रोल पम्प और गैस के गोदामों के लिए स्थलों का आबंटन
3. भूमि के रिकार्ड का रख–रखाव
4. अतिक्रमणों से भमि की सुरक्षा
5. दुरूपयोग के विरूद्ध मुख्य योजना धारा का प्रवर्तन।

10.1.3 यह विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण में तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–1 भूमि और दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की नीति के अंतर्गत अधिग्रहीत नजूल–2 भूमि से संबंधित कार्य करता है। 31.3.99 तक कुल 62707.08 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई, जिसमें से 59542.78 एकड़ भूमि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निपटान करने के लिए निर्धारित की गई है।

195 एकड़ भूमि मुक्त कराने के लिए अवैद्य निर्माण गिराने के 281 अभियान आयोजित।

10.1.4 वर्ष 1998–99 के दौरान नया पट्टा शाखा ने 40 पैट्रोल पम्प और 13 गैस गोदामों 28 सी एन जी स्थलों के लिए स्थलों का आबंटन किया। भूमि प्रबंध विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्य अतिक्रमण से भूमि की रक्षा करना है। भूमि की रक्षा के लिए दि.वि.प्रा. ने छह फील्ड जोन स्थापित किये हैं:– पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, रोहिणी जोन, दक्षिणी पूर्वी जोन, दक्षिणी पश्चिमी जोन।

प्रर्वतन शाखा द्वारा चलाए गए अभियोजन में 290 मामले।

डी.डी.ए. द्वारा संरक्षा में विकसित भूमि पर निर्मित सहकारी ग्रामवासियों के फ्लैट।

10.1.5 प्रत्येक जोन के प्रमुख संयुक्त निदेशक/उप निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता लिपिकीय एवं फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। डी.डी.ए. की भूमि पर नियमित रूप से इन सुरक्षा गार्डों द्वारा निगरानी रखी जाती है, जिन्हें विशेष बीट क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। अतिक्रमण की प्रवृति को रोकने के लिए निर्माण गिराने की योजना नियमित रूप से बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से उसे पूरा किया जाता है। अप्रैल, 98 से मार्च, 99 तक डी.डी.ए. ने 281 डिमोलेशन अभियान चलाए और डी.डी.ए. की 195 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस प्रक्रिया में 2912 ढांचे हटाए गए। भूमि प्रबंध विभाग ने पिछले एक वर्ष के दौरान निर्माण गिराने के कुछ मुख्य अभियान चलाए जिनकी भूमि माफिया को छोड़कर समाज के सभी वर्गों एवं प्रैस मीडिया ने प्रशंसा की है। इस कार्य से डी.डी.ए. की छवि एक उस एजेंसी के रूप में बनी है जो अपनी भूमि की रक्षा प्रभावशाली ढंग से करती है।

कभी–कभी निर्माण गिराने के अभियानों में मुकदमे बाजी और पुलिस बल की व्यस्तता के कारण अनुपलब्धता की वजह से विलम्ब भी हो जाता है। इस अवधि के दौरान डी.डी.ए. ने कुछ महत्वपूर्ण न्यायालय मुकदमें भी जीते हैं, जिनमें बहुत बढ़िया भूमि के भाग भी शामिल हैं।

10.1.6 क्षतिपूर्ति शाखा को दि.वि.प्रा. के नियंत्रण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों के कारण हुई क्षतिपूर्ति का पी.पी.एक्ट के अंतर्गत आकलन/वसूली करने और सरकारी भूमि पर बसे अनधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत बेदखल करने की कार्यवाही शुरू करने का कार्य सौंपा हुआ है। इस कार्य के लिए इस शाखा में 3 सम्पदा अधिकारी हैं, जिन्हें क्षतिपूर्ति का आकलन करने और बेदखल करने के लिए अपने कर्तव्य निभाने हेतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं। 1.4.98 से 31.3.99 की अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति शाखा द्वारा किये गये कार्य निम्नानुसार हैं:

1. 1.4.98 से 31.3.99 तक लगभग 1,35,93,739 रूपये की क्षतिपूर्ति की कुल वसूली
2. 1.4.98 को क्षतिपूर्ति के कुल मामलों की संख्या 872 है।
3. क्षतिपूर्ति के मामलों की कुल संख्या जो दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 के बाद शामिल किए गए। 165
4. सम्पदा अधिकारी द्वारा निर्णीत क्षतिपूर्ति के मामलों की कुल संख्या 195
5. दिनांक 1.4.98 को बेदखली करने के मामलों की संख्या 1188
6. 1.4.98 से 31.3.99 के दौरान शामिल किए गए मामलों की कुल संख्या 57
7. दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 के दौरान निर्णीत बेदखल करने के मामलों की संख्या (बेदखल करने के 121 मामले भू स्वामित्व एजेन्सी को वापस कर दिए गए) 78+121

10.1.7 प्रवर्तन शाखा को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि भूमि ओर भवनों का निम्नलिखित रूप से पठित दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29(2) में उपलब्ध मुख्य योजना में दिए गए मानदण्डों के विरूद्ध उपयोग नहीं किया जाए।

धारा 29(2)

वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का उपयोग धारा 14 के उपबन्धों के उल्लंघन में या उस धारा के परंतुक के अधीन विनियमों द्वारा निहित किन्हीं निबंधनों ओर शर्तों के उल्लंघन में करेगा, जुर्माने से, जो 5000/– रू. तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, दो सौ पचास रू. तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

दिनांक 1.4.98 से 31.3.99 की अवधि के दौरान चलाए गए अभियोजन के मामलों की स्थिति और न्यायालय द्वारा लगाया गया दण्ड इस प्रकार है:

1. 1.4.98 से 31.3.99 तक चलाए गए अभियोजन के मामले 298
2. अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगाया गया दण्ड 5,04,300/– रू.

10.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग, नजूल करार, 1937 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तत्कालीन दिल्ली सुधार न्यास को सौंपी गई 24 राजस्व सम्पदाओं को भूमि और व्यापक पैमाने पर भूमि अधिग्रहण एवं निपटान योजना के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के निपटान वाली भूमि का प्रबंध कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त भूमि निपटान विभाग, पैकेज डील के अंतर्गत पुनर्वास मंत्रालय द्वारा अंतरित भूमि का प्रशासन कार्य भी देखता है। भूमि निपटान विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न शाखाओं का कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

7 प्लाट नीलामी के द्वारा 322.33 लाख रू. के प्राशुल्क पर निपटाए गए।

वैकल्पिक प्लॉटों के आबंटितियों से प्राशुल्क के रूप में 318.10 लाख रू. की वसूली की गई।

संघटन शुल्क के रूप में 71 लाख रू. वसूल किये गए।

215 मामलों में नामान्तरण की अनुमति दी गई। आवासीय शाखा द्वारा 1258 मामलों में और सहकारी समिति शाखा द्वारा 1186 मामलों में लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड की अनुमति दी गई।

निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण 51 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गये।

10.2.1 पट्टा प्रशासन शाखा (आवासीय):

पट्टा प्रशासन शाखा, दिल्ली में भूमि के व्यापक पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें वैकल्पिक प्लॉटों के आबंटन ओर नीलामी द्वारा आवासीय प्लाटों का निपटान कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, यह शाखा नामांतरण, अंतरण, बंधक–अनुमति देने एवं पट्टा धारिता अधिकारों को फ्री–होल्ड में परिवर्तित करने, जैसे पट्टा प्रशासन से संबंधित कार्यों को करती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई :

- 322.33 लाख रू. के प्राशुल्क पर नीलामी द्वारा 7 प्लाटों का निपटान किया गया। इसमें से 117.00 लाख रू. बयाना राशि द्वारा प्राप्त किए गए।
- वैकल्पिक प्लाटों के आबंटितियों से प्राशुल्क के संबंध में 318.10 लाख रू. वसूल किए गए हैं।
- संघटन शुल्क के संबंध में 71.00 लाख रू. वसूल किए गए हैं।
- 215 मामलों में नामांतरण की अनुमति दी गई।
- 1258 मामलों में लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की अनुमति दी गई।
- 248 मामलों में प्लाटों का वास्तविक कब्जा सौंपा गया।
- 248 मामलों में पट्टे निष्पादित/पंजीकृत किए गए।

10.2.2 सहकारी समिति कक्ष

सहकारी आवास निर्माण समिति कक्ष ऐसी 126 सहकारी समितियों के कार्य देखती है, जिन्हें प्लाटों के विकास के लिये भूमि आबंटित की गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई:

- 30 मामलों में उप पट्टा विलेख निष्पादित किए गए।
- 1186 मामलों में लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की अनुमति दी गई।
- 178 मामलों में नामांतरण की अनुमति दी गई।
- उप पट्टा विलेखों की शर्तों के अनुच्छेदों का उल्लंघन करने अर्थात निर्माण न करने, बेनामी विक्रय/दुरूपयोग आदि के संबंध में 51 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
- 15 मामलों में बंधक अनुमति दी गई।
- संघटन शुल्क/अनर्जित वृद्धि के संबंध में 935.97 लाख रू. वसूल किए गए।

10.2.3 भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी), रोहिणी आवासीय योजना, 1981 के पंजीकृत व्यक्तियों को म.आ.व., नि.आ.वर्ग. एवं जनता जैसी विभिन्न श्रेणियों को प्लाटों के आबंटन का कार्य एवं रोहिणी में प्लाटों का नीलामी द्वारा निपटान करने का कार्य करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई ।:

- 448 मामलों में कब्ज़ा पत्र जारी किए गए।
- 68 मामलों में मांग–पत्र जारी किए गए।
- 69 मामलों में नामांतरण की अनुमति दी गई।
- 1312 लाख रू. के प्राशुल्क पर नीलामी द्वारा 61 प्लाट बेचे गए।

10.2.4 पट्टा प्रशासन शाखा (रोहिणी)

यह शाखा मुख्य रूप से, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करने के कार्य के अतिरिक्त रोहिणी आवासीय योजना में आवंटित/नीलाम किए गए प्लाटों के संबंध में पट्टा विलेख जारी/निष्पादित करने का कार्य देखती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई:

- 1648 मामलों में पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख जारी किए गए।
- 1871 मामलों में पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए।
- 1563 मामलों में समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी गई।
- 40 मामलों में बंधक अनुमति दी गई।
- 64 मामलों में नामांतरण/अंतरण की अनुमति दी गई।
- 504 मामलों में लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की अनुमति दी गई।
- संघटन शुल्क इत्यादि के रूप में 154.00 लाख रू. वसूल किए गए।

10.2.5 औद्योगिक शाखा

82 संस्थाओं एवं 48 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आबंटित की गई।

औद्योगिक शाखा नीलामी/आबंटन के द्वारा औद्योगिक प्लाटों के निपटान का कार्य करती है। निपटान के अतिरिक्त, यह शाखा पट्टा निष्पादन और पट्टा प्रशासन का कार्य भी देखती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई–

किए गए आबंटनों की संख्या	48
निष्पादित किए गए पट्टा विलेखों की संख्या	58
दी गई बंधक अनुमति की संख्या	26
समयावधि बढ़ाई गई	105
किराए पर देने की अनुमति	01
पट्टे रद्द किए गए	12
कब्जा पत्रा जारी किए गए	53
पी.वी.टी में नामांतरण/परिवर्तन	57
कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	780
लक्षित राशि, करोड़ों में	15.84 करोड़
प्राप्त राशि	10.45 करोड़

10.2.6 सांस्थानिक शाखा

सांस्थानिक शाखा सामाजिक–सांस्कृतिक, सरकारी एवं अर्ध सरकारी, डाक एवं तार विभाग, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली नगर निगम, दि.वि.बोर्ड, धार्मिक, प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल जैसी विभिन्न संस्थानों को भूमि आबंटित करने का कार्य करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई:–

किये गये आबंटन की संख्या	82
निष्पादित किये गये पट्टा विलेखों की संख्या	11
प्रदान की गई बंधक अनुमति की संख्या	17
जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या	63
समय बढ़ाने की अनुमति दिये गये मामलों की सं.	61
प्राप्त की गई कुल राशि	64.79 करोड़

कल्याणिया सराय में सांस्थानिक विकास किया गया।

10.2.7 पुरानी योजना शाखा

पुरानी योजना शाखा 24 राजस्व सम्पदाओं के अलावा किंग्जवे कैम्प के पुनर्विकास के अंतर्गत निपटान, पैकेज डील के अंतर्गत पुनर्वास मंत्रालय की भूमि के अंतरण के कार्य करती है। यह शाखा गाडगिल आश्वासन योजना के अंतर्गत आने वाले प्लाटों को नियमित करने के कार्य को भी करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई:

नीलाम किए गए आवासीय प्लाट	13
नीलामी के द्वारा प्राप्त राजस्व	4.00 करोड़

- निष्पादित पट्टा विलेख 51
- परिवर्तन के मामलों में अनुमति दी गई 189
- समयावधि बढ़ाने के मामले 32
- नामांतरण और दुरूपयोग नोटिस 68
- मांग पत्र जारी किए गए 212

10.2.8 **व्यावसायिक भूमि शाखा**

व्यावसायिक भूमि शाखा दि.वि.प्रा. द्वारा अपने विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों में विकसित किये गये व्यावसायिक प्लाटों, मिश्रित भूमि उपयोग प्लाटों के निपटान का कार्य करती है। व्यावसायिक प्लाट नीलामी/निविदा/आबंटन द्वारा निपटाये जाते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

नीलामी द्वारा 60 व्यावसायिक प्लाट और टैंडर से 515 निर्मित इकाइयों का निपटान किया गया।

- नीलाम किये गये प्लाटों की संख्या 60
- लाटरी के ड्रा द्वारा पी.वी.सी. डीलर्रा को आबंटित किये गये प्लाटों की संख्या 1043
- उन मामलों की संख्या, जिनमें वास्तविक कब्जा दिया जा चुका है। 252
- निष्पादित किये गये पट्टा विलेख 182
- नामांतरण की अनुमति वाले मामले 20
- जिन मामलों में समय बढ़ाने की अनुमति दी गई 40
- प्रदान की बंधक अनुमति 25
- प्राशुल्क के रूप में वसूल की गई राशि 119.17 करोड रूपये

लाटरी द्वारा 294 निर्मित इकाइयां आबंटित की गई।

10.2.9 **व्यावसायिक संपदा**

व्यावसायिक संपदा शाखा विशेष आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूमि अधिग्रहीत श्रेणी, स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों को बिन बारी आबंटन आधार पर और सरकार विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लिए प्राधिकरण के विभिन्न संकल्पों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, को नीलामी, निविदा ओर आबंटन द्वारा निर्मित व्यावसायिक सम्पत्तियों के निपटान का कार्य करती है। इस शाखा द्वारा लाइसेंस शुल्क आधार पर निविदाओं द्वारा पार्किंग स्थलों के निपटान का कार्य भी किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

- नीलामी/निविदा के माध्यम से निपटायी गई निर्मित इकाइयों की संख्या, जिसमें दुकान–कार्यालय, स्टॉल शामिल हैं 515
- प्राशुल्क के रूप में वसूल की गई कुल राशि 45.29 करोड़ रू
- निष्पादित किये गये पट्टा विलेख/अंतरण विलेखों की संख्या 297
- लाइसेंस शुल्क के आधार पर नीलामी/निविदा द्वारा निपटाये गये पार्किंग स्थलों की संख्या 13
- लाटरी के ड्रा में आबंटित की गई निर्मित इकाइयों की संख्या 294

सामुदायिक केन्द्र, साकेत।

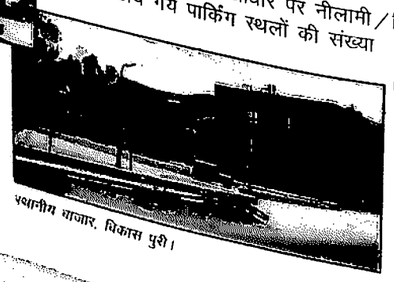

स्थानीय बाजार, विकास पुरी।

11. कार्मिक विभाग।

11.1 प्राधिकरण में कार्मिक विभाग का कार्य/कार्मिक शक्ति को इस प्रकार अनुप्रेरित करना है जिससे कि लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और उनमें टीम के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति भी पैदा हो। इसका उद्देश्य नेतृत्व के गुण और अभिरूचि का विकास करना भी है, जिससे कार्मिक संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से परिचित हो सकें।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कार्मिक विभाग ने कार्यक्षमता सुधार और कल्याणकारी उपायों द्वारा अपने कर्मचारियों की इच्छाओं को पूरा करने के प्रति संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के ठोस प्रयास किये हैं। वर्ष के दौरान किये गये विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैः–

समूह क, ख, एवं ग में कुल 152 पदोन्नतियां की गई। पेंशन के 19 अनुकम्पा मामले निपटाए गए।

11.2 **भर्ती**

सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की ग्रुप "क", "ख", "ग" एवं "घ" में सीधी भर्ती निम्नानुसार की गई:–

ग्रुप	सामान्य	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अन्य पिछड़े वर्ग से	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल
क.	7	1	–	1	–	9
ख.	7	1	1	–	–	9
ग.	14	1	–	6	–	21
घ.	–	–	–	–	–	–
कुल	28	3	1	7	–	39

समूह क के अधिकारियों के लिए उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदत्त करने वाला वैधीकरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया।

श्रेणी क,ख,ग, एवं घ में निम्नानुसार पदोन्नति की गई:–

क.	23	–	–	–	23
ख.	47	15	3	–	65
ग.	52	7	5	–	64
घ.	29	10	–	–	39
कुल	151	32	8	–	191

टिप्पणी– दिल्ली उच्च न्यायालय आदेश की एल.पी.ए.सं.–313/98 के अनुसार श्रेणी–4 के कुल 88 कर्मचारी नि.श्रे.लि. के पद पर पदोन्नत किये गये (सामान्य–78, अनुसूचित जाति–8 एवं शारीरिक रूप से विकलांग–2)

11.3 **ग्रुप "क" के अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड**

11.4 सेलेक्शन ग्रेड का लाभ 6 अधिकारियों को दिया गया।

ग्रुप "ख" के कर्मचारियों को स्व स्थाने (इन–सिटू) पदोन्नति

11.5 ग्रुप "ख" के 222 कर्मचारियों को स्व स्थाने (इन सिटू) पदोन्नति का लाभ दिया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा करने के लिए कुल मिलाकर विभागीय पदोन्नति समिति की 45 बैठकें आयोजित की गई। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कुल 152 पदोन्नति की गईः–

ग्रुप "क"	23
ग्रुप "ख"	65
ग्रुप "ग"	64
	152

11.6 **दक्षता रोध पार करना**

विभिन्न श्रेणियों के कुल 103 कर्मचारियों को दक्षता रोध पार करने की स्वीकृति दी गई।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उन्हें दी जाने वाली राशि का चैक और स्मृति–चिन्ह भेंट करते हुए उपाध्यक्ष।

- निष्पादित पट्टा विलेख 51
- परिवर्तन के मामलों में अनुमति दी गई 189
- समयावधि बढ़ाने के मामले 32
- नामांतरण और दुरूपयोग नोटिस 68
- मांग पत्र जारी किए गए 212

10.2.8 **व्यावसायिक भूमि शाखा**

व्यावसायिक भूमि शाखा दि.वि.प्रा. द्वारा अपने विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों में विकसित किये गये व्यावसायिक प्लाटों, मिश्रित भूमि उपयोग प्लाटों के निपटान का कार्य करती है। व्यावसायिक प्लाट नीलामी/निविदा/आबंटन द्वारा निपटाये जाते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

नीलामी द्वारा 60 व्यावसायिक प्लाट और टेंडर से 515 निर्मित इकाइयों का निपटान किया गया।

- नीलाम किये गये प्लाटों की संख्या 60
- लाटरी के ड्रा द्वारा पी.वी.सी. डीलर्स को आबंटित किये गये प्लाटों की संख्या 1043
- उन मामलों की संख्या, जिनमें वास्तविक कब्जा दिया जा चुका है। 252
- निष्पादित किये गये पट्टा विलेख 182
- नामांतरण की अनुमति वाले मामले 20
- जिन मामलों में समय बढ़ाने की अनुमति दी गई 40
- प्रदान की बंधक अनुमति 25
- प्राशुल्क के रूप में वसूल की गई राशि 119.17 करोड रूपये

10.2.9 **व्यावसायिक संपदा**

व्यावसायिक संपदा शाखा विशेष आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूमि अधिग्रहीत श्रेणी, स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों को बिन बारी आबंटन आधार पर और सरकार विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लिए प्राधिकरण के विभिन्न संकल्पों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, को नीलामी, निविदा ओर आबंटन द्वारा निर्मित व्यावसायिक सम्पत्तियों के निपटान का कार्य करती है। इस शाखा द्वारा लाइसेंस शुल्क आधार पर निविदाओं द्वारा पार्किंग स्थलों के निपटान का कार्य भी किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

- नीलामी/निविदा के माध्यम से निपटायी गई निर्मित इकाइयों की संख्या, जिसमें दुकान–कार्यालय, स्टॉल शामिल हैं 515
- प्राशुल्क के रूप में वसूल की गई कुल राशि 45.29 करोड़ रू
- निष्पादित किये गये पट्टा विलेख/अंतरण विलेखों की संख्या 297
- लाइसेंस शुल्क के आधार पर नीलामी/निविदा द्वारा निपटाये गये पार्किंग स्थलों की संख्या 13
- लाटरी के ड्रा में आबंटित की गई निर्मित इकाइयों की संख्या 294

सामुदायिक केन्द्र, साकेत।

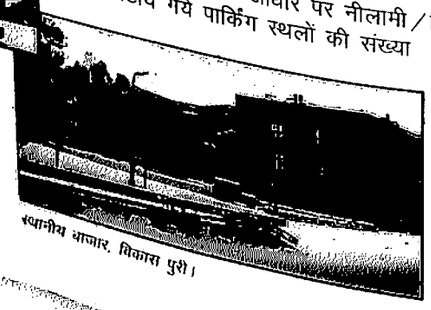

स्थानीय बाजार, विकास पुरी।

11. कार्मिक विभाग

11.1 प्राधिकरण में कार्मिक विभाग का कार्य/कार्मिक शक्ति को इस प्रकार अनुप्रेरित करना है जिससे कि लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और उनमें टीम के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति भी पैदा हो। इसका उद्देश्य नेतृत्व के गुण और अभिरूचि का विकास करना भी है, जिससे कार्मिक संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से परिचित हो सकें।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कार्मिक विभाग ने कार्यक्षमता सुधार और कल्याणकारी उपायों द्वारा अपने कर्मचारियों की इच्छाओं को पूरा करने के प्रति संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के ठोस प्रयास किये हैं। वर्ष के दौरान किये गये विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैंः–

11.2 **भर्ती**

सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की ग्रुप "क", "ख", "ग" एवं "घ" में सीधी भर्ती निम्नानुसार की गईः–

ग्रुप	सामान्य	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अन्य पिछड़े वर्ग से	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल
क.	7	1	—	1	—	9
ख.	7	1	1	—	—	9
ग.	14	1	—	6	—	21
घ.	—	—	—	—	—	—
कुल	28	3	1	7	—	39

श्रेणी क,ख,ग, एवं घ में निम्नानुसार पदोन्नति की गईः–

क.	23	—	—	—	—	23
ख.	47	15	3	—	—	65
ग.	52	7	5	—	—	64
घ.	29	10	—	—	—	39
कुल	151	32	8	—	—	191

टिप्पणी– दिल्ली उच्च न्यायालय आदेश की एल.पी.ए.सं.–313/98 के अनुसार श्रेणी–4 के कुल 88 कर्मचारी नि.श्रे.लि. के पद पर पदोन्नत किये गये (सामान्य–78, अनुसूचित जाति–8 एवं शारीरिक रूप से विकलांग–2)

11.3 **ग्रुप "क" के अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड**

11.4 सैलेक्शन ग्रेड का लाभ 6 अधिकारियों को दिया गया।

ग्रुप "ख" के कर्मचारियों को स्व स्थाने (इन–सिटू) पदोन्नति

11.5 ग्रुप "ख" के 222 कर्मचारियों को स्व स्थाने (इन सिटू) पदोन्नति का लाभ दिया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा करने के लिए कुल मिलाकर विभागीय पदोन्नति समिति की 45 बैठकें आयोजित की गई। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कुल 152 पदोन्नति की गईः–

ग्रुप "क"	
ग्रुप "ख"	23
ग्रुप "ग"	65
	64
	152

11.6 **दक्षता रोध पार करना**

विभिन्न श्रेणियों के कुल 103 कर्मचारियों को दक्षता रोध पार करने की स्वीकृति दी गई।

समूह क, ख, एवं ग में कुल 152 पदोन्नतियां की गई। पेंशन के 19 अनुकम्पा मामले निपटाए गए।

समूह क के अधिकारियों के लिए उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदत्त करने वाला वैधीकरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उन्हें दी जाने वाली राशि का चैक और स्मृति–चिन्ह भेंट करते हुए उपाध्यक्ष।

11.7 **अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति**
रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनुकम्पा आधार पर कुल 19 नियुक्तियां की गई (समूह "ग" के 2 ओर समूह "घ" के 17 कर्मचारी)

11.8 **वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट**
वर्ष 1998–99 के दौरान कुल 5966 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त की गई।

11.9 **पेंशन प्रदान करने के मामले**
दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवा–निवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी देय राशि का भुगतान करने की पद्धति आरंभ की गयी है। देय राशि का भुगतान प्रत्येक माह एक समारोह का आयोजन करके किया जाता है। पारिवारिक पेंशन सहित 111 पेंशन मामले, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार निपटाये गये:

ग्रुप "क"	10
ग्रुप "ख"	07
ग्रुप "ग"	21
ग्रुप "घ"	73
	111

प्रधान आयुक्त, दि.वि.प्रा., प्राधिकरण के एक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति पर उनकी बकाया राशि का चेक एवं स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए।

11.10 **अनुशासनात्मक मामले**
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रेणियों के 57 अनुशासनात्मक मामलों पर कार्रवाई की गई, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

ग्रुप "क"	0
ग्रुप "ख"	9
ग्रुप "ग"	48
ग्रुप "घ"	0
	57

आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. एक कर्मचारी को सेवा–निवृत्ति पर उनकी बकाया राशि का चेक एवं स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए।

11.11 इस वर्ष के दौरान 73 अनुशासनात्मक मामले निपटाये गये।

11.12 **कैडर की समीक्षा**
इंजीनियरिंग और प्रशासन के कैडर की समीक्षा पूरी कर ली गई तथा मंत्रालय के अनुमोदन से आदेश जारी किये गये। उद्यान, सुरक्षा, विधि, लेखा, योजना, जैसी अन्य श्रेणियों के कैडर की समीक्षा भी की जा रही है।

शिकायत दूर करना
कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने 12.00 बजे दोपहर से 1.00 बजे अपराह्न तक का समय दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए आगन्तुक समय के रूप में निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त आयुक्त (कार्मिक) भी कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए हर बुधवार को 3.00 बजे अपराह्न में कर्मचारियों से मिलते हैं।

11.13 **कर्मचारियों की स्थिति**

समूह	सामान्य	अनु.जा.	अनु.जन.जा.	कुल
ग्रुप "क"	357	41	5	403
ग्रुप "ख"	1034	190	27	1251
ग्रुप "ग"	5571	833	60	6464
ग्रुप "घ"	2223	1133	34	3390
कुल	9185	2197	126	11508
दिनांक 31.10.98 को वर्कचार्ज (नियमित) कर्मचारी				12088
				23596

11.14 वर्ष 1998–99 के दौरान, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. को कुछ समय अवधि के लिए समूह "क" अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक शक्तियां न होने सम्बन्धी काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े मामले का संसद द्वारा वैधकरण अधिनियम के प्रावधान द्वारा समाधान किया गया।

12. खेल–कूद

12.1 दिल्ली मुख्य योजना, 2001 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दि.वि.प्रा. ने 1989 में खेल–परिसरों का विकास करना प्रारंभ किया। अब तक 8 खेल परिसरों का विकास किया गया है और ये परिसर पूर्णतः कार्यशील है। ये खेल परिसर पूरी दिल्ली में 8 मल्टी जिमों, खेल के 26 मैदानों और अनेक फिटनेस ट्रैल्स एवं पार्क के अतिरिक्त है। खेल परिसरों एवं मल्टी जिमें को खेल विंग चलाता है और उनका रखरखाव करता है, जबकि खेल के मैदानों फिटनेस

12.2 ट्रैल्स एवं पार्कों की देखभाल दि.वि.प्रा. का उद्यान विभाग करता है।
दि.वि.प्रा. सभी बड़े शहरों को खेल सुविधाएं देने का प्रत्येक प्रयास कर रहा है। अगले वर्ष 5 और खेल–परिसरों, 4 मल्टी जिमों एवं खेल के 10 अन्य

12.3 मैदानों का विकास करने का प्रस्ताव है।
इन खेल–सुविधाओं का विकास करने का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी देना ओर खेलों में लोगों को भागीदारिता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता के

12.4 प्रति जनता को जागरूक करना है।
उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, खेल सुविधाओं के विकास और खेल का वातावरण बनाने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राथमिकता देना जारी रहा। यह लक्ष्य अनेकों खेल–गतिविधियों, जैसे खेल उत्सव, टूर्नामेंट, लोगों को भागीदारिता के लिए प्रशिक्षण शिविर आदि आयोजित करके पूरा किया गया। खेल–परिसरों के प्रबंध में प्रशासन तथा वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान खेल सुविधाओं को बढ़ाने और नई सुविधाओं का विकास करने के हमारे प्रयास जारी रहे।

प्रस्तावित 5 खेल परिसरों, 4 मल्टीजिमों एवं खेल के 103 अतिरिक्त मैदानों का निर्माण।

सभी खेल परिसरों में उपलब्ध कराई गई खेल सुविधाएं।

पब्लिक गोल्फ कोर्स प्रारंभ किया गया।

खेल की मूल सुविधाओं का विकास:

12.5 **खेल–परिसर:**
पूरी तरह से कार्यशील सात खेल–परिसरों अर्थात् सिरीफोर्ट, साकेत, हरिनगर, पश्चिम विहार, रोहिणी, अशोक विहार एवं दिलशाद गार्डन स्थित पूर्वी दिल्ली खेल–परिसर में खेल–सुविधाओं को परिसरों के निजी संसाधनों से पर्याप्त रूप से उन्नत किया गया।
आठवां खेल परिसर अर्थात यमुना खेल परिसर दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा खेल परिसर है जो अपने विकास के अंतिम चरण में है। इस समय यह खेल–परिसर आंशिक रूप में कार्यशील है और इसके

12.6 जून–जुलाई, 1999 तक जनता की सदस्यता के लिए खोले जाने की आशा है।
इसके अतिरिक्त मौजूदा खेल–परिसरों में अनेकों चालू मुख्य परियोजनाओं, जिन्हें खेल, प्रबंध बोर्ड ने अनुमोदित किया था, इंजीनियरी विंग द्वारा विकास के विभिन्न चरणों में है। कुछ मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार है:–
(1) रीरी फोर्ट खेल परिसर में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम और पिच एंड पुट कोर्स।
(2) साकेत खेल परिसर में बच्चों के लिए तरण ताल, दो अतिरिक्त स्क्वैश कोर्ट एवं कवर्ड बैडमिंटन हाल।
(3) हरि नगर खेल परिसर में कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट।
(4) पश्चिम विहार खेल परिसर में तरण ताल और मल्टी जिम।

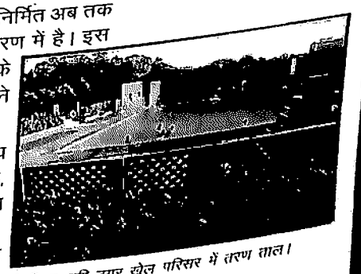

दि.वि.प्रा. हरि नगर खेल परिसर में तरण ताल।

(5) रोहिणी खेल परिसर में इंडोर बैडमिंटन हाल ओर मल्टी जिम।
(6) अशोक विहार खेल परिसर में क्रिकेट मैदान एवं कवर्ड बैडमिंटन हाल।
(7) पूर्वी दिल्ली खेल परिसर में मल्टी जिम एवं इंडोर बैडमिंटन हाल।
(8) यमुना खेल परिसर में सुविधा–भवन, एथलेटिक ट्रेक, कृत्रिम पर्वतारोहण दीवार, औलम्पिक आकार का तरणताल एवं क्रिकेट मैदानं
(9) शारीरिक विकलांगों के लिए तरणताल।
(10) खेल परिसरों में डीजल जेनरेटरों की व्यवस्था।

12.7 वर्ष के दौरान यमुना खेल परिसर के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सुविधा भवन का प्रथम चरण प्रयोग हेतु तैयार है जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, बैडमिन्टन कोर्ट, बिलियर्ड्स, बहुव्यायामशाला और टेबल टेनिस कक्ष आदि शामिल हैं।

इनके अलावा, एक कृत्रिम पर्वतारोहण दीवार ओर एक जोगिंग–ट्रैक लगभग पूरे हो चुके हैं। सुविधा भवन के फेज–2, एथलैटिक ट्रैक ओर तरण–ताल के विकास का काफी काम हो चुका है। यह कॉम्प्लैक्स जून/जुलाई, 99 तक पूर्णतया चालू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग का कार्य तथा जल–व्यवस्था अभी की जानी है।

12.8 पीतमपुरा खेल परिसर का निर्माण करने में पर्याप्त प्रगति हुई, जिस पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्य आरंभ किया गया था। वसंत कुंज खेल–परिसर ओर चिल्ला खेल परिसर में कार्य प्रगति पर है।

12.9 निम्नलिखित खेल परिसरों को वर्ष 99–2000 के दौरान सदस्यता हेतु खोल दिए जाने की योजना है–

1. यमुना खेल परिसर
2. पीतमपुरा
3. वसंत कुंज
4. चिल्ला
5. जसोला
6. द्वारका

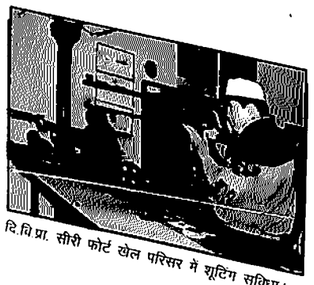

दि.वि.प्रा. सीरी फोर्ट खेल परिसर में शूटिंग सुविधा।

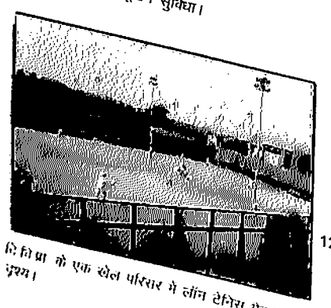

दि.वि.प्रा. के एक खेल परिसर में लॉन टेनिस मैदान का दृश्य।

12.10 **सार्वजनिक गोल्फ–मैदान (पब्लिक गोल्फ कोर्स)**

लाडो सराय के पब्लिक गोल्फ कोर्स, के विकास का काफी काम हो चुका है और इसके शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है। पूरा हो जाने के बाद इस मैदान को इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा और इसकी तैयारी का निरीक्षण सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा। यह गोल्फ कोर्स भारत में प्रथम पब्लिक गोल्फ कोर्स होगा और देश में एक नई प्रवृत्ति को जन्म देगा। प्रारंभ में इस कोर्स में 9 होल खोलने की योजना है। शेष होलों का कार्य भी साथ ही साथ आरंभ कर दिया जाएगा।

12.11 इस कोर्स को संचालित करने के लिए प्रबंध–व्यवस्थाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। सचिव, वित्तीय सलाहकार, एक कोर्स पर्यवेक्षक एवं सुरक्षा स्टाफ सहित केन्द्रीय स्टाफ (न्यूक्लीअस–स्टाफ) आदि पहले से ही नियुक्त हैं।

12.12 **पिच एन्ड पुट गोल्फ कोर्स**

दिल्ली विकास प्राधिकरण सीरीफोर्ट में एक फ्लड लाईट नाइट गोल्फ ड्राइविंग रेंज का निर्माण करने और इसे संचालित करने वाला देश का प्रथम प्राधिकरण है और शीघ्र ही हम सीरीफोर्ट में 9 होलों वाला एक पिच एन्ड पुट गोल्फ कोर्स का विकास करने वाले प्रथम होंगे। कार्य प्रगति पर है और इस कोर्स के 1999 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है। इस प्रकार सीरीफोर्ट खेल परिसर में एक स्थान पर ही ड्राइविंग, पिचिंग एंड पुटिंग की एकीकृत गोल्फ सुविधा की व्यवस्था हो जाएगी।

12.13 **बहु व्यायाम शालाएं (मल्टीजिम)**

खेल के मैदानों में 8 बहुव्यायामशालाएं पूर्णतया चालू हैं और पेशेवरों को लाइसेंस कर दी गई हैं। इन बहु–व्यायामशालाओं को व्यावसायिक तौर पर ही नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि ये नाम मात्र दर पर अनेक लोगों की सेवा कर रही है। इससे दि.वि.प्रा. को राजस्व की प्राप्ति हो रही है।

[illegible]

12.14 आगामी वर्ष के दौरान निम्नलिखित 4 बहुव्यायामशालाए चालू किए जाने का प्रस्ताव है:

1. सुन्दर विहार
2. सरिता विहार
3. प्रताप नगर
4. शाहदरा क्षेत्र में गोकुल पुरी

12.15 उपर्युक्त मल्टीजिमस के अतिरिक्त सीरी फोर्ट और साकेत खेल परिसरों में पूरी तरह सुसज्जित व्यायामशालाएं हैं, जबकि पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली खेल परिसर में लघु बहु–व्यायामशालाएं हैं। ये सभी व्यायामशालाए व्यावसायिक आधार पर चलाई जा रही हैं।

12.16 **क्रीडा–क्षेत्र**

इस समय 26 क्रीड़ा क्षेत्र हैं। 12 क्रीड़ा क्षेत्रों निदेशक (उद्यान) दक्षिण के अधीन हैं और 14 निदेशक (उद्यान) उत्तर के अधीन हैं। इन क्रीड़ा–क्षेत्रों का रखरखाव संबंधित उद्यान खंडों द्वारा किया जाता है ओर इन क्रीड़ा क्षेत्रों में समीपवर्ती खेल परिसर इन क्षेत्रों में कार्यकलापों की निगरानी रखते हैं।

12.17 **खेलकूद कार्यकलाप**

वर्ष 98–99 खेलकूदों एवं सहायक क्रियाकलापों का एक अत्याधिक व्यस्त वर्ष रहा है। सभी खेल परिसरों में काफी सुधार हुआ है। खेलकूल विंग की वार्षिक कार्य–योजना में वर्ष 98–99 हेतु निर्धारित अधिकतर लक्ष्य जन साधारण की भागीदारी ओर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर यथा नियोजित टूर्नामेंट आयोजित करके पूरे कर लिए गए हैं।

12.18 **जन भागीदारी**

प्रशिक्षण एवं प्रतिभा खोज– खेल परिसरों में निम्नलिखित खेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया–

1. क्रिकेट–यमुना खेल परिसर, सीरी फोर्ट और साकेत खेल परिसरों में मुख्य–मुख्य प्रशिक्षण स्कीमें चलाई जा रही हैं।
2. टेबल टेनिस – सीरी फोर्ट ने मई–जून, 98 के दौरान एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के अंतर्गत कोचिंग कैम्प आयोजित किए।
3. स्क्वैश – सीरी फोर्ट में ग्रीष्म एवं शरत [illegible] अवकाश, 98 के दौरान एक अल्पकालिक स्क्वैश क[illegible] चलाया गया।

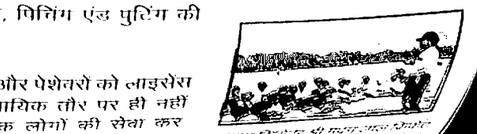

दि.वि.प्रा. ओपन हॉकी प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी देते हुए उपराज्यपाल।

4. **एरोबिक्स** – इसने दक्षिणी दिल्ली अर्थात सीरी फोर्ट और साकेत खेल परिसरों में बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। रीबौक से विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशिक्षक कक्षाएं लेते हैं। 300 से भी अधिक भागीदारों ने दैनिक आधार पर इन कक्षाओं में भाग लिया।
5. **योगा** – लगभग सभी परिसरों में प्रातः योगा की सुविधा है।
6. **ताइकवांडो / कराटे** – प्रत्येक परिसर में अनेक बच्चे शाम को आयोजित होने वाली ताइकवांडो / कराटे की कोचिंग कक्षाओं में शामिल होते हैं।
7. **रोलर स्कैटिंग** – यह खेल बच्चों में बहुत अधिक लोकप्रिय है। सीरीफोर्ट, अशोक विहार, रोहिणी ओर हरी नगर खेल परिसरों में शाम के समय स्कैटिंग रिंग सहित लड़कों ओर लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। इन परिसरों में निर्धारित समय के दौरान पेशेवर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

दि.वि.प्रा. अशोक विहार खेल परिसर में स्केटिंग प्रतियोगिता का एक दृश्य।

8. **तैराकी** – सीरी फोर्ट, साकेत, हरीनगर, अशोक विहार एवं पूर्वी दिल्ली खेल परिसरों में 15 अप्रैल, 99 तक सभी तरण ताल खोल दिए गए। इस प्रकार दिल्ली में तैराकी का वातावरण आरंभ करने वाली हमारी प्रथम संस्था थी। साकेत में तरण–ताल का उद्‌घाटन 15 अप्रैल, 98 को किया गया। इस तरण–ताल के चालू होने से सीरीफोर्ट पर भार काफी कम हो गया है। सभी तालाबों में तैराकी की सुविधा उचित दरों पर दी जाती है। विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं की काफी मांग है और अगले तैराकी मौसम में ऐसे कैम्प चलाए जाने की योजना है।
9. **टेनिस** – वर्ष के दौरान टेनिस कोचिंग स्कीमों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। परिसरों में राजस्व सांझा आधार पर कोचिंग देने के लिए पेशेवर व्यक्ति नियुक्त किए गए।

12.19 श्री मदनलाल और श्याम मिनोत्रा द्वारा क्रमशः सीरीफोर्ट और यमुना खेल परिसरों में क्रिकेट तथा टेनिस में विशेष प्रशिक्षण और प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

12.20 इन परिसरों में अधिकतर कोचिंग स्कीमें राजस्व साझा आधार पर चलाई जा रही हैं।

12.21 शरतकालीन खेल समारोह (25 अक्टूबर – 7 नवम्बर, 98) सभी परिसरों में निम्नानुसार काम्पलैक्स और आमंत्रण टूर्नामेंट आयोजित किए गए:

1) टेनिस, टेवल टैनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, बिलियर्ड्स और स्नूकर में काम्पलैक्स तथा इंटर काम्पलैक्स टूर्नामेंट आयोजित किए गए।
2) निम्नानुसार आमंत्रण टूर्नामेंट आयोजित किए गए–
   क. सीरीफोर्ट, पश्चिम विहार, रोहिणी और यमुना खेल परिसर में फुटबॉल
   ख. अशोक विहार खेल परिसर में बास्केट बाल
   ग. हरी नगर खेल परिसर में वालीबाल
   घ. साकेत खेल परिसर में शूटिंग बाल
   ड. पूर्वी दिल्ली खेल परिसर में कबड्डी

छठे दि.वि.प्रा. ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला ओपन सिंगल टाइटल्स की विजेता को उपराज्यपाल की ट्राफी प्रदान करते हुए श्री के.पी. लक्ष्मणराव, वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.।

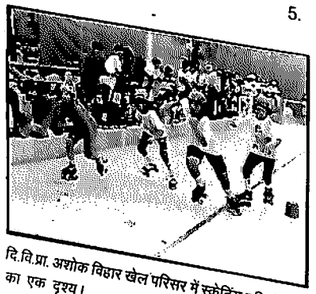

3) विशेष बच्चों के लिए खेलकूद – इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों के लिए खेलकूद निम्नानुसार आयोजित किए गए:
   क. रोहिणी खेल परिसर में मूक एवं बधिर के लिए क्रिकेट
   ख. साकेत खेल परिसर में नेत्रहीनो के लिए क्रिकेट
   ग. पूर्वी दिल्ली खेल परिसर और यमुना खेल परिसर में विकलांगों के लिए एथलैटिक्स आयोजित की गई।
   घ. हरी नगर खेल परिसर में नेत्रहीनों के लिए खेलकूद
4) समारोह में कुल भागीदारी 2,361 थी, (काम्पलैक्स और इंटर काम्पलैक्स टूर्नामेंट्स में 802 भागीदार, आमंत्राण टूर्नामेंटों में 988 और आम / विकलांगों हेतु टूर्नामेंट में 571 (इन मैचों में सदस्यों की भागीदारी बहुत ही अच्छी थी)

12.22 इंटर स्कूल एथलैटिक्सः उत्तरी दिल्ली पब्लिक स्कूलों द्वारा दिनांक 11 से 12 नवंबर, 98 तक रोहिणी खेल परिसर में इंटर स्कूल एथलैटिक्स आयोजित की गई। उत्तरी दिल्ली के 19 स्कूलों ने इसमें भाग लिया।

12.23 रोहिणी खेल परिसर में लगभग 300 छात्रों की भागीदारी सहित 24 और 25 दिसंबर, 1998 को इंटर स्कूल सब जूनियर एथलैटिक्स प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

12.24 मुख्य टूर्नामेंट
अशोक विहार खेल परिसर में 28 जून से 7 जुलाई, 98 तक डी.डी.ए. ओपन हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट अपने प्रकार का प्रथम टूर्नामेंट था, जिसमें 14 राज्य स्तरीय हॉकी टीमों ने भाग लिया। यह एक पुरस्कार टूर्नामेंट था जिसमें ट्राफियों के अतिरिक्त नकद इनाम भी बांटे गए

(1) विजेता – 41,000 / – रू.
(2) उप–विजेता – 21,000 / – रू.

12.25 छठा डी.डी.ए. ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट "एल.जी. कप टूर्नामेंट" के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह टूर्नामेंट सीरीफोर्ट खेल परिसर में दि. 27 से 31 जनवरी, 99 तक आयोजित किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट था जो कि डी.डी.ए. द्वारा लगातार 6 वर्ष आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ख्याती प्राप्त की है क्योंकि इसमें दिया जाने वाला सर्वोच्च नकद पुरस्कार लगभग 1.50 लाख रू. का है। इस टूर्नामेंट में 300 से भी अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया जो कि एक शानदार सफलता थी।

12.26 डी.डी.ए. इन्टर स्कूल चैम्पियनशिपः आयोजन (स्पोंसरशिप) की कमी के कारण साकेत में डी.डी.ए. इन्टर स्कूल टैनिस टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया जा सका तथापि, यदि आयोजक उपलब्ध नहीं हुए तो इस टूर्नामेंट को अगले वर्ष निम्न स्तर पर आयोजित करने की योजना है ताकि स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रतियोगिता एक वार्षिक रूप ले सके।

12.27 सामान्य प्रशासन
रखरखाव – प्रत्येक परिसर में सिविल, इलैक्ट्रिकल और उद्यान विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रों का नियमित एवं समयबद्ध भलीभांति रखरखाव किए जाने के

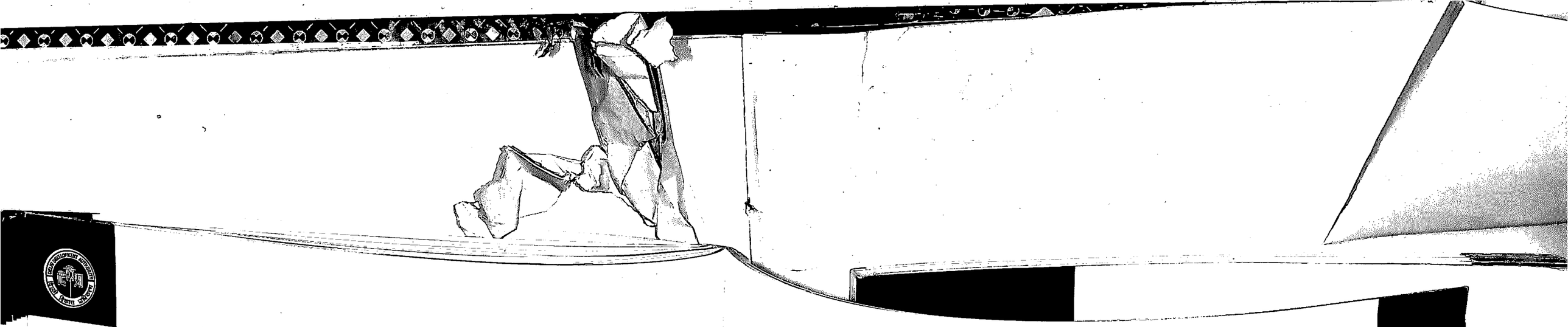

कारण रखरखाव का स्तर काफी ऊंचा रहा। परिसरों को साफ–सुथरा रखने ओर एक उत्तम वातावरण सृजित करने हेतु उद्यान विकसित करने पर जोर दिया गया।

12.28 साकेत खेल परिसर में परिसर संसाधनों के अंतर्गत फील्ड–स्टाफ और ड्राइवरों के लिए एक आधुनिक शौचालय विकसित किया गया। अब अन्य परिसर भी उसी प्रकार के शोचालयों का विकास कर रहे हैं।

12.29 खेल प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रत्येक परिसर मे रखरखाव स्टाफ हेतु कार्यालयों और स्टोरों की व्यवस्था करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इंजीनियरिंग विंग द्वारा इनका निर्माण हो जाने से रखरखाव स्टाफ को सुचारू रूप से कार्य करने में आसानी होगी। उद्यान विभाग हेतु पर्याप्त जल का अभाव चिंता का कारण है। आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खेल प्रबंध बोर्ड की 33वीं बैठक में, अतिरिक्त गहरे ट्यूबवैलों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था।

12.30 **परिसरों की सदस्यता** – पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, अशोक विहार और पश्चिम विहार खेल परिसरों में वर्ष के आरंभ में सदस्यता अभियान चलाया गया था। पूर्व खेल परिसर और अशोक विहार खेल परिसर में सदस्यता की प्रतिक्रिया काफी अच्छी थी, जबकि पश्चिम विहार खेल परिसर नए सदस्यों को आकर्षित करने में प्रभावहीन रहा। शायद यह इस काम्पलैक्स में तरणताल न होने के कारण था। हमारा यह अनुभव रहा है कि जहां पर भी तरणताल की व्यवस्था कर दी गई है, वह काम्पलैक्स एकदम ही लोकप्रिय हो गया है और वित्तीय रूप से आत्म निर्भर हो गया है।

12.31 सीरीफोर्ट और साकेत में सदस्यता लगभग समाप्त हो गई है। इस प्रकार इन परिसरों में सदस्यता प्रदान करना बहुत ही सीमित है और यह विवेकपूर्वक की जाती है।

12.32 सभी खेल परिसरों में सदस्यता हेतु अद्यतन आंकड़ा एकत्रित किया गया। आश्रित बच्चों के मामले में पत्येक 5 वर्ष में सदस्यता कार्ड परिवर्तित किए जा रहे हैं।

12.33 **टर्म मेम्बरशिप यमुना खेल परिशर:** यमुना खेल परिसर सबसे बड़ा खेल परिसर है जो कि 27.5 हेक्टे. से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 5 वर्ष के लिए सदस्यता अर्थात टर्म मेम्बरशिप हेतु एक प्रवर्तन स्कीम को खेलकूल प्रबंध बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। इस परिसर के लिए "सदस्यता" शब्द को अपनाना इस तथ्य के कारण है कि यह परिसर पूर्वी दिल्ली में अनेक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है तथा यह कि यहां पर अतिरिक्त खेल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे कृत्रिम पर्वतारोहण दीवार, दो क्रिकेट के मैदान, एथेलेटिक ट्रैक आदि।

12.34 **खेल परिसरों के लिए स्टाफ का चुनाव:** भर्ती नियमों के अनुसार सहायक प्रबंधकों, खेल पर्यवेक्षकों और खेल परिचरों के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आयुक्त (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया गया। तथापि, परिणाम अभी आने बाकी हैं। उपर्युक्त श्रेणियों में चुने गए कार्मिकों को परिसरों में शीघ्र ही तैनात किया जाएगा ताकि कमियां पूरी हो सकें।

12.35 **खेल–कूद परामर्श:** खेलकूद के क्षेत्र में डी.डी.ए. ने परामर्श देने की शुरूआत की है। मार्च, 99 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र दमन एण्ड दीव, दादरा एण्ड नगर हवेली के प्रशासक के निमंत्रण पर, लेजर एण्ड स्पोर्ट्स सेंटरों तथा क्षेत्र में गोल्फ कोर्स का विकास करने में उनकी सहायता करने के लिए वित्त

सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में एक परामर्श दल ने वहां जाकर भ्रमण किया। इस दल ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और संघ राज्य क्षेत्र से टोपोग्राफीकल, जनसंख्या संबंधित तथा अन्य संबंधत सूचनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी है। दि.वि.प्रा. के विधि विभाग के परामर्श से एक अनुबंध किया जा रहा है जो अब दोनों पार्टियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र दमन एण्ड दीव और दादरा एण्ड नगर हवेली को परामर्श देगा। वित्त सदस्य के संरक्षण में तथा निदेशक (खेलकूद), भू–दृश्यांकन, वास्तुकार इंजीनियरिंग, उद्यान एवं खेलकूद विभाग के प्रतिनिधियों के समन्वय से एक परामर्श कक्षा बनाया जा रहा है। प्रारंभ में खूलकूद के क्षेत्र में परामर्श देने हेतु डी.डी.ए. की ओर से इस सैल को 2 लाख रू. की प्रारंभिक राशि प्रदान की जाएगी।

12.36 **वित्त प्रबंध**– खेलकूल परिसरों के वित्तीय स्वरूप में पर्याप्त सुधार हुआ है। यह निम्न कारिणों से है:

1. उन्नत वित्तीय अनुशासन।
2. अंशदान की दरों में वृद्धि।
3. वकाया देयताओं की वसूली में सुधार।
4. राजस्व साझा आधार पर कोचिंग एवं अन्य खेलकूद क्रिया–कलापों हेतु संग्रहण/आय में वृद्धि

यद्यपि गत वर्षो की तुलना में आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन साथ ही साथ व्यय में भी काफी वृद्धि हुई है, इसके निम्न कारण हैं–

1. 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्टाफ के वेतनों में वृद्धि।
2. विद्युत टैरिफ में काफी वृद्धि ओर बहुत अधिक मुद्रा प्रसार को देखते हुए रखरखाव लागत व कीमत वृद्धि सहित प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य वृद्धि।

12.37 **आत्म निर्भरता**– पश्चिम विहार खेल परिसर के अतिरिक्त सभी परिसर आत्म निर्भर हो गए हैं। इस परिसर को पर्याप्त फंडस सृजित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। परिसर में प्रस्तावित तरण ताल और मल्टीजिम बनने के बाद स्थिति सुधर जाएगी।

12.38 **प्रवेश शुल्क**– पश्चिम विहार के अतिरिक्त, अन्य सभी परिसरों ने डी.डी.(मुख्यालय) के नजूल लेखा–2 में अद्यतन प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति कर दी है। यह प्रवेश शुल्क पिछली तिमाही के दौरान की गई प्राप्तियों के कारण प्रत्येक तिमाही में जमा की जाती है। अब तक डी.डी.ए. (मुख्यालय) को, प्रवेश शुल्क के कारण 14.6 करोड़ रू. की राशि वापिस की जा चुकी है।

12.39 **मासिक लेखा**– प्रत्येक परिसर का मासिक लेखा पिछले माह की 7 तारीख तक विधिवत् समाशोधित करके, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक नियमित रूप से मुख्य लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

12.40 **लेखा–परीक्षा**– सभी परिसरों के लेखाओं की लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के दल द्वारा की गई है। आडिट द्वारा कोई भी बड़ी अनियमितता नहीं देखी गई है। अधिकतर आपत्तियों का निपटान कर दिया गया है और शेष को बहुत ही तेजी से निपटाया जा रहा है।

दि.वि.प्रा. खेलकूद

12.41 **प्रस्तावना** – दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए खेलकूदों को प्रोत्साहित करता रहा है। ऐसा करने के लिए, यह क्रिकेट, हाकी और फुटबॉल टीमों तथा अन्य खिलाड़ियों को टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए दिल्ली और दिल्ली से बाहर भेजता रहता है। डी.डी.ए. प्रतिवर्ष विभिन्न इन्डोर गेम्स हेतु टूर्नामेंट भी आयोजित करता है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1998–99 के दौरान डी.डी.ए. कर्मचारियों के खूलकूद से संबंधित कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

12.42 **बाह्य खेलकूल (आउटडोर स्पोर्टस)**– डी.डी.ए. की टीमों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

क. **क्रिकेट** – डी.डी.ए. क्रिकेट टीम का प्रदर्शन काफीउत्साह–वर्द्धक रहा है। टीम ने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मैच जीते हैं। दिल्ली की यमुना पार क्रिकेट एसोसिएशन लीग में, डी.डी.ए. की टीम ने 8 मैचों में से 5 मैच जीते थे। अखिल भारतीय जिमखाना कप मैचों में, डी.डी.ए. सेमी फानइल स्टेज पर पहुंच गया था।

ख. **फुटबाल** – डी.डी.ए. की फुटबाल टीम ने नैनीताल में "अखिल भारतीय रामपुर चैलेंज कप" जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। यद्यपि टीम ने एक अन्य "अखिल भारतीय खेखड़ा कप" टुर्नामेंट में, जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस वर्ष ट्राफी को सुरक्षित नहीं रख सका। लीग मैचों में डी.डी.ए. की फुटबाल टीम क्वाटर फाइनल में पहुंच गई परन्तु औरिएंटल बैंक आफ कामर्स से पराजित हो गई।

ग. **हाकी**– वर्ष के दौरान डी.डी.ए. हाकी टीम का प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

घ. डी.डी.ए. की कैरम, टेबल टैनिस और चैस टीमों ने भी राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और काफी अच्छा प्रदर्शन किया।

ड. **व्यक्तिगत स्पर्धाऐं** – जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित दिल्ली स्टेट वैटरंस एथलैटिक्स प्रतियोगिता में, निम्नलिखित डी.डी.ए. कार्मिकों ने मैडल / प्रशंसा–पत्र जीते:

1. उद्यागन खण्ड–6 के तकनीकी पर्यवेक्षक, जयवीर सिंह ने लम्बीकूद और 100 मीटर की तेज़ दौड़ में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते।
2. महाराज किशन ने भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया।
3. श्री के.बी.एल.श्रीवास्ताव, उ.श्रे.लि.,आवास लेखा) ने दिल्ली में डा. भीमराव अम्बेड़कर चैस टूर्नामेंट जीता।

इंडोर स्पोर्ट्स

डी.डी.ए. कर्मचारियों में खेल प्रतिभा विकसित करने और खेल भावना जागृत करने हेतु बैडमिंटन, टेबल टैनिस, चैस, कैरम, बिलियर्ड्स और स्नूकर में वार्षिक इंडोर गेम्स आयोजित किए गए।

अक्टूबर, 98 से दिसम्बर, 99 के दौरान 12वें इंडोर गेम्स आयोजित किए गए। टूर्नामेंटों में 523 कर्मचारियों की एक रिकार्ड संख्या ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इंडोर गेम्स की 3 प्रतियोगिताएं अर्थात् वैडमिंटन, कैरम और टेबल टैनिस, समूह "क" अधिकारियों हेतु आयोजित की गई जिनमें 103 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

ट्रैकिंग अभियान – 20 सदस्यों की एक टीम ने प्रथम बार लगभग 13,200 फीट की ऊंचाई पर कफानी ग्लेशियर पर पदार्पण किया और मार्ग में हिमालय पर्वत पर सफाई की।

13. कोटि नियंत्रण कक्ष

13.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न अभियंताओं को समय–समय पर सौंपे गए इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने और साथ–ही–साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर फील्ड अभियंताओं को शिक्षित करने / मार्ग दर्शन करने के उद्देश्य से, मुख्य अभियंता (कोटि नियंत्रण) की निगरानी / प्रभार के अन्तर्गत सन् 1982 में कोटि नियंत्रण कक्ष की स्थापना हुई थी।

स्थल पर कोटि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निर्माण–सामग्री की जांच।

13.2 कोटि नियंत्रण कक्ष के तकनीकी स्टाफ में 5 अधिशासी अभियंता (सिविल) और एक अधिशासी अभियंता (इलेक्ट्रीकल), एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता होते हैं जो विभिन्न जोनों के सिविल और इलेक्ट्रीकल कार्यो का निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, एक अधीक्षण अभियंता (कोटि नियंत्रण), इन अधिशासी अभियंताओं के कार्यो की देखभाल करते हैं और अधीक्षण अभियंता (को.नि.) तथा मुख्य अभियंता (को.नि.) द्वारा भी उनके स्तरों पर विभिन्न जोनों के कार्यो का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। उद्यान–कार्यो का निरीक्षण करने ओर उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहायता हेतु एक सहायक निदेशक (उद्यान) भी कोटि नियंत्रण कक्ष की तकनीकी टीम का एक भाग हैं।

13.3 निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के आवधिक निरीक्षण, फील्ड स्टाफ को पूर्व सूचित करके तथा कभी–कभी बिना सूचना दिए भी किए जाते हैं। ये निरीक्षण निर्माण एवं सुधार के विभिन्न चरणों में किए जाते हैं, और जहां भी आवश्यक हो, वहां पर प्रत्येक चरण / स्तर पर सुझाव दिए जाते हैं ताकि स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित किया जा सके। इन निरीक्षणों में केवल निर्माण कार्य और निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप सामग्री की जांच पर ही जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि कार्य आरंभ होने से लेकर समाप्त होने तक निर्धारित प्रक्रिया / कार्यविधि और मानदंडों का अनुपालन किया जाता है।

कुल 341 निरीक्षण किये गये।

13.4 निरीक्षणों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि 7.00 लाख रू. से अधिक की लागत वाले सभी सिविल कार्यों और 1.00 लाख रू. की लागत वाले इलेक्ट्रीकल एवं उद्यान कार्यों का निरीक्षण निष्पादन के दौरान ही किया जा सके। निर्माण के मुख्य चरणों को कवर करने के लिए आवास एवं अन्य सभी मुख्य कार्यों का निरीक्षण एक उचित क्रम में किया जाता है। उदाहरण के रूप में, आवास कार्यों के मामले में, प्रथम निरीक्षण तब किया जाता है, जब कार्य लगभग प्लिंथ स्तर तक पहुंच चुका होता है और 15–20 प्रतिशत पूर्ण हो चुका होता है। द्वितीय निरीक्षण तब किया जाता है जब संरचनात्मक कार्य लगभग 40 से 50 प्रतिशत पूरा हो चुका होता है। तृतीय निरीक्षण ढांचा पूरा होने पर किया जाता है और फिनिशिंग कार्य चल रहा होता है तथा चौथा एवं अन्तिम निरीक्षण, कार्य समापन की अवस्था में किया जाता है, जब 90–95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाता है।

जांच के लिए 412 नमूने एकत्रित किये गये।

13.5 किसी भी कार्य के संबंध में किए जो वाले निरीक्षणों की संख्या, उस कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है। तथापि, कोटि निरीक्षण कक्ष द्वारा भिन्न भिन्न मात्रा के कार्यों में किए गए कम से कम निरीक्षणों की संख्या प्रायः निम्न प्रकार से दर्शाई गई है।

कुल 6462 निरीक्षण किये गये।

कार्य की लागत	को.नि.क. द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की अल्पतम संख्या
10.00 लाख रू. तक	1
10.00 से 80 लाख रू. तक	2
50 लाख से 250 लाख रू.	3
250 लाख रू. से अधिक	4

13.6 कोटि नियंत्रण कक्ष ने खेलगांव परिसर में एक सुसज्जित जांच प्रयोगशाला भी स्थापित की है, जहां पर अधिकतर सामग्री की आवश्यक जांच की जा सकती है। अपने निरीक्षणों के दौरान, को.नि.क. के निरीक्षण–अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों की जांच करने के अतिरिक्त, फील्ड अभियंताओं को नमूने एकत्रित करने और जांच हेतु उन्हें इस प्रयोगशाला में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वे फील्ड–टेस्ट भी करते हैं। को.नि.कक्ष प्रयोगशाला, अधिशासी अभियंता (को.नि.) के प्रभार के अधीन है और इसने विश्वसनीयता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। इस वर्ष के दौरान, इस प्रयोगशाला में 3.50 लाख रू. की लागत का एक महत्वपूर्ण आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित कक्ष का निर्माण करना और उसका चालू होना भी जुड़ गया हैं, जहां पर तापक्रम एवं आर्द्रता की नियंत्रित दशाओं के फलश डोर शटरों पर जांच की जा सकती है।

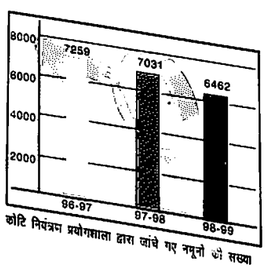

कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा जांचे गए नमूनों की संख्या

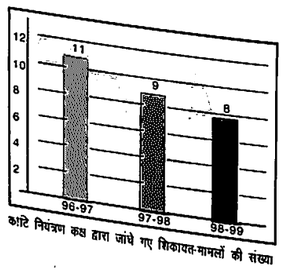

कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा जांचे गए शिकायत-मामलों की संख्या

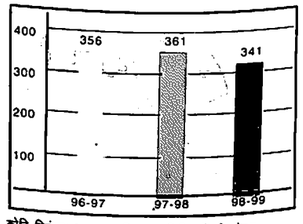

कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या

13.7 इस वर्ष कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा कुल 341 निरीक्षण किए गए और जांच हेतु 412 नमूने एकत्रित किए गए। को.नि.कक्ष प्रयोगशाला में इस वर्ष की गई कुल जांच संख्या 6462 है, जिसमें से 75 नमूने रद्द (फेल) हो गए। ऊपर यथा उल्लिखित किए गए सामान्य निरीक्षणों के अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान को.नि. कक्षा द्वारा 8 शिकायत के मामलों की जांच पड़ताल की गई।

13.8 जहां तक इलैक्ट्रीकल कार्यों का संबंध है, को.नि.कक्ष के निरीक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी इलैक्ट्रीकल कार्यों में "आई.एस.आई. मार्क" सामग्री का प्रयोग किया जाता है और भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार गुणवत्ता के मानदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान, सीवर पंपिंग स्टेशनों हेतु अपेक्षित भारी विद्युतीय उपकरणों की उचित जांच और गुणवत्ता सुनिश्चितता पर विशेष जोर दिया गया, जिसकी प्रगति की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। इन संस्थापनाओं (इंस्टोलेशनों) में 110 किलोवाट से 350 किलोवाट की क्षमता की भारी एल.टी. एवं एच.टी. मोटरों वाले वृहद् क्षमता के सीवर पम्प, डीजल जैनरेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। सभी महत्वपूर्ण/मुख्य सामग्री की उचित जांच सुनिश्चित की गई और करार की शर्तों के अनुसार ही निर्माता के यहां उनका परीक्षण किया गया।

दि.वि.प्रा. की कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला में पानी की जांच।

13.9 13.10 किए गए विभिन्न निरीक्षणों और किए गए विभिन्न परीक्षणों के परिणामों को वरिष्ठ अधिकारियों के नोटिस में भी लाया जाता है ताकि जब भी आवश्यकता पड़े, उस पर तत्काल उचित उपाय किए जा सकें।

14. वित्त एवं लेखा

14.1 प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग के प्रधान, मुख्य लेखाधिकारी होते है, जो एक वैधानिक अधिकारी है और जिनको दिल्ली विकास अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के सम्पूर्ण नियंत्रण में कार्य करते है। वित्त सदस्य की सहायता के लिए आवास तथा भूमि लागत निर्धारण विभाग में क्रमशः वित्त सलाहकार (आवास) और निदेशक (भूमि लागत) होते है।

14.2 (क) **प्राधिकरण के वार्षिक लेखे**

बजट एवं लेखा उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण का लेखा निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षो के अंतर्गत रखा जाता है:

1. नजूल खाता – 1
2. नजूल खाता – 2
3. वी. सामान्य विकास खाता

(ख) इन खातों के संकलन के फार्म दि.वि.प्रा. (बजट एवं खाता) नियम, 1982 में दिए गए हैं, जो भारत सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के

(ग) अन्तर्गत शक्तियों को प्रयोग करते हुए अनुमोदित कर दिये गये हैं। 31.3.99 को इन तीनों खातों की प्रत्येक की अस्थाई वित्तीय स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षिप्त रूप में दी गई है:

1. **नजूल खाता–1:**

नजूल खाता–1 पुरानी नजूल सम्पदा से संबंधित लेन–देन को प्रदर्शित करता है, जो प्रबंध हेतु सरकार द्वारा पुराने नजूल करार, 1937 के अन्तर्गत तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सौप दी गई थी और बाद में इसे दि.वि.प्रा. द्वारा दिसम्बर, 1957 में उत्तराधिकारी निकाय के रुप में अपने अधिकार में ले लिया गया था। इस लेखा में दिल्ली मुख्य योजना और जोनल विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वियन से संबंधित लेन–देन भी शामिल हैं। वर्ष 1998–99 के दौरान इस खाते के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां लगभग 7.99 करोड़ रू. हैं, जबकि कुल व्यय लगभग 15.15 करोड़ रू. रहा।

2. **नजूल खाता–2:**

1. इस लेखा में दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और उनके निपटान की स्कीम से संबंधित लेन–देन शामिल है। इस लेखा के अंतर्गत भूमि के विक्रय से प्राप्त आय और भू–भाटक आदि की वसूली और भूमि के अधिग्रहण तथा उनके विकास पर किए गए व्यय का लेखा–जोखा रखा जाता है। इस खाते में व्यय से अधिक प्राप्तियों के अधिशेष को दिल्ली प्रशासन में जमा कर दिया जाता है ताकि और अधिक भूमि के अधिग्रहण हेतु आवर्ती निधि बढ़ सके। वर्ष 1998–99 में वर्ष 1997–98 के मुकाबले प्राप्तियां लगभग 18 प्रतिशत ऊची थी।
2. इस खाते के अंतर्गत वर्ष 1998–99 के दौरान 942.60 करोड़ रू. के व्यय के मुकाबले कुल प्रत्याशित प्राप्तियां 924.33 करोड़ रू. थी। वर्ष के दौरान भूमि के अधिग्रहण और बढ़े हुए मुआवजे के लिए 504.61 करोड़ रू. की राशि आवर्ती निधि में जमा कराई गई।

3. **सामान्य विकास खाता**

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है। प्राधिकरण में निहित सभी संपत्तियों और भूमि का भुगतान इस खाते के राजस्व से ही किया जाता है। इस

खाते के अंतर्गत दि.वि.प्रा. स्व वित्त योजना के अंतर्गत आवासों के अतिरिक्त कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास कार्यक्रम चलाता है। इसके अतिरिक्त नेहरू प्लेस में जिला केन्द्र का विकास, भीकाजी कामा प्लेस, लक्ष्मी नगर और जनकपुरी के विकास जैसे व्यावसायिक कार्यकलापों और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित भूमि के लिए भी इस खाते से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1998–99 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां लगभग 2955.27 करोड़ रू. थी और व्यय 2699.55 करोड़ रु. था। वर्ष 98–99 में प्राप्तियां 1997–98 के मुकाबले 2 प्रतिशत कम थी। वर्ष 97–98 में प्राप्तियां 3015.58 करोड़ रूपए थी।

4. **शहरी विकास निधि**

सन् 1992–93 के दौरान भारत सरकार ने पट्टा धारिता आधार के पूर्ण स्वामित्व आधार में परिवर्तन की स्कीम घोषित की थी। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1998–99 तक 164.51 करोड़ रु. एकत्रित किए गए। उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति ने शहरी विकास निधि में वित्तीय सहायता देने के लिए छः परियोजनाओं को अनुमोदित किया। अभी तक योजना का अनुमोदित कुल निर्माण–कार्य परिव्यय (केवल यू.डी.एफ. शेयर) 17 करोड़ रु. आता हैं।

वर्ष 1998–99 के दौरान लोक निर्माण विभाग कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण करने के लिए यू.डी.एफ. लेखे से 6 करोड़ रु. की राशि हस्तांतारित की गई।

दि.वि.प्रा. शहरी विरासत पुरस्कार पुरस्कृत व्यक्ति को देते हुए।

5. **शहरी विरासत पुरस्कार कोष**

किसी नगर की विरासत उसके सृजनात्मक उत्साह के लिए प्रेरणा का स्त्रोत होता हैं। दिल्ली की कम से कम एक सौ वर्ष पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, जो अभी उपयोग में हैं, के संरक्षण, रक्षा और रख–रखाव और उन्हें बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 में दि.वि.प्रा. ने पुरूस्कार देना प्रारम्भ किया, जिसे दि.वि.प्रा. शहरी विरासत पुरूस्कार कहते है और यह दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता हैं। 23.00 लाख रू. के आवश्यक फंड की व्यवस्था अलग से की गई है। प्रत्येक वर्ष पुरूस्कार देने के लिए इसका निवेश किया जाता है।

6. **ऋण एवं अन्य बकाया**

यह 15 करोड़ रूपये की ऋण की राशि वर्ष 1986–87 के दौरान 15 करोड़ रूपये के डिबेंचर जारी करने के कारण है, जो वर्ष 2001 में परिपक्वता के लिए देय हो जाएगी। परिपक्वता पर डिबेंचरों के परिशोधन के लिए शोधन निधि की व्यवस्था की गई है। सभी देय ऋणों को देय तिथि पर ब्याज सहित भुगतान किया गया है। परिशोधन पर डिबेंचरों के भुगतान के अलावा, दिनांक 31–3–99 को भुगतान हेतु कोई देय ऋण बकाया नहीं है।

(घ) **प्राप्तियां**: वर्ष 1997–98 के दौरान प्राप्त हुए 3477.42 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 1998–99 के दौरान (नजूल–1, नजूल–2 एवं बी.जी.डी.ए.) के सभी शीर्षो के अंतर्गत 3991.91 करोड़ रूपयें की कुल राशि प्राप्त हुई।

(च) **वार्षिक लेखे**: वर्ष 1997–98 और 1998–99 के प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तैयार किये जा रहे है। तथापि, इस रिपोर्ट में दिए गए आकड़े अस्थाई हैं और लेखों के अंतिम रूप दिए जाने पर आधारित हैं। वर्ष 1996–97 तक के लेखों की लेखा परीक्षा का कार्य भी पूरा हो गया है और शीघ्र ही उनके प्रमाणन की उम्मीद हैं।

14.3 **बजट**

(क) दि.वि.प्रा. के बजट एवं लेखा नियम 1982 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में अगले वर्ष के लिए प्राधिकरण के बजट अनुमानों और चालू वित्तिय वर्ष के संशोधित अनुमानों को संकलित करने के पश्चात प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया गया है। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित बजट अनुमान केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए गए। विभिन्न सिविल विद्युत एवं उद्यान कार्यो की संबंधित भुगतान इकाइयों द्वारा बजट व्यवस्था के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यो पर व्यय के लिए धनराशि जारी करके प्रभावी बजट नियंत्रण रखा जाता हैं। बजट के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की आवधिक समीक्षा की जाती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई जाने वाली कमियों को रोकने हेतु समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ख) क्षेत्रवार बजट जो विभिन्न कार्यो / योजनाओं की वास्तविक एवं वित्तिय प्रगति को दर्शाता हैं, प्रतिवर्ष संकलित किया जा रहा हैं। विभिन्न योजना और परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि और योजना की वास्तविक प्रगति, जो संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा दर्शाई जाती है, का सह–संबंध है। इससे विभिन्न परियोजना / योजनाओं पर प्रभावी निगरानी आसानी से होती है और समय और लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती हैं।

(ग) **दिल्ली नगर निगम को कार्यो की कमियों के लिए भुगतान**

वर्ष 1998–99 में दि.वि.प्रा. ने रख–रखाव हेतु बड़ी संख्या में कालोनियों को दि.न.नि. को सौपा और दिल्ली नगर निगम को 5.30 करोड़ रूपये की राशि कार्यो में रह गई कमियों के लिए अदा की गई। कालोनियों के साथ कुछ कर्मचारियों को भी दि.न.नि. में स्थानांतरित किया गया। इससे हमारे वार्षिक वेतन भुगतान की राशि में वार्षिक बचत होगी।

(घ) **निधि प्रबन्ध**

दि.वि.प्रा. में 9 आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं, जो मुख्यालय से उन्हें सौपे गये कार्यो हेतु धनराशि का आहरण करते हैं। वर्ष 1998–99 के दौरान मार्च, 99 तक इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्माण कार्यो के निष्पादन और वेतन आदि के भुगतान हेतु 667.03 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई।

14.4 **कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं**

(क) वित्तिय वर्ष 1998–99 के दौरान दि.वि.प्रा. ने अपने स्टाफ / अधिकारियों और पेंशन भोगियों को ओ.पी.डी. उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा निम्नलिखित दरों पर बढ़ा दी हैं:–

सर्विंग स्टाफ:–

क्र.सं.	ग्रेड / वेतनमान	मासिक भत्ते की मासिक दर
1.	एस–1 से एस–4 (2550–3200 रु. से 2750–4400 रु.)	175/– रु. प्रतिमाह
2.	एस–5 से एस–9 (3050–4590 रु. से 5000–9000 रु. और 5500–9000 रु. एवं 6500–10500 रु. से 7500–12000 रु. के वेतनभान में समूह "ग" के अन्य कर्मचारी)	190/– रु. प्रतिमाह

यमुना पार क्षेत्र की विभिन्न रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ वित्त सलाहकार (आवास)

सर्विंग अधिकारी

क्र. सं.	ग्रेड/वेतनमान	चिकित्सा प्रतिपूर्ति की संशोधित वार्षिक सीमा	मासिक चिकित्सा अंशदान की संशोधित दर
1.	एस–10 से एस–14 5500–9000 रु. (समूह "ख" के अंतर्गत आने वाले अधिकारी केवल) से 7500–12000 रु. तक	3600/– रु. वार्षिक	12/– रु. प्रतिमाह
2.	एस–15 से एस–34 (8000–13500 रु. एवं इससे ऊपर)	6000/– रु. वार्षिक	18/– रु. प्रतिमाह

पेंशन भोगी

क्र. सं.	ग्रेड/वेतनमान	चिकित्सा प्रतिपूर्ति की संशोधित वार्षिक सीमा	मासिक चिकित्सा अंशदान की संशोधित दर
1.	एस–1 से एस–4 (2250–3200 रु. से 2750–4400 रु.	1350/– रु. प्रतिवर्ष	3/– रु. प्रतिमाह
2.	एस–5 से एस–9 (3050–4500 रु. से 5000–8000 रु. और 5500–9000 रु. एवं 6500–10500 रु. से 7500–12000 रु. के वेतनमान में समूह "ग" के अन्य पेंशनभोगी)	1620/– रु. प्रतिवर्ष	5/– रु. प्रतिमाह
3.	एस–10 से एस–14 5500–9000 रु. (समूह "ख" के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी केवल) से 7500–12000 रु. तक	2400/– रु. वार्षिक	6/– रु. प्रतिमाह
4.	एस–10 से एस–34 (8000–13500 रु. एवं इससे ऊपर)	3600/– रु. वार्षिक	12/– रु. प्रतिमाह

(ख) बाह्य चिकित्सा के अलावा, दि.वि.प्रा. के कर्मचारी अस्पताल में दाखिले के व्यय की प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं। पेंशन भोगियों सहित सभी श्रेणी के कर्मचारी सरकारी अस्पतालों और दिल्ली सरकार में पंजीकृत नर्सिंग होमों में, पंजीकृत निजी अस्पतालों में आंतरिक चिकित्सा करवा सकते हैं। ये सभी दि.वि.प्रा. द्वारा अपने पैनल पर माने गए हैं।

14.5 **सामान्य भविष्य निधि योजना**

केन्द्रीय सरकार की सामान्य भविष्य निधि योजना के समान दि.वि.प्रा. की सामान्य भविष्य निधि योजना इसके कर्मचारियों के लिए लागू हैं। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार दि. वि.प्रा. द्वारा सामान्य भविष्य निधि संचय का निवेश किया जाना अपेक्षित है। इन मार्ग निर्देशों के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि संचय की धनराशि से हमने दिनांक 31.3.99 तक 121.87 करोड़ रु. की राशि का निवेश किया। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार कर्मचारियों को ऋण/पैसा लेने के लिए संस्वीकृति भी की जा रही हैं।

14.6 **पेंशन योजना**

(क) केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होने वाली सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 दि. वि.प्रा. के कर्मचारियों पर वर्ष 1973 से लागू हैं। 31.3.99 को 2024 पेंशन भोगी

प्राधिकरण से मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और वर्ष 1998–99 के दौरान पेंशन भोगियों को 9.64 करोड़ रु. की राशि का पेंशन लाभ के रुप में भुगतान किया गया। वर्ष 1999–2000 के दौरान अनुमानित भुगतान 15.00 करोड़ रु. हैं।

(ख) प्राधिकरण के सेवा–निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के भविष्य के पेंशन दायित्व से निपटने के लिए हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की हैं। दिनांक 31.3.99 को पेंशन कोष के लिए निर्धारित और बाहर निवेश की गई कुल धनराशि 62.00 करोड़ रु. हैं।

14.7 **प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृतियां**

वर्ष 1998–99 के दौरान भूमि एवं आवास के विकास के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं के विस्तृत परियोजना मूल्यांकन के बाद मामलों में 165.74 करोड़ रु. हेतु वित्तिय संस्वीकृति प्रदान की गई। इंजीनियरिंग विंग द्वारा किए गए प्रस्तावों की विस्तृत वित्तीय समीक्षा करने के परिणामस्वरुप 31.3.99 तक 7.41 करोड़ रु. की बचत की गई।

14.8 **लागत लाभ विश्लेषण**

समुचित वित्तिय व्यवस्था और वैज्ञानिक परियोजना मूल्यांकन हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा द्वारका, रोहिणी फेज–3 और नरेला के लागत लाभ–विश्लेषण वार्षिक रुप से तैयार किये जा रहे हैं।

वर्ष 98–99 के दौरान रोहिणी फेज–3, द्वारका और नरेला परियोजनाओं के लागत–लाभ विश्लेषण परिकलित किए जा रहे हैं। वे अनुमोदनार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हैं और इसके बाद इन्हें शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को भूमि दरों के अधिसूचनार्थ भेजा जा रहा हैं।

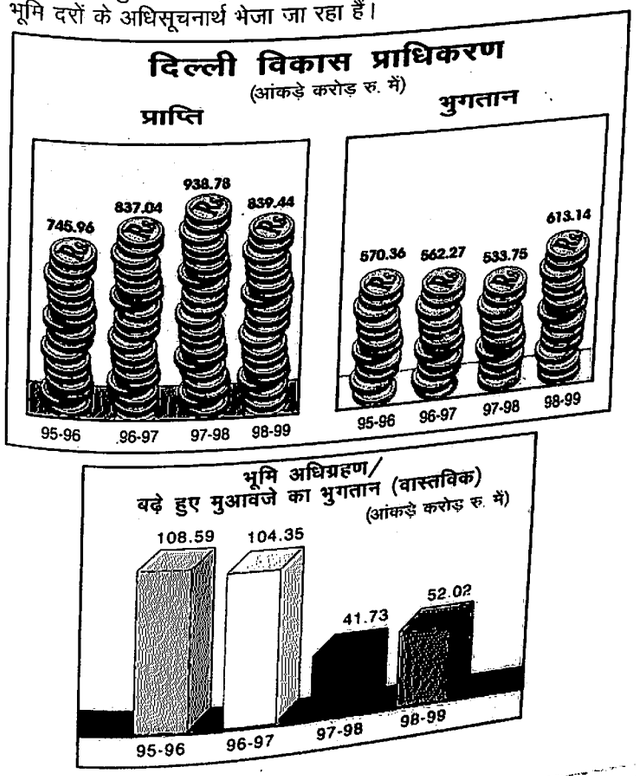

दि.वि.प्रा. की अतंरिम प्राप्तियों तथा भुगतान की स्थिति

प्राप्तियां

(आकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मदों का विवरण	वास्तविक आंकड़े 1997–98	संशोधित आकड़े 1998–99	अस्थाई आंकड़े 1998–99
	प्रारंभिक नगद शेष	258.55	52.79	199.94
1.	क्षतिपूर्ति सहित निर्माण कार्य और विकास योजनाओं से राजस्व/पूंजीगत प्राप्तियां	3.67	61.69	36.99
2.	किराया खरीद योजना के अंतर्गत आवासों और दुकानों के निपटान से प्राप्तियां	462.51	341.06	337.70
3.	भूमि निपटान से प्राप्तियां	180.73	482.21	215.06
4.	ब्याज	67.26	106.48	109.20
5.	अन्य प्राप्तियां	224.62	41.66	140.49
6.	प्लान स्कीमें और विकास निर्माण कार्य	2.10	29.75	1.09
7.	केन्द्र सरकार से अनुदान	—	—	—
8.	सा.भ.निधि/सा.बी.योजना/स्पोर्ट्स/कॉम्पलैक्स निधि	40.84	45.40	55.25
9.	ऋण और डिबेंचर	—	—	—
10.	जमा और अग्रिम	1060.07	—	2048.15
	(क) निवेश नकदीकरण	241.00	409.56	160.36
	(ख) आवर्ती निधि	608.05	800.00	634.74
	(ग) व्यक्तिगत बही खाते	5.64	—	—
	(घ) रक्षित निधि	580.93	1569.78	252.94
	(ड़) अन्य जमा/उचंत	3735.97	3940.38	4191.91
	कुल			

भुगतान

(आकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मदों का विवरण	वास्तविक आंकड़े 1997–98	संशोधित आकड़े 1998–99	अस्थाई आंकड़े 1998–99
1.	प्रशासनिक लागत, विकास योजनाओं, मुख्य योजना को प्रभारित शेयर लागत सहित।	88.83	143.66	197.32
2.	आंतरिक प्रशासन लागत घटायें			
3.	भूमि के विकास आदि पर व्यय आवर्ती निधि से वित्त पोषित निर्माण कार्य और विकास योजनाओं पर व्यय	240.72	—	201.12
4.	भूमि अधिग्रहण बढ़ाया गया मुआवजा	29.39	332.74	31.66
5.	आवासों/दुकानों का निर्माण	41.73	—	52.02
6.	ऋण/सा.भ.निधि पर ब्याज का भुगतान और अग्रिम जमा	127.22	190.87	122.71
7.	प्लान स्कीमें/निक्षेप निर्माण कार्य	13.79	15.10	4.04
8.	अन्य व्यय (एल.आई.सी. प्रीमियम स्पोटर्स कॉम्पलैक्स)	16.21	29.74	14.28
9.	ऋणों का भुगतान	0.42	65.58	4.27
10.	सा.भ.निधि/सा.बीमा योजना	—	21.63	—
11.	जमा और अग्रिम	18.67	—	27.61
	(क) सा.भ.निधि निवेश, पेंशन निधि निवेश	1745.32	—	2353.62
	(ख) ऋण मोचन का प्रावधान	31.57	—	—
	(ग) आवर्ती निधि को भुगतान की गई राशि	241.00	504.61	160.36
	(घ) व्यक्तिगत खाता लेखा को भुगतान की गई राशि	599.37	650.00	667.03
	(ड़) रक्षित निधि	6.94	—	10.06
	(च) अन्य जमा एवं अग्रिम	380.85	1675.54	102.47
	(छ) अन्य उचंत मदें आदि	100.66	28.43	0.43
	अंतिम शेष	53.28	283.08	242.91
	कुल	3735.97	3940.38	4191.91

दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्राप्ति/व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

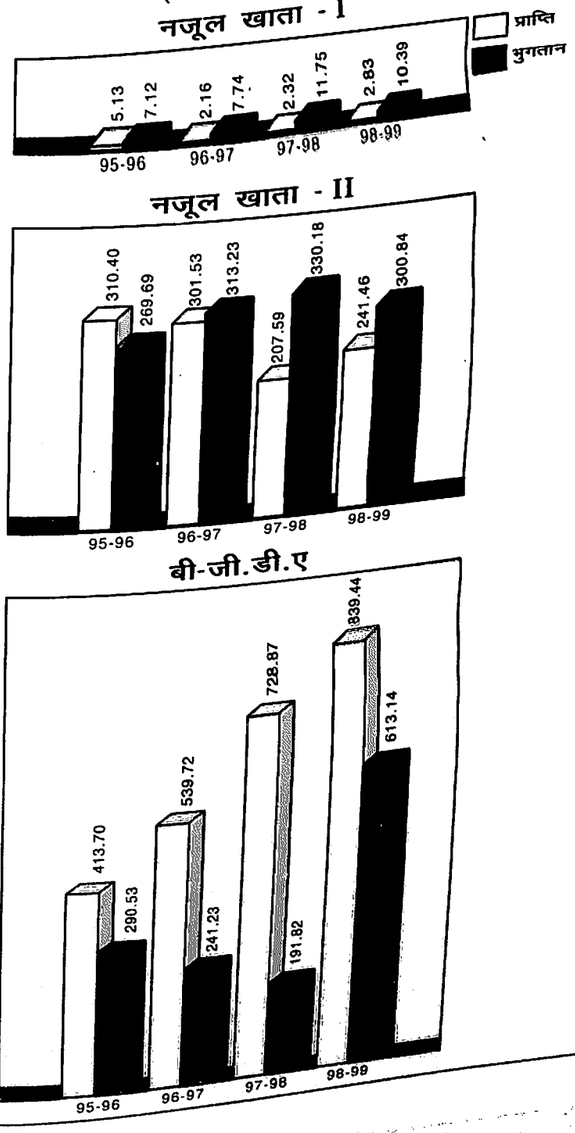

1998-99 में धन कहां से प्राप्त हुआ

(आंकड़े करोड़ रु. में)

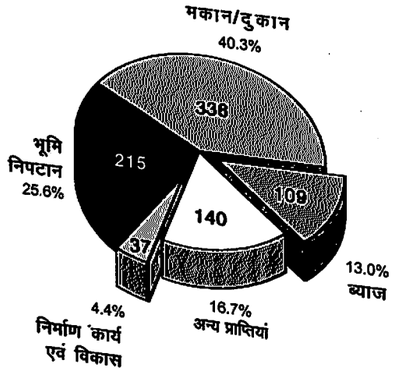

मकान/दुकान	338
भूमि निपटान	215
निर्माण कार्य एवं विकास	37
अन्य प्राप्तियां	140
ब्याज	109
कुल	**839**

1998-99 में धन कहां व्यय हुआ

(आंकड़े करोड़ रु. में)

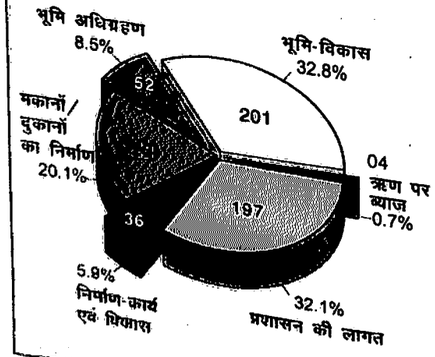

भूमि-विकास	201
भूमि अधिग्रहण	52
मकानों/दुकानों का निर्माण	123
निर्माण-कार्य एवं विकास	36
प्रशासन की लागत	197
ऋण पर ब्याज	04
कुल	**613**

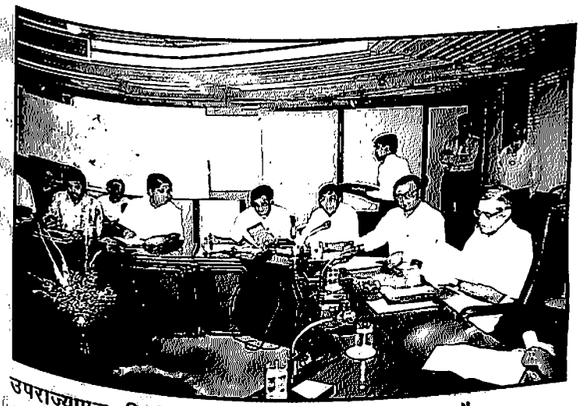

उपराज्यपाल, दि.वि.प्रा. अधिकारियों के साथ बैठक में।

सचिव, जन-शिकायत विभाग विकास सदन स्थित स्वागत पटल का निरीक्षण करते हुए।

विकास सदन में दि.वि.प्रा. लोक-शिविर का एक दृश्य

L
STRATION

HORITY
IENT

विकास मीनार

दिल्ली विकास प्राधिकरण
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

WIDENING HORIZON FOR A BETTER TOMORROW

ANNUAL ADMINISTRATION REPORT 1998-99

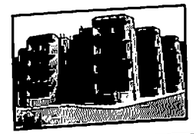

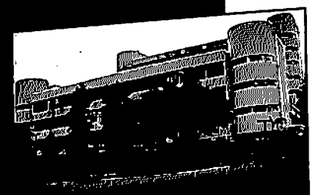

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

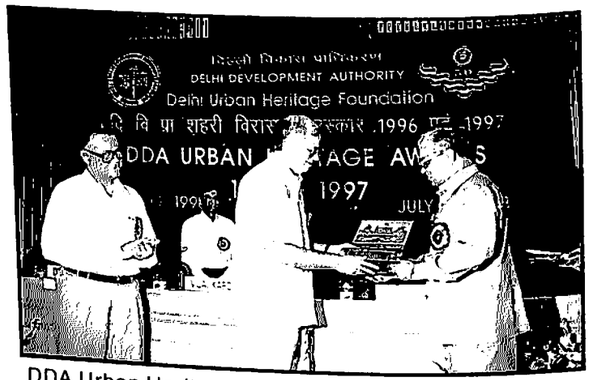

DDA Urban Heritage Award being presented to one of the awardees.

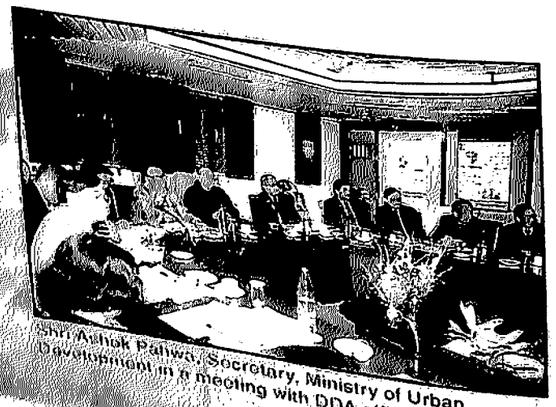

Shri Vijai Kapoor, Lt. Governor, inspecting the Stamp Collectors' office at Vikas Sadan.

Shri Ashok Pahwa, Secretary, Ministry of Urban Development in a meeting with DDA officers.

ANNUAL ADMINISTRATION REPORT 1998 - 99

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

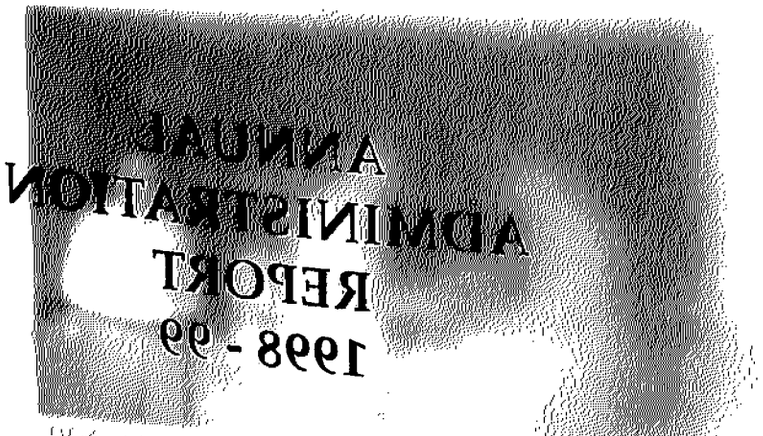

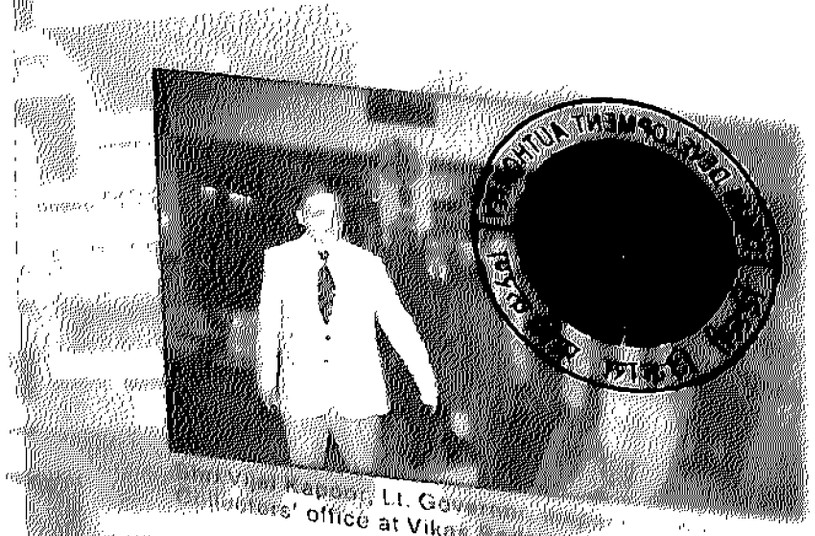

CONTENTS

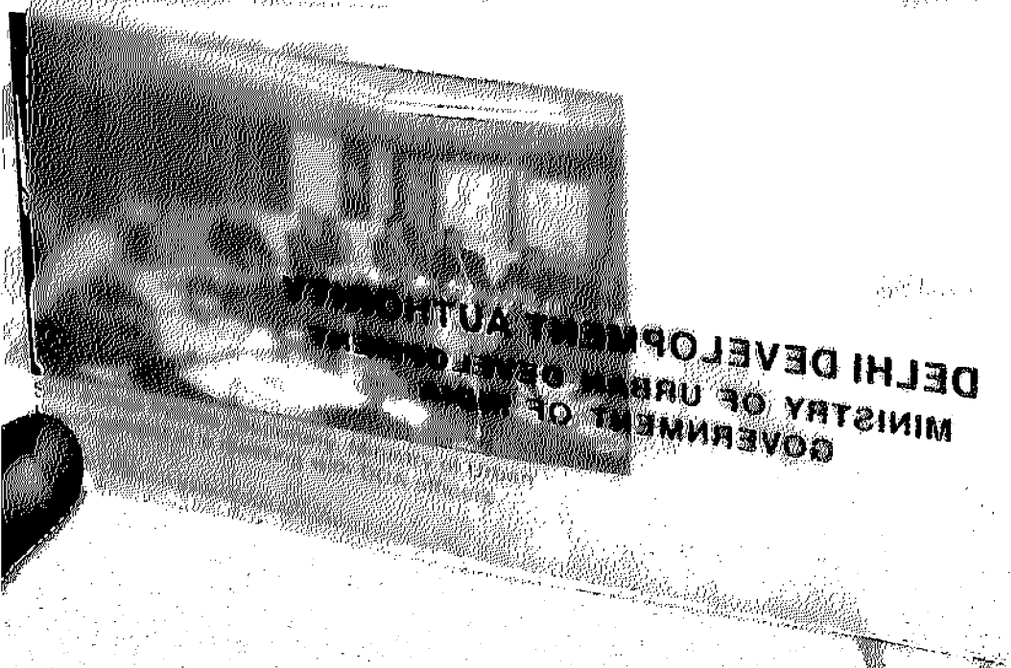

1.	Delhi Development Authority - A Historical Perspective	1
2.	Major Achievements of DDA	3
3.	Management of the Authority	5
4.	Vigilance Department	10
5.	Law Department	12
6.	Systems & Training	15
7.	Engineering & Construction Activities	17
8.	Architecture and Planning	29
9.	Housing	35
10.	Land Management & Disposal Departments	38
11.	Personnel Department	43
12.	Sports	45
13.	Quality Control Cell	53
14.	Finance & Accounts	55

1. Delhi Development Authority - A Historical Perspective

1.1 Like all living great cities, Delhi's foundation has been reinforced time and again by the dreams, passion and vision of the denizens who inhabited the city and the wanderers who walked its earth. No city has survived the ravages of time only for its colossal and grand edifices, palaces or monuments. A city lives not in the buildings, roads and gardens alone, but in the thriving population that it harbours and nurtures. It is the interaction between the refuge and the residing, the concrete and the living, the native and the foreign that helps a city traverse and progress through history.

1.2 Delhi has seen it all from the days of the Mahabharata dated as far back as 10th century B.C. The new capital Indraprastha built by the Pandavas sowed the seeds of magnificence, magnitude and magic that through the ages blossomed into Delhi, often with a little support from magnanimous visionaries at various junctures in history.

1.3 From Lalkot of the Tomars, Siri of Alauddin Khilji, Tughlakabad of Ghiasuddin Tughlaq, Jahanpanah of Mohammad Bin Tughlaq, Ferozabad of Feroze Shah, Dinpanah of Humayun, Shahjanabad of Shah Jehan to Lutyens' Delhi, Delhi's sojourn only helped enrich its unique identity through embracing and assimilating the diverse customs and cultures.

1.4 Looking back while moving into the new millenium, in 1911 Delhi once again became the focus of the country's administration as the National Capital was shifted from Calcutta to Delhi. The initial location proposed for the capital was in the north of the Northern Ridge, but was later changed to the area around Raisina Hills. In 1912 Edward Lutyens and Flerbert Baker planned the capital of India which till date is known as Lutyens' Delhi. Its not known, whether it was auspicious aspects that led to the development of the central commercial centre in the shape of a horse shoe - today's Connaught Place.

1.5 For record purposes a tiny Nazul office comprising 10 to 12 officials was set up in the Collectorate of Delhi which was upgraded to an Improvement Trust constituted under the provisions of United Provinces Town Improvement Act 1911. By 1937 the Trust had about 50 employees on its rolls with the responsibility of regulating land usage and building activities.

1.6 Till 1947 Delhi had manageable settlements and the population was around 7 lakhs. Subsequently during partition of the country, there was influx of displaced people which enormously increased the population. By 1951 Delhi accomodated 17 lakh Indians. An increase of more than 240% in only 4 years. The city became dotted with clusters of settlements, while monuments and gardens became transit camps. This chaotic

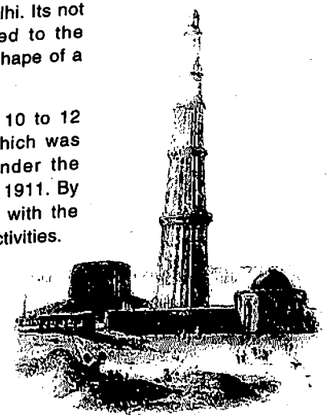

Engraving after William Daniell. (H. Caunter and W. Daniell, The Oriental Annual, 1834)

situation led to acute scarcity of accomodation resulting in indiscriminate construction of colonies and growth of slums.

DDA was created on 30th December, 1957 under the Delhi Development Act 1957.

1.7 To check this rapid unorganised growth and plan ahead for systematic development of Delhi the Central Government appointed a Committee under the chairmanship of Shri G. D. Birla in 1950.

1.8 The Committee recommended a single Planning and Controlling Authority for all the Urban areas of Delhi. Consequently, Delhi Development (Provisional) Authority was constituted by promulgating Delhi (Control of Building Operations) Ordinance 1955 (replaced by Delhi Development Act,1957) with the primary objective of ensuring development of Delhi in accordance with a plan. On 30th December, 1957 Delhi Development Authority acquired its present name.

Under the provisions of the Act, the Administrator of Delhi is the DDA Chairman and the Chief Executive is the Vice Chairman.

1.9 Under the provisions of the Act, the Administrator of Delhi is the Chairman and the Chief Executive i.e. Vice-Chairman, alongwith the heads of the Finance and Engineering Wings, are full time members of the Authority. For budgeting and accounting purposes, the Accounts of the Authority are maintained in four sections of the Finance Department viz. Nazul-I, Nazul-II, Nazul-III & General Development. On the Engineering side, the entire work of design, construction, infrastructural development and allied matters is controlled by the Engineer Member.

1.10 Following the upgradation of the status of VC to that of Additional Secretary to the Government of India, by Department of Personnel, Government of India, in 1989 a separate post of Principal Commissioner was created vide order No. K-11011/12/ 91-DDIA (Pt.) in 1991 at the level of Jt. Secretary to Government of India by the Department of Personnel, Government of India.

1.11 Affairs connected with Secretary, DDA, like the Department of Land Management, Systems & Training, Housing, Land Disposal, Personnel and Coordination was placed under the overall charge of the Principal Commissioner. Besides he is also the overall in-charge of the system of Public Hearing and Redressal of Public Grievances machinery.

Under the policy of large scale acquisition of Govt. of India, land measuring 62707.08 acres has been acquired and out of this land measuring 59542.78 acres has been placed at the disposal of DDA under section 22 (i) of DD Act, 1957.

1.12 In 1961 the Government of India framed the Urban Land Policy for Delhi laying down the guiding principles for large scale acquisition, development and disposal of land. Under the scheme, land was notified for acquisition by Delhi Administration and the land measuring 62707.08 acres was acquired upto 31.03.99 out of which the land measuring 59542.78 acres has been placed at the disposal of the DDA under section 22 (i) of the DD Act, 1957 for development purpose to meet the needs of increasing population.

2. Major Achievements of DDA

2.1 DDA formulated a Master Plan for systematic growth and development of Delhi in 1962. After extensively revising this, a comprehensive Master Plan with perspective 2001 was adopted in the year 1990. Further this plan too is being reviewed and to ensure public participation in the formulation of the new plan, seminars were held and the feed-back from these seminars are being utilised for formulating the Master Plan-2021.

In 1998-99, 11033 allotments were made as compared to 2992 during the year 1997-98. The receipts from the Housing were Rs.526.47 crores as against Rs.462.51 crores last year.

2.2 A total of 2,93,626 flats were allotted as on 31st March, 1999 (this figure includes flats re-allotted after cancellation and surrender). A total of 23 Housing Schemes were floated of which only three are live as on 31st March, 1999. In 1998-99 as many as 11,033 allotments were made compared to 2992 during the year 1997-98. The receipts from the Housing were Rs.526.47 crores against Rs.462.51 crores last year. The backlog of the registrants of New Pattern Housing Scheme-1979, Ambedkar Awas Yojana-1989 and Janta Housing Registration Scheme-1996 is 47667 as on 31.03.99.

2.3 The Amnesty Scheme 1998, extended upto August, 1999 received tremendous response and 16005 applications were received till 31.03.99. Maximum relief in the penalty to the tune of 75% was granted under the Scheme.

16,005 allottees sought relief under DDA's Amnesty Scheme till 31.03.99

2.4 Rising to the committment of customer service, two Lok Shivirs were organised on 28.01.99 and 11.02.99 to redress the public grievances relating to Housing Department. As many as 576 allottees approached with their grievances, of which 238 cases were disposed of on the spot.

Two Lok Shivirs were organised on 28.01.99 and 11.02.99

2.5 DDA has so far developed 59,542.78 acres of land for residential, commercial, institutional, industrial and recreational purposes. As on 31st March,1999 a total of 420 Convenient Shopping Centres, 116 Local Shopping Centres, 24 Community Centres and 6 District Centres were completed by DDA. During the year, 7 Convenient Shopping Centres, 7 Local Shopping Centres, 6 Community Centres and 7 District Centres were under various stages of construction and were progressing considerably. A total of 48 Industrial plots and 82 Institutional plots were allotted during the year.

2.6 DDA has disposed 1103 commercial plots through auctions/ allotments (including 1043 plots allotted to PVC dealers) and a total of 809 shops/built-up units were also disposed of through auctions/tenders/allotments generating a revenue of Rs.119.17 crores and Rs.45.29 crores respectively. It is proposed to continue such efforts in future as well to dispose of all commercial properties lying vacant and curb the tendency of the residents to unauthorisedly run commercial establishments from their residence.

A total of 281 demolitions were carried out resulting in reclamation of 195 acres of land.

2.7 The Land Reclamation also received a boost during the year and a total of 281 demolitions were carried out resulting in reclamation of about 195 acres of land by removing 2912 structures.

2.8 DDA has so far developed 16000 acres of green land as city forests, green belts, district parks, neighbourhood parks, totlots etc.

2.9 In accordance with the guidelines provided in the Master Plan, Delhi, DDA has so far constructed/developed 8 sports complexes, 8 multi-gyms, 26 playfields besides a number of fitness trails etc. in various parts of Delhi. Five more sports complexes, 4 multi-gyms and 10 additional playfields are proposed to be taken up.

2.10 During the year, DDA planned commencing construction of 7 fly-overs as a deposit work of Delhi Government.

These seven fly-overs will be situated at :

i) Wazirabad Road - Road No. 66

ii) Vikas Marg - Road No. 57

iii) NH 24 - NOIDA Crossing

iv) Jail Road / Mayapuri Road Crossing

v) Ring Road - Road No. 41

vi) Nelson Mandela Marg - Mehrauli-Mahipalpur Road

vii) NH-2 - Road No. 13-A

It is expected that some of the fly-overs will be completed by June-July, 2000.

In the second phase DDA is expected to take up construction of 6 more Fly-overs/ROB to make Delhi congestion free.

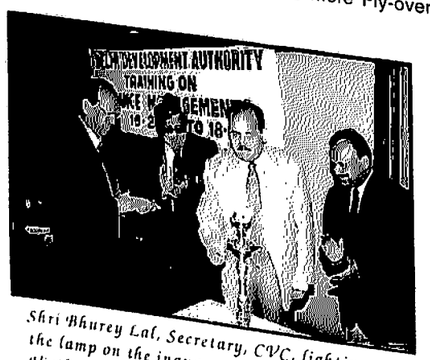

Shri Bhurey Lal, Secretary, CVC, lighting the lamp on the inauguration of Training on Vigilance Management Programme.

2.11 With the aim of continuously updating DDA personnel skills and to highly motivate them in their functions, a Special Training Programme for the Officers of the Vigilance Department was organised. It was inaugurated by Shri Bhurey Lal, Secretary, Central Vigilance Commission and experts on various subjects were invited from C.B.I. and C.V.C. as faculty. Concluding Ceremony of the Training was presided over by Shri Vithal, Central Vigilance Commissioner, Government of India.

3. Management of the Authority

3.1 Delhi Development Authority is a corporate body having perpetual succession and a common seal with the power to acquire, hold and dispose of property. It can sue and be sued. The Authority is constituted under Section 3 of Delhi Development Act, 1957. Sh. Vijai Kapoor, an IAS Officer of 1961 batch and a veteran administrator took over as Lt. Governor, Delhi and Chairman, DDA on 20th April, 1998. He had earlier worked with the Economic & Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations for more than six years. He was also Chief Secretary, Arunachal Pradesh, Delhi and Jammu & Kashmir and retired as Secretary, Department of Defence Production and Supplies, Ministry of Defence, Government of India, before taking over as Chairman, DDA.

The Composition of the Delhi Development Authority during the period under report from 1.04.98 to 31.03.99 was as under :

CHAIRMAN	
Sh. Vijai Kapoor	20.4.98 to 31.3.99
VICE CHAIRMAN	
Sh. P.K. Ghosh	1.4.98 to 31.3.99
WHOLE TIME MEMBERS	
1. Sh. K.P. Lakshmana Rao, Finance Member, DDA	1.4.98 to 31.3.99
2. Sh. R.K. Bhandari, Engineer Member, DDA	1.4.98 to 31.3.99
NOMINATED BY THE CENTRAL GOVERNMENT	
1. Sh. S. Banerjee, Jt. Secretary	29.5.98 to 31.3.99
2. Sh. V. Suresh, Chairman-cum-Managing Director, HUDCO	1.4.98 to 31.3.99
3. Sh. D.S. Meshram, Chief Planner, TCPO	1.4.98 to 31.3.99
EX-OFFICIO	
1. Sh. V.K. Duggal, Commissioner, MCD	1.4.98 to 31.3.99
NON-OFFICIAL MEMBERS	
1. Sh. Sahib Singh Chauhan, MLA	1.4.98 to 23.11.98
2. Sh. Swaroop Chand Rajan, MLA	1.4.98 to 23.11.98
3. Sh. Ramvir Singh Bidhuri, MLA	1.4.98 to 23.11.98
4. Km. Devagya Bhargava, Councillor, MCD	1.4.98 to 31.3.99
5. Sh. Mahabal Mishra, Councillor, MCD	1.4.98 to 23.11.98

The Authority met 6 times during the year and considered 71 items in all.

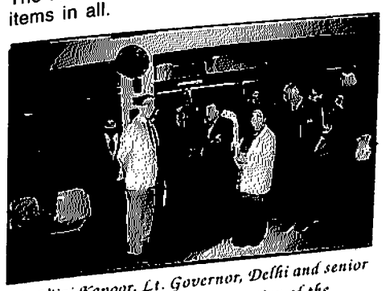

Sh. Vijai Kapoor, Lt. Governor, Delhi and senior Officers of DDA during an inspection of the Reception area at Vikas Sadan.

Lt. Governor, in a discussion with the senior Officers of DDA.

3.2 ADVISORY COUNCIL

This is a body constituted under Section-5 of the Delhi Development Act, 1957 for advising the Authority on the preparation of Master Plan and on such other matters relating to the Planning & Development or arising out of or in connection with the Administration of this Act as may be referred to it by the Authority. Composition of the Advisory Council during the year was as under:

1. President — Sh. Vijai Kapoor 20.4.98 to 31.3.99
2. Members of Lok Sabha
   i) Sh. Lal Bihari Tiwari 8.6.98 to 31.3.99
   ii) Smt. Meira Kumar 8.6.98 to 31.3.99
3. Member of Rajya Sabha — Sh. Bhuvnesh Chaturvedi 1.4.98 to 31.3.99
4. Vice-Chairman — Sh. P.K. Ghosh 1.4.98 to 31.3.99
5. Members
   i) Sh. Tilak Raj Aggarwal, Councillor, MCD 1.4.98 to 31.3.99
   ii) Sh. Dushyant Kumar Gautam, Councillor, MCD 1.4.98 to 31.3.99
   iii) Sh. Ajit Singh, Councillor, MCD 1.4.98 to 31.3.99
   iv) Smt. Leela Bisht, Councillor, MCD 1.4.98 to 31.3.99
   v) Chairman, DTC
   vi) Chairman, CEA
   vii) DG (Defence Estates), Ministry of Defence
   viii) DG (RD) & Addl. Secy., Ministry of Transport
   ix) Chief Planner, TCPO
   x) G.M.P.M. (N), MTNL
   xi) Municipal Health Officer, MCD
   xii) Sh. J.P. Goel
   xiii) Sh. Chatter Singh
   xiv) Sh. Sunil Dev

As per the provision of Section 5 (2) (e) of the DD Act, 1957, 2 persons representing the D.W.S & D. and D.E.S.U. Committees could not be elected by the above committees.

3.3 CENTRAL GOVERNMENT DIRECTIONS

Record of the direction issued by the Central Government in terms of Section 41 of the DD Act, 1957 and action taken thereof is also maintained.

Lt. Governor, Sh. Vijai Kapoor inspecting the Housing Department with Pr. Commissioner and Commissioner (Housing).

3.4 STAFF QUARTERS

Staff Quarters Allotment Branch deals with the allotment of 1613 Staff Quarters spread over 35 colonies in different areas of Delhi and New Delhi. The allotment of Staff Quarter is being done as per the regulations of the Ministry of Urban Development and Directorate of Estates.

During the year under report, 765 applications from DDA employees were received. 197 Staff Quarters were allotted on seniority basis. 16 staff Quarters were allotted on out of turn basis on the grounds of medical problems, compassionate circumstances, functional requirements and under the Ladies Quota as per the guidelines of the Ministry of Urban Development. Requests for change of Staff Quarters from one colony to other were allowed in 33 cases. Fresh allotments include 77 flats of type-I, 55 flats of type-II, 55 flats of type-III, 7 flats of type-IV and 3 flats of type-V.

3.5 NAZARAT BRANCH

The Nazarat Branch looks after General Administration and Management and is responsible for purchase of stationery items, furniture, office equipment, issue of livery items, maintenance of fax machines, manual, electric & electronic typewriters and maintenance of staff vehicles of DDA including exercising check on consumption of petrol/diesel.

In addition to the above, during the year, the Nazarat Branch laid down the norms for supply of office equipment and furniture items to DDA officers/officials.

4 photocopiers were installed in B-Block, ground floor, Vikas Sadan and about 4 lac papers relating to DDA court cases were photocopied so as to prepare parallel files for the panel lawyers.

Mobile/cellular phones were purchased for the senior officers and the officers/officials involved in demolition and enforcement to improve the communication.

3.6 PRINTING PRESS

During the period under report, 366 jobs were received for execution and all the jobs were executed in time. Approximately 1.80 crore impressions were completed for the purpose. Printed stationery items were prepared such as various type of Registers, Notesheet, Draft-sheet, Service Books, G.P.F. Pass Books, Forms, Brochures, etc.

During the period under report colour printing was strengthened in DDA Press and DDA's House Journal "Delhi Vikas Varta" was printed for the first time in the DDA Press which is a multicolour printing job. DDA's Annual Administration Report in Hindi and English was also printed departmentally. The job of 'Amnesty Scheme brochure' was printed for a quantity of 29,000 & the job of 'Conversion brochure' was printed for a total quantity of 20,000

approximately, both being multicolour jobs. All this was done at zero notice proving that DDA is competent to execute all types of printing jobs in-house.

For the modernisation of Press another ready to print machine was added resulting in increased printing capacity.

3.7 HINDI SECTION

The main function of Hindi Section is to implement the official languages policy of Government of India in DDA. Accordingly 3 meetings of Official Languages Implementation Committee were held and issues relating to progressive use of Hindi including the problems being faced and the remedies were discussed. 6 inspections were conducted and officers concerned were requested to remove the short-comings noticed during inspections.

13 Workshops were organised and in all 163 employees were imparted training in Hindi Noting and Drafting. 14 Stenographers and 72 L.D.Cs. were nominated for Hindi Stenography and Hindi Typing respectively. New incentives were introduced and 3 competitions were held on the occasion of "Hindi Pakhwara" in September, 1998, 9 employees were given awards.

3.8 PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

Public Relations Department of DDA is entrusted with the activities relating to image building of the organisation through publicity and cordial interaction with public using various modes of communication. Among its other major functions include formulation of advertisement policy, fixing of advertisement rates, empanelment of Advertising Agencies, publication of quarterly house journal, publicity literature including guidebooks, souvenirs etc. Besides this, the department is also responsible for holding of press conferences, coverage of various functions, issue of press handouts, processing and follow-up of grievances expressed through newspapers and received from Department of Public Grievances, Govt. of India, issue of rejoinders, receiving of delegates and organising press trips, etc. The various functions undertaken during 1.4.98 to 31.3.99 are given as under:

- 98 Press handouts (Both in English & Hindi) were released highlighting the achievements through various activities. The press releases were covered both in print as well as audio-visual media. One press conference and a media personnel visit to 'DDA Greens' was organised during the period.
- 3000 copies of Delhi Vikas Varta, the house journal April-June '98 issue got published and distributed.
- 99 Press clippings were followed up to get the individual grievances redressed.
- 31 letters to the editors were issued.

- Over 133 advertisements in Hindi and English were issued for publication in various newpapers.

DDA library functions under Public Relations Department. It caters to the reading and reference needs of employees of DDA and their children. It acts as a reservoir of reference on various aspects of Urban Development. Video cassettes are shown to employees during lunch hours. It has a seperate section of children books. The library has been renovated to facilitate its use by the employees. During the period under report it has added 785 books to its stock there by taking the total stock to 16250 books. It subscribes to as many as 46 news papers and 55 magazines.

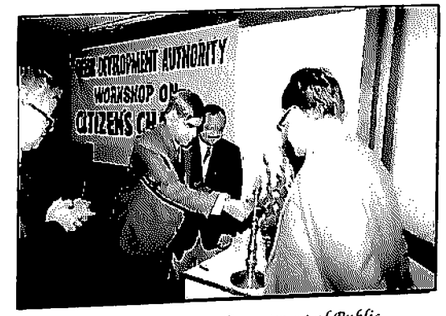

Shri N.P. Singh, Secretary, Department of Public Grievances, lighting the lamp to inaugurate the Workshop on Citizen s Charter.

The complaints received regarding non-adherence to time schedules specified in the Citizen's Charter were monitored. A total of 23 complaints were received during the period under report out of which 12 were disposed of.

For ensuring proper adherence to the time schedules given in the Citizens' Charter, a feedback questionnaire was made. A box was kept at the Reception Counter, Vikas Sadan, wherein people could post the feedback form after indicating the lapses in time schedules in their particular case.

As many as 67 complaints were received through Department of Public Grievances, Cabinet Secretariat, Govt. of India. Of these 50 were redressed. Two meetings were held by Secretary, Department of Public Grievances to discuss these grievances.

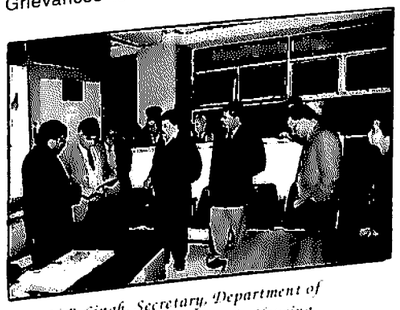

Shri N.P. Singh, Secretary, Department of Public Grievances, inspecting the Housing Department.

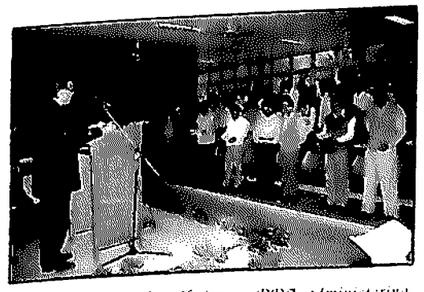

Shri P.K. Ghosh, Vice Chairman, DDA, administering oath to the Employees.

4. Vigilance Department

A total of 59 charge-sheets were issued and 74 officers/officials continued under suspension.

Penalties of various types were imposed upon 105 officers/ officials.

Special drive was launched to clear more than 5 years old cases.

796 general complaints were disposed of and 179 preliminary inquiry cases finalised.

4.1 The Vigilance Department of DDA is headed by Chief Vigilance Officer who is assisted by one Director, three Dy. Directors, seven Assistant Directors, one Accounts Officer, one A.A.O., one Superintendent and one Junior Law Officer on the non-technical side and two Superintending Engineers (one S.E. post lying vacant), nine Executive Engineers, nine Assistant Engineers on technical side, for the purpose of conducting investigations into non-technical and technical matters and processing of the disciplinary cases against the employees of DDA. The cases of technical nature include Engineering and Horticulture Department. During 1998-99 departmental enquiries were conducted by Commissioners for Departmental Inquiries of CVC. Four senior retired officers have been working as Inquiry Officer on Contract basis. One Superintending Engineer is also working as full time S.E. (Vig.) Inquiry.

4.2 The Vigilance Department is responsible for the implementation of anti-corruption measures and maintenance of integrity in service as per instructions issued from time to time by the Department of Personnel, Central Vigilance Commission, Ministry of Urban Affairs. The three pronged strategy formulated by the Department of Personnel and Training in their action plan on anti-corruption measures viz. prevention, surveillance & detection and deterrent punitive action is being adhered to scrupulously. More stress is placed on preventive Vigilance. Regular liaison is maintained with the C.B.I., Anti-corruption Branch, Govt. of N.CT. Delhi, C.V.C. and the Ministry of Urban Affairs. The lacunas noted by the Head of the Department are plugged and procedures are streamlined wherever necessary.

4.3 On the punitive side during the year 1998-99 (upto March 31,1999) 59 Charge-Sheets have been issued under Regulation 16 & 17 of the DDA (Salaries, Allowances and Conditions of Service) Regulations 1961. 74 officers/officials continued under suspension. Besides these, penalties of various types have been imposed upon 105 officers/officials of the Authority as per details given below :

a)	Censure	26
b)	Recovery	2
c)	Stoppage of increment	72
d)	Reverted to lower grade	4
e)	Compulsory retired	--
f)	Removal/terminated/dismissed	1
		105

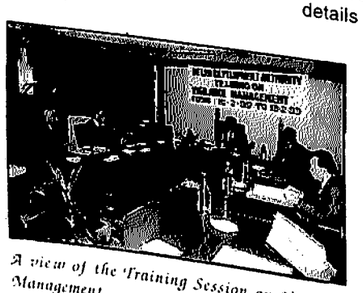

A view of the Training Session on Vigilance Management.

4.4 **Trap Cases**

4.4.1 The Vigilance Deptt. of DDA is keeping liaison with C.B.I., Anti-Corruption branch of Govt. of N.C.T. As a result of close co-ordination with these agencies, four employees were trapped by C.B.I and placed under suspension by the Vigilance Department.

4.4.2 F.I.R. has been lodged with C.B.I as some of the officials of Housing Accounts Department connived with the registrants of flats to issue possession letters on the basis of forged bank challans.

4.4.3 Two cases were registered with the C.B.I.,Anti-Corruption Branch and Delhi Police against the officials of the Authority. During this period 796 general complaints have been disposed of and 179 preliminary inquiry cases have been brought to logical conclusion. A total of 2615 Vigilance Clearance Reports in respect of DDA officials of various categories were issued.

Vice Chairman and other senior officers of DDA with the participants of training on 'Vigilance Management'.

4.4.4 In Vasant Kunj area some unallotted flats were checked and during checking it was found that two unallotted flats were occupied by unauthorised persons. Action against responsible officer and official is being taken.

4.4.5 Special drive for disposal of more than 5 years old cases have been launched. The pendency of such cases has been brought down to some extent.

4.4.6 Efforts are also being made to reach at the current level of investigation till now which was a far cry.

4.4.7 Vigilance machinery has also been strengthened by providing computer training to eight investigation officers.

4.4.8 A special drive has been launched to scrutinise the Property Returns of the Senior Officers of the Authority.

4.4.9 A special Training Programme w.e.f. 16.2.99 to 18.2.99 was organised for the officers of Vigilance Department to improve the quality of investigations as well as proper management of the vigilance cases.

4.4.10 The Training programme was inaugurated by Sh. Bhurey Lal, Secy., CVC and presided over by Shri A. Ramaswamy, IAS, Principal Commissioner. Experts on the subjects were invited from C.B.I. and C.V.C. Necessary guidance and up to date information on vigilance matters including court cases were provided to the officers working in Vigilance Department. The training programme concluded on 18.2.99. At the concluding ceremony Shri N. Vittal, Chief Vigilance Commissioner, Govt. of India was the Chief Guest. Vice-Chairman and Principal Commissioner, DDA also spoke.

Training programme organised for officers of Vigilance Department.

5. Law Department

5.1 The Law Department of the Authority has been looking after the entire litigation work by and against the Authority. It renders legal advice in the cases referred to it by the HOD's of various Branches of the DDA.

The Department is utilising the services of the advocates for conducting the court cases for and against the Authority. At present there are 18 Panel Lawyers for the High Court and 25 Panel Lawyers for District Courts. In order to ensure that court cases are effectively processed and defended before the Courts, Sr. Advocates/Special Counsels are also engaged in important matters with the approval of F.M. One Senior Standing Counsel, two Addl. Sr. Standing Counsels and three Standing Counsels have also been engaged for conducting important court cases. Besides, there are 3 Advocates on records for conducting Supreme Court cases.

5.2 During the year 1998-99, DDA won a number of landmark cases. A few of those cases are mentioned below:

5.2.1 **Parkash Chand Malik V/s DDA**

Shri Parkash Chand Malik was allotted plot No. 1444 Outrum Line, Delhi. He has filed a suit for allotment of adjoining additional land measuring 133 Sq. yds. bearing plot no. 1444/1, at concessional rates. The said plot bearing no. 1444/1, Outrum Line was to be auctioned by DDA. After hearing the arguments, the Hon'ble Court declined to grant the stay of the auctioning of the aforesaid plot. As such, the said plot was auctioned by DDA and the Department succeeded in fetching an amount of Rs. 26,27,000/-.

5.2.2 **Smt. Amrit Kaur V/s Smt. Paramjeet Kaur & Others. (RFA No. 817/85).**

Plot No. 51, Basant Lok, Basant Vihar, New Delhi was purchased in an open auction by one Sh. Surinder Singh and 25% of the bid amount was deposited and has not made the payment of the balance amount as per the terms of the auction. Sh. Surinder Singh died on 1.7.73. Sh. Surat Singh, father of the auction bidder filed a suit for declaration claiming that Sh. Surinder Singh was only a benami-holder. On the death of Sh. Surat Singh, his widow, Smt. Amrit Kaur was brought on record. The suit for declaration was dismissed by the Trial Court and the present appeal has been preferred against the said judgement. The Respondent No. 1 has sold out the plot to Sh. Harinder Pal Singh Chawla of M/s Ventage Const. Pvt. Ltd. through Power of Attorney and therefore, the allotment was cancelled by V.C. in 1992. Respondent No. 1., widow of Sh. Surinder Singh has filed a CM in the aforesaid appeal praying therein that Respondent No. 2, DDA be restrained from re-auctioning, alienating or transferring the plot in question. The case was contested by Addl Senior Standing Counsel and after hearing the arguments the Hon'ble Court has dismissed the CM applicaion resulting thereby that the appeal has become infructuous. DDA has re-auctioned the said plot on 24.8.98 for a sum of Rs. 3.65 Crores.

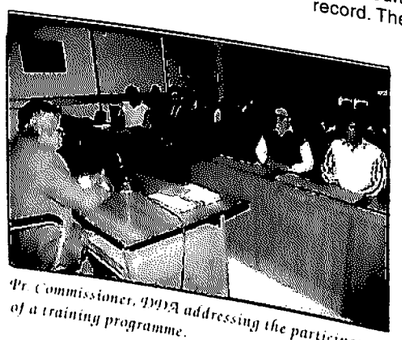

Pr Commissioner, DDA addressing the participants of a training programme.

5.2.3 **DDA V/s Sh. Kimti Lal Babbar & Others (Civil Appeal No. 8918/98).**

Shri K.K. Babbar, the Complainant/Respondent had filed a complaint against the DDA in MRTP Commission that his old house in Nabi Karim area collapsed during rains and he is reconstructing the same which does not require any sanction from the Authority. DDA has taken the stand that the area in question falls in a development area of DDA and no construction can be made without prior approval of the Authority and the Building Bye-Laws also did not permit such constructions. However, the MRTP Commission has allowed the construction. DDA has preferred a SLP in the Hon'ble Supreme Court of India thereby challenging the aforesaid orders of the MRTP Commission. The Hon'ble Supreme Court has set aside the orders of the MRTP Commission and observed that the said orders of the Commission was without jurisdiction. Accordingly, the complaint has also been dismissed by the Apex Court.

5.2.4 **Little Angles Public School Society & Other V/s Union Of India and Others (C.W. 3775/91 & Other CWPLC)**

A number of writ petitions have been filed by the Educational Societies in the Hon'ble High Court, of Delhi thereby challenging the additional demand made by the DDA for the land allotted to them. These Educational Societies were allotted institutional plots at "Provisional market rates" and while accepting the allotment, the petitioners have agreed and undertook to pay the difference which were not on "no profit no loss" rates but were "provisional market rates". The matter was argued by our Sr. Standing Counsel. The Hon'ble Court vide its judgement dated 21.8.98 has held that the petitioners are precluded from urging that they were entitled to allotment on "no profit no loss" basis or that they are bound to pay rates on "no profit no loss" basis. By virtue of this judgement, the Authority will be able to recover the balance premium of about Rs. 2.00 Crores alongwith interest at the rate of 18% p.a from 18 Educational Societies.

5.2.5 **Sita Ram Bhandar Society V/s L.G. etc. (CWS 1628 & 1629/95)**

The petitioner have filed two writ petitions thereby challenging the acquisition proceedings and prayed for stay of taking possession of land measuring 11 Bighas and 8 Biswas situated in Khasra No. 157, Lado Sarai. The Hon'ble Court vide its Judgement dated 25.9.98 had dismissed both writ petitions with cost of Rs. 10,000/- in each case and has held that the possession of the land stood remain with Union of India/Land Acquisition Collector and transferred to DDA and that the acquisition made was complete and valid in the eyes of Law. Thus, the DDA has saved prestigious land in South Delhi worth crores of Rupees.

5.2.6 **Khajan Singh V/s UOI and Others (CWP 1958/96 & 128 others CWPs)**

129 writ petitions were filed in the High Court of Delhi thereby challenging the premium demanded from petitioners for the

allotment of the developed residential plots in lieu of their acquired land. The petitioners have also alleged that under Section 21 of DD Act, 1957 and the policy framed thereunder, the petitioners and other persons whose land has been acquired had a priority over any body else for allotment of a residential accommodation on the said land and DDA cannot allot undeveloped Nazul land and demand the price of the plot without developing the same. The case was contested by our Senior Standing Counsel. The Hon'ble High Court of Delhi vide its orders dated 28.10.98 has dismissed all the writ petitions and held that the rates charged by the DDA were correct and justified. However, the Hon'ble Court has issued directions to the DDA that if the plot of land allotted to the petitioners is still available and in case an unconditional request is made within a period of 4 weeks for deposit of the amount, within a period of 8 weeks from the date of receipt of such requests, the DDA shall after verifying from the records, issue fresh letters of demand to each of the petitioners, calculating interest @ 18% p.a. from the date, as originally appointed for payment till date of payment or till issuance of fresh letters of payment. The Hon'ble Court has further directed that within a period of 8 weeks after receipt of the revised demand letters, on petitioners' making payment and on complying with other formalities regarding documentation etc., DDA shall deliver possession of the respective plots to the petitioners within a period of 4 weeks thereafter. Thus, the DDA will be able to recover Crores of Rupees on account of premium alongwith interest.

5.2.7 **Amin Chand and others V/s UOI and Others (CM No. 9964/98 in C.W. No. 2762/85)**

The subject matter of the writ petition is a land falling in Khasra No. 133-134, Village Khirkee. 104 SFS Flats were constructed. However for want of approach road, electrification, sewer, water and drainage etc., the draw of lots could not be held as the orders of the status quo in respect of the aforesaid land was in operation. An application was moved by the DDA to modify the orders of the status quo. The Hon'ble Court vide its orders dated 12.1.99 had modified the status quo orders to the extent to carry out approach work including electric work and necessary action to lay sewers and storm water drainage in the aforesaid plot. Thus, the DDA can realise huge amount spent on the construction of the aforesaid SFS Flats by holding draw of lots.

5.2.8 **Hari Parkash etc. V/s UOI & Others (C.W. No. 2507/98 & C.W. CWPs)**

4 writ petitions were filed thereby challenging the acquisition proceedings of the land measuring 103 bigas and 5 biswas in Molar Band and have prayed for release of the said land due to built up or non-payment of compensation. The land in question was required to be handed over to Slum & J.J. Deptt. for relocation of Jhuggies from AIIMS. The matter was contested by our Senior Standing Counsel and writ petitions were dismissed resulting in getting the aforesaid land released from stay orders operating thereon. The LPA filed by the petitioners was also dismissed by the Hon'ble Court.

6. Systems & Training

6.1 The work for computerisation of Housing and Legal Wing has been assigned to CMC Ltd. and the software development, network cabling etc. is in progess. It is envisaged that during the financial year 1999-2000 the Legal and Housing Wings shall be totally on-line and the computerisation shall meet all expectations and the dissemination of the information shall be correct, complete and efficient.

The work of computerisation of Housing and Legal Wing entrusted to CMC Ltd.

The computerisation of the Personnel Wing is also being taken up and the work has been awarded to RITES for software development. Once the System study report is ready, steps for hardware procurement and networking will also be taken and the project is expected to be implemented within 1999.

The computerisation of Land Disposal and Land Management as well as land records shall be initiated during the current year so that the software is developed, data bases are created and the systems are implemented during the year 2000. The scope of intranet setup last year has been strengthened and more nodes have been added. Once the Housing and Legal Wing are computerised the data bases shall be available to the authorised officers/users on the network.

During the current year a draw was held for allotment of shops to reserve category applicants. The unsuccessful and non-eligible reserve category applicants of the last draw were issued refund cheques. Similarly monthly draws were held for allotment of flats to New Pattern Registration Scheme, Ambedkar Awas Yojana and Janta Housing Registration Scheme for allotments of flats as well as specific flat allotments to the allocatees of the SFS Scheme.

The Housing Receipt Accounting System and Receipt Verification Module has made the verification of receipts very efficient. The applications of the Amnesty Scheme were efficiently processed due to quick verification of Receipts on-line. The data of receipts of non-NPRS Scheme since 1981 is being validated and shall also be available on-line shortly.

146 participants sent for training in 63 external courses and 1637 employees were trained in in-house courses.

6.2 The Training Institute has been organising the training programmes for the staff & also identifying the need to upgrade their professional knowledge. It also nominates officials to participate in various training programmes organised by other professional institutions. It also identifies suitable officials/ officers for nominating them to participate in professional conferences, workshops & seminars which help them to share experience with others and appreciate new ideas in their professional experience.

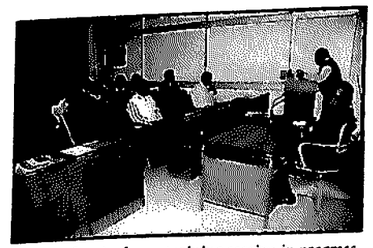

A view of an in-house training session in progress.

During the year 1998-99 we have been successful in imparting training to 1637 employees in various in-house courses to improve their knowledge and to make effective use of the latest techniques in performing various activities of work.

Workshop on Citizens' Charter organised in which 120 officers participated.

The training institute has also nominated 146 participants of DDA for participation in 63 external courses organised by outside agencies in which our officers/officials actively participated and represented DDA.

In addition to the above a Workshop on Citizens' Charter was also organised by Training Institute in 'B' Block Conference Hall which was attended by 70 middle level officers upto the rank of Jt. Directors on 21.1.99 & 22.1.99 and 50 senior level officers on 27.1.99. A special training programme was also conducted in collaboration with Central Vigilance Commission for the officers of Vigilance Department of DDA with the help of eminent faculties from C.V.C and other organisations in the month of February, 1999.

Simple Accounts Examinations for JE's/ S.O. (Hort.) was also conducted by the Training Institute on 02.02.99. A total of 55 candidates appeared in the examinations & out of these 35 officials were declared successful.

The comparative statement of achievements during the past two years & achievements during 1998-99 is given as under :

QUARTERWISE DETAILS OF TRAINING PROGRAMMES DURING 1998-99

S.No.	Quarter	In-House Courses		External Courses	
		Number	Participants	Number	Participants
1.	1.4.98 to 30.6.98	18	249	20	47
2.	1.7.98 to 30.9.98	29	363	14	29
3.	1.10.98 to 31.12.98	33	497	19	47
4.	1.1.99 to 31.3.99	28	528	10	23
TOTAL		108	1637	63	146

STATEMENT OF TRAINING PROGRAMMES OF DDA DURING 1996-97, 1997-98 & 1998-99

	No. of Programmes			No. of Participants		
	96-97	97-98	98-99	96-97	97-98	98-99
1. Training Programmes conducted at DDA's Training Institute in which DDA's nominees Participated.	38	85	108	1140	1342	1637
2. Training programmes conducted by outside Institutions/Agencies in which DDA's nominees Participated	57	66	63	167	182	146

7. Engineering & Construction Activities

4038 houses completed during the year 1998-99. 10990 houses in progress as on 1.4.98 and 12452 houses were taken up during the year 1998-99.

Main activities of the Engineering Wing are development of acquired land, development of infrastructure like roads, drains, water supply, sewerage and other facilities, development/construction of commercial centres and construction of dwelling units. The developed land is utilised for providing plots and also for construction of houses of various categories. The land is also allotted to Co-operative Societies. The houses constructed by the DDA are allotted to the various registrants, who are then expected to look after the maintenance of houses themselves. Services like roads, storm water drainage, sewerage, water supply etc., forming internal/ peripheral services are handed over to the Municipal Corporation for further maintenance. Common passage and utilities within the built-up areas are the responsibilities of the respective welfare societies of housing/commercial pockets.

The activities of the Engineering Wing can be classified broadly under the following heads :

A) Construction of Residential Buildings.
B) Development of Commercial Centres.
C) Development of Land for residential, institutional, industrial, recreational and commercial purposes.
D) Special projects including Sports Complexes.
E) Development and maintenance of green areas, viz. Master Plan Greens, District Parks, Neighbourhood Parks, Recreational Centres, Sports Fields and Children's Parks etc.

Regarding the above activities, the achievements of 1998-99 are as under :

7.1 Construction of Residential Buildings

Essentially, the DDA constructs houses of various categories viz. SFS/MIG/LIG/Janta/EWS etc. for a large number of registrants. The brief details of houses in progress as on 1.4.98, new houses started during 1998-99 and completed by DDA during the year 1998-99 are given in the table alongside :

Physical Achievement

S. No.	Progress in Housing	SFS	MIG	LIG	JANTA	Mixed land use	Total	1997-98	1996-97
1.	Houses completed upto 31.3.98	49093	59190	72806	77141	-	258230	254595	246852
2.	Houses in progress as on 1.4.98	2122	2672	2680	3516	-	10990	13959 (1.4.97)	12324 (1.4.96)
3.	Houses targetted to be taken up during 1998-99	2874	604	176	7116	-	10770	9968	17900
4.	New houses taken up/started during 1998-99	2020	1348	176	8908	-	12452	1122	9644
5.	Houses targetted to be completed during 1998-99	160	1234	1872	656	-	3922	3935	9900
6.	Houses completed during 1998-99	160	1234	2032	612	-	4038	3635	7743

7 commercial schemes completed during 1998-99.

7.2 Development of Commercial Centres

To meet the ever increasing demand for shopping facilities and commercial space for the residents of various residential/ industrial complexes developed and disposed off by DDA, a large number of commercial centres of various sizes have been planned and constructed by DDA.

The position of various shopping/commercial complexes in progress as on 1.4.98, new complexes started and completed during the year 1998-99 is given as under :

Physical Achievement

S. No.	Progress in Commercial Schemes	D.C.	C.C.	L.S.C.	C.S.C.	Total	1997-98	1996-97
1.	Commercial Complexes completed upto 31.3.98	6	24	114	417	561	547	538
2.	Commercial Complexes in progress as on 1.4.98	7	5	6	4	22	22 (1.4.97)	20 (1.4.96)
3.	New complexes targetted to be taken up during 1998-99	-	3	6	7 +7JM	16 +7JM	17	13
4.	Commercial schemes taken up during 1998-99	-	1	1	3 +3JM	5 +3JM	14	12
5.	Commercial schemes completed during 1998-99	-	-	2	3 +2JM	5 +2JM	14	9

7.3 Major Development of Land Schemes

The present position of provision of various services like roads, sewer, water supply, drainage, electricity in different sectors/ pockets of various schemes, where development works are in progress, is given in the Annexure-A.

7.3.1 DWARKA PHASE-I & II

The Dwarka (PPK) Project in South-West Delhi covers an area of 5648 hect. and forms part of the proposed urban extension of the MPD-2001. Phase-I of the project envisages the development of 1862 hect. of already acquired land. An area of 2098 hect. has been planned for development in the second phase of the project. The project has been planned to accomodate a population of approx. one million. The DUAC has accorded approval of the plan in Sept. '98. Out of the total land for phase-II of the project measuring 2098 hect., so far 1014 hect. has been acquired where development works are in progress. The remaining land for Dwarka Phase-II is under acquisition and is now likely to be acquired during 1999-2000.

The development work in Phase-I & II are targetted to be completed by 2002 and 2004 respectively, subject to land acquisition in Phase-II.

The brief details of Scheme is furnished below :

a)	Total Site Area	5648 hect.
b)	Phase-I Area	1862 hect.
c)	Phase-II Area	2098 hect.
d)	Area yet to be acquired in Ph.-II	1084 hect.
e)	Total CGHS plots	269 hect.
f)	Total houses completed	15630 (including Bindapur)

DDA SFS flats at Dwarka.

Expandable houses at Dwarka.

The present position of provision of various services like roads, sewer, water supply, drainage, electricity in different sectors/ pockets of this scheme, where development works are in progress, is given in the Annexure-A. Hon'ble Lt. Governor is also reviewing the progress of the services in this area. The progress of development of services is mainly dependent on acquisition of further land. The functionality of some of the services are under constraint on this account.

7.3.2 NARELA

This project is located in the northern most part of the Union Territory of Delhi having total area of 7282 hect. comprising of the part zones of M, N & P to be planned for a population of 14 lakhs. The main objective of the project is to reduce the pressure on urban Delhi by creating counter centres for growth. The DDA has started the development of this project on about 750 hect. of land already acquired out of which an area of 515.74 hect. land is being developed under Phase-I to provide housing for about one lakh population. The work on Master Plan roads and peripheral roads has already been completed. Other services like sewerage, water supply and S.W. Drains for the houses already completed at Narela, have also been laid. The overall development works in Narela Project are likely to be completed by March, 2001.

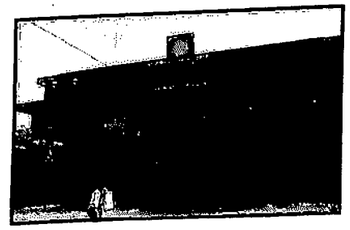

Service Industries Building developed by DDA at Janakpuri.

The land use break-up of 515.74 hect. of land being developed is given below :

	Land Use	Area (in hect.)	%age
1.	Residential	259.42	50.30
2.	Commercial	8.00	1.55
3.	Public and Semi-public facilities	60.92	11.80
4.	Recreational	112.42	21.80
5.	Circulation	65.90	12.78
6.	Utility	9.08	1.77
	Total	515.74	100.00

The present position of provision of various services like roads, sewer, water supply, drainage, electricity in different sectors/ pockets of this scheme, where development works are in progress, is given in the Annexure-A.

7.3.3 **DHEERPUR**

This area lies in the vicinity of Ring Road, G.T. Road, near to Azadpur Subzi Mandi and is adjoining to posh residential colonies of Model Town etc. It is much nearer than any of our new urban extensions. This land is best placed amongst all locations presently available with DDA. Out of 900 hect. of land, a scheme in the first phase has been prepared to develop 194.50 hect. and planned for a population of 40,000. The layout plan for Dheerpur area provides for construction of 4 storeyed and some multi-storeyed houses. The plan has been approved by DUAC. Due to some land problems and assessment of financial viability of the project the development works could not be started upto 1997-98. The works of peripheral and internal development have now been taken up.

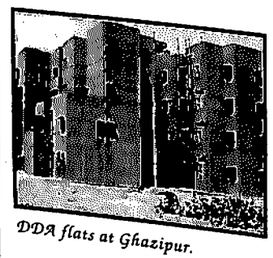

DDA flats at Ghazipur.

The land use break-up of 194.50 hect. of land being developed is given below :

	Land Use		Area (in hect.)
a.	Gross area of the Scheme		194.50
b.	Area of existing developments :		38.18
	i) Gopalpur Village	9.56 hect.	
	ii) Nirankari Mandal	15.00 hect.	
	iii) Gandhi Vihar	9.30 hect.	
	iv) 220 KV ESS	4.32 hect.	
	Total	38.18 hect.	
	Net Area for Planned Development		156.32
	i) Gross Residential Area	115.69 hect.	
	ii) Commercial	5.50 hect.	
	iii) Public & Semi-public facilities	15.40 hect.	
	iv) Recreation	19.73 hect.	
	Total	156.32 hect.	

The present status of development of works is given in the Annexure-A.

7.3.4 **ROHINI**

a) **Rohini Phase - I & II (Sector 1 to 19)**
(2400 hect. - Out of which 1756 hect. is available for development)

Rohini Phase-I (Sec. 1 to 8) and Phase-II (Sec. 9 to 19) has been fully developed and it is almost totally habitated. All the necessary services are available in Ph.-I & II.

Commercial activities at the level of Distt. Centre and Community Centre alongwith Distt. Park and City Centre is under execution as detailed below :

a) Distt. Centre in Sector 3 is being developed.
b) 4 Community Centres, 1 each in Sec. 3, 8, 9 and 14 are being developed.
c) Distt. Park viz. Golden Jubilee Park comprising of 100 hect. of land is being developed with facilities like Boat Club, Japanese Garden and Children Play Area etc.
d) In the vicinity of the above Distt. Park, a City Centre is also being developed comprising of an area of 63 hect.

The following commercial plots are likely to be available by 31.3.99 :

i) Three plots of Community Centre, Sector 3, Rohini.
ii) Two plots, one for Cinema Hall and one for Office-cum-shops at Manglam Place, Sector 3, Rohini.
iii) One plot for Cinema Hall at Prashant Vihar, Rohini.

The present status of development of works is given in the Annexure-A.

b) **Rohini Phase - III (Sector 20 to 25)**

Phase-III of Rohini has been developed on an area of 700 hect. which will accomodate a population of about 1,58,000 and will provide for 31,600 DUs under various housing/plotted development and rehabilitation scheme. The peripheral sewerage, water supply and drainage works has been completed. Peripheral roads are likely to be completed by March, 2000. To provide storage facility as regards water supply in Ph.-III, the construction of Command Tank of capacity of 7.50 MG has already been undertaken in Sec. 23 and is likely to be completed by June '99.

The present status of development of works is given in the Annexure-A

c) **Rohini Phase - IV**

There are registrants awaiting allotment of plots under various categories. To accomodate them, a proposal for acquiring 835 hect. of land is in the final stages of notification/acquisition.

Land measuring 160 hect. have already been notified under Section-4 of Land Acquisition Act for which amount has already been deposited and possession of about 70 hect. of land has already been taken over by DDA. On rest of the land, there is a court case i.e. Prahlad Residents Welfare Association versus Union of India. Some permanent structures are existing on the land.

7.3.5 **VASANT KUNJ Phase - I & II**

The Vasant Kunj project is located in the Southern most part of Delhi. The project is developed in two phases.

a) **Vasant Kunj Phase - I**

Vasant Kunj Phase-I is bounded by rural area comprising villages such as Ghitorni, Rang Puri etc. in the north, JNU in the south, Link Road and village Mahipalpur in the east and Aurobindo Marg in the west. The project covers a total area of 381.45 hect. and is projected to accomodate a total population of 1,15,000. Phase-I has already been developed. 13,600 houses have been completed and allotted/under allotment.

b) **Vasant kunj Phase - II**

Vasant Kunj Phase-II is located in the South of Vasant Kunj Phase-I and is bounded by Vasant Kunj Ph.-I in the north, Vasant Vihar in the south, Ridge (Reserve Forest) on the east and JNU in the west. The project covers an area of 315 hect.

Status of Development

Social and physical infrastructures :

It is planned to develop International Hotel Complex of 4 and 5 star Hotels, Shopping mall, institutional, residential, recreational facilities etc. The Hon'ble Supreme Court stayed all construction activities on the entire area of 315 hect., but subsequently released 92 hect. of land where constructional activities are going on as per initial plan.

This 92 hect. of land is commonly known as constrained area containing residential, commercial, institutional and recreational facilities in the form of Five Star Hotel, Shopping Mall of international standard, plots for institutional areas, some of which already stand allotted to institutions like School of Planning & Architecture, National Book Trust, Birla Academy etc. The work on Five Star Hotel project is already in progress. The projected population in this area is 60,000.

The present status of development of works is given in Annexure-A.

7.3.6 **JASOLA**

This scheme is located in South Delhi, consisting of 163.87 hect. of land and planned for a population of 40,000. Some of the chunks of land under 'Court Stay' have been vacated in January '97. The development works are likely to be completed during the year 1999.

The present status of development of works is given in the Annexure-A.

7.3.7 **SUR BATHING GHAT**

The site for Sur Bathing Ghat has been selected between Wazirabad barrage and connection point of Najafgarh drain. This is an ideal location for the said Ghat, there being no chance of getting polluted waste of the industries coming into it.

The work is in progress and is likely to be completed during 1999 provided stay on land under Khasra No. 98 is vacated.

Annexure "A"

DDA continued development of sub-cities, within the city of Delhi, at Rohini, Dwarka and Narela etc. Progress of some of major development schemes attained is as given below :

A. Total length of the service to be laid in the schemes.
B. Services laid upto 31.3.97
C. Services laid upto 31.3.98
D. Services laid upto 31.3.99

Name of Schemes	Area of the Scheme in Hects		PHYSICAL ACHIEVEMENT OF INFRASTRUCTURE				
			Roads in KMs	Sewerage In KMs	Water Supply In Kms	Storm Water Drain In Kms	Electricity
1. Dwarka a) Phase-I	1862	A B C D	80.74 80.74 80.74 80.74	59.30 58.00 58.00 59.00	57.56 55.00 55.00 57.56	188.45 24.00 120.00 145.00	DVB work in progress
b) Phase-II (Land available)	2098/ 1014	A B C D	42.00 25.00 25.00 30.00	19.00 4.00 10.00 11.00	8.00 NIL NIL 2.00	25.00 3.60 11.00 15.00	DVB work in progress
2. Narela	7282/ 750	A B C D	33.00 33.60 33.60 33.60	33.00 32.00 32.00 32.00	33.00 20.50 26.00 26.00	79.00 30.00 55.00 55.00	DVB work in progress
3. Dhirpur	194.5	A B C D	5.60 2.00 2.00 2.00	6.00 - - -	6.00 - - -	10.00 - - -	
4. Rohini a) Phase-I & II	2400 / 1756	A B C	300.00 300.00 300.00	105.00 105.00 105.00	148.00 148.00 148.00	67.00 67.00 67.00	Completed
b) Phase-III	1000/ 700	A B C D	168.00 153.00 153.00 -	26.60 26.60 26.60 -	55.00 55.00 55.00 -	83.00 83.00 83.00 -	DVB work in progress
5. Vasant Kunj, Phase-II	315/ 92	A B C D	3.90 3.20 3.20 - 7 KM Portion is encroached	- - - -	- - - -	- - - -	Services plans Submitted to MCD The dev. Works in 92 hect. Land will be taken up in 1999-2000
6. Jasola	163.87	A B C D	17.25 4.15 9.25 11.15	14.50 2.65 4.00 10.00	19.40 2.00 7.00 15.25	15.00 NIL 8.00 11.00	

7.4 SPECIAL PROJECTS INCLUDING SPORTS COMPLEXES

DDA has been taking up a number of special projects as part of development and providing facilities at city level. During the year 1998-99, DDA completed/started following special/major projects to provide better facilities for residents of Delhi.

7.4.1 Special Major Projects

Special Major Projects in Progress :

i) Sur Bathing Ghat along river Yamuna.
ii) D/O Bhaleswa Lake Complex,
iii) District Park between Sector 9 & 11, Rohini.
iv) PVC Market at Tikri Kalan.
v) Yamuna Sports Complex.

7.4.2 Projects in various Sports Complex

a) **Completed during the year 1998-99**

i) Multigym at Sarita Vihar.
ii) Covered Badminton Hall at Rohini Sports Complex.
iii) Cricket Practice Pitches at Siri Fort Sports Complex.
iv) Skating Rink at Paschim Vihar Sports Complex.
v) Admn. Block, volley ball court, badminton court, skating rink, tennis courts, basketball court, & tube well at Sports Complex, Pitampura.
vi) Squash Court building at Saket Sports Complex.
vii) Three Nos. Synthetic surface tennis courts, Skating Rink, Jogging track, Athletic track & Cricket pitch, Artificial climbing wall and facility building at Yamuna Sports Complex.
viii) Jogging Track at Hari Nagar Sports Complex.
ix) Cricket pitch, tube well & boundary wall at Sports complex, Pkt. 2, Sec. - D, Vasant Kunj.
x) Badminton court, tennis courts & tube well at Sports Complex, Pkt. 2 & 3, Sec D, Vasant Kunj.
xi) Under Ground Tank, Sub-Station building & Parking facility at Public Golf Course, Lado Sarai.

b) **Projects in Progress during the year 1998-99**

i) Covered Badminton Hall at Siri Fort Sports Complex.
ii) Sports field opp. Ashok Vihar Sports Complex.
iii) Golf Course at Lado Sarai.
iv) Sports Complex at Vasant Kunj.
v) Multi Gym at Pratap Nagar Park.
vi) Multi Gym near Faiz Road.
vii) Multi Gym at Distt. Park Harsh Vihar.
viii) Multi Gym at Sec. 14, Rohini.
ix) Multi Gym at Kalyan Vihar.
x) Sports Complex at Jasola.
xi) Sports Complex near TV Tower, Pitampura.
xii) Sports Complex at Chilla.
xiii) Sports Complex at Dwarka.

Basketball match in progress in one of the sports fields developed adjacent to a Multigym.

7.5 DEVELOPMENT / MAINTENANCE OF HORTICULTURE WORKS

DDA's emphasis has been to develop green areas which are the lungs of the city. DDA can proudly claim to have built up the best network of green area in any city in the country. DDA has developed approximately 16000 acres of greens which include city forests / woodland, green belts, district parks, zonal parks, neighbourhood parks and totlots in the residential colonies.

	Year	Tree Plantation (In lacs)		D/O New Lawns (In Acres)		D/O Children Parks/ Children Corners (In Nos.)	
		Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved
1.	1996-97	5.00	6.35	160	140.00	16	11
2.	1997-98	7.50	5.90	172	126.50	8	15
3.	1998-99	4.30	4.78	158	145.50	22	19

7.6 SPECIAL ACHIEVEMENTS/DRIVES

a) **Handing Over of Services to MCD**

The services of 382 developed colonies are to be handed over to MCD in a phased manner. Out of these colonies, services of 91 colonies have already been handed over to MCD upto March '98. Services of 84 more colonies have been handed over to MCD upto December '98 and services of remaining colonies are likely to be handed over to MCD by June '99.

b) **Estimates Approved for New Schemes**

Estimates of new construction/development activities to be taken up by DDA, approved by the competent authority are as under :

During 1996-97 : Rs. 354 Crores
During 1997-98 : Rs. 195 Crores
During 1998-99 : Rs. 320 Crores

7.7 NEW THRUST AREAS

7.7.1 Flyovers

With the increase in population, (local as well as floating) and self sufficiency achievement made by Auto Industries the traffic on the roads has increased. The traffic congestions at crossing on busy roads like inner Ring Road cause great inconvenience to the users. Besides, it raises pollution level and wasteful fuel consumption. Hon'ble L.G., Delhi has desired DDA to take up the construction of Flyovers to mitigate traffic problems. The following flyovers have been allocated to DDA.

Work on 7 Fly-overs awarded.

i) Wazirabad Road - Road No. 66.
ii) Vikas Marg - Road No. 57.
iii) NH-24-Noida crossing.
iv) Jail Road/Mayapuri Road Crossing.
v) Ring Road - Road No. 41.
vi) Nelson Mandela Marg - Mehrauli Mahipalpur Road.
vii) NH-2-Road No. 13-A.

The work for the above 7 flyovers have been awarded. The conceptual plan for all the 7 flyovers have been approved by Technical Committee of DDA and the matter already stands referred to DUAC for clearance of these projects. The approval of DUAC is under process.

7.7.2 Yamuna River Bed Development

The length of River Yamuna in National Capital Territory of Delhi is about 50% of the length in present urban limits and the balance in rural area of Delhi with a width between banks varying from 1.5 kms to 3 kms. The area of the river bed is 9700 hect. DDA has worked out a proposal for development of the river bed considering the flood prone zoning requirement of the area. The study conducted by CWPRS, Pune at a cost of Rs. 1 crore shows that about 4600 hect. of the area can be reclaimed and developed for various use for recreational purposes besides small components of commercial, residential, semi-public facilities and for Government offices.

Subsequently as per decision NEERI a unit of CSRI was asked to carryout the environmental impact assessment of the proposed development. The preliminary report has been received recently. VC has constituted a committee to examine and give its recommendation.

7.7.3 Solid Waste Management

Work on finding alternative source for solid waste disposal started.

With more and more urban utilisation of Delhi and increase in population, solid waste management becomes a major problem. All the sites earlier earmarked for solid waste disposal has been filled up. It has, therefore, become necessary to find alternate source for solid waste disposal. Several agencies have introduced themselves for solid waste management with new technologies.

7.7.4 Relocation of Jhuggie Dwellers and Development of Holding zones

Sample flats with hollow block technology constructed at Vasant Kunj.

Jhuggie clusters are existing at different sites having very big Commercial potentials. Under the management of DDA, it has been decided to shift these jhuggies by providing them some alternative shelters either within the areas or elsewhere. Hon'ble L.G. approved the construction of 10,000 one room tenements to be undertaken in phase - I and completed by June, 1999. Partially Prefab Technology is being considered to be introduced to speed up the construction, and to improve the quality. In addition holding zones sites are being planned/developed for shifting ineligible jhuggie dwellers.

7.7.5 Multi-Storeyed Car Parking

In order to solve parking problems in the over crowded areas, it has been decided to undertake Pilot Project of Multi-storeyed parking system in the Nehru Place area, BHAI's and near ISKON Temple. After observing its performance, such parking lots could be taken up at other important locations.

7.7.6 Janta Market

Hawkers play an important role to satisfy the day to day demand of the lower and middle class localities. For their operations, they occupy part of the road berms or foot path etc., thereby, creating hindrances in the traffic and pedestrian movement. Being an essential part of the Society, it was decided that suitable spaces may be developed in every colony. For such an activity all the hawkers may be removed from the road sides and relocated in these areas for specified period of working. All such reserved spaces are earmarked as Janta Markets. On experimental basis, initially 30 sites have been earmarked. One at Pitampura has already been constructed and put to operations. This has proved to be very successful. One Janta Market in East Zone, one in Rohini Zone has been completed and one market is under construction.

A view of Janta market.

7.7.7 Amusement Parks

In order to give an impetus to the Dwarka Sub-City being developed by the DDA in the South-West Part of Delhi, it was decided to develop an Amusement Park as a focal point in the development of the Sub-City. A detailed presentation was made and the Authority Members have visited various Cities and have seen themselves. Further action towards the development of such Amusement Centres shall be initiated as soon as their views are received in the matter.

7.7.8 Pre-Fab Technologies

Hollow block Technology has been used world over particularly for residential complexes with great success. This kind of construction offers many advantages in terms of quality, variety, stability and speed. In area like Delhi, wherein the quality of the bricks is not satisfactory, DDA as an agency involved with massive housing construction programmes, is seriously considering to utilise this technology more often.

In addition to the usual construction, this type of technology facilitates easy laying of conduits for pipelines, telephones and as well as electric connections. Also they serve as heat barriers and whenever we think reinforcement is required, some zones like corners can easily have tor steel bars and in case of severe loading, one can also have the flexibility of filling with sand, cement mortar or even concrete. Hence, repairs and modifications become easy. DDA has put up sample flats by using hollow block technology at Vasant Kunj which has been highly appreciated by the Research Institutions and the public at large.

Model flats constructed with hollow block technology at Vasant Kunj.

7.7.9 Ready Mix Concrete Plant

As a part of upgradation of Technology, DDA proposed to set up a ready mix concrete plant. The RMC plant's proposal has already been approved by Hon'ble Lt. Governor of Delhi. It is proposed to set up a RMC plant on 1.9 Hect. land in Sec. 20, Dwarka and was approved by the Technical Committee.

The RMC plant will be set up by a Private entrepreneur to whom DDA will allot the land on lease and licence basis for a period of five years. The entrepreneur will supply Ready mix concrete to DDA works at agreed rates and sell the spill over quantity in the market. Introduction of RMC plant in the city will help to ensure consistent quality and strengthening of concrete, less blockade of roads by aggregate stacking, avoid noise pollution to neighbourhood and passers by, leads to faster rate of concreting with less wastage of aggregates and concrete. It will ensure consistent quality and will also need less labour

force thus saving the city from creation of more jhuggie clusters because the labour from other parts of the country who comes here in search of work, ultimately settles here.

The Landscape plan finalised for development of 100 hec. green area in Sectors 9 and 11 of Rohini for developing Golden Jubilee Park.

7.7.10 **Golden Jubilee Park**

The landscape plan for development of 100 Hect. Green area in the City Centre, Sector - 9 & 11, Rohini was approved by the DDA. The development of the park envisages a number of recreational facilities including lakes, formal gardens having series of fountains, children park, exhibition ground, restaurant, Picnic Huts, Japanese garden with lakes, Boat club etc. Hon'ble Lt. Governor has laid the foundation stone on 14.11.1997. In addition, this park is surrounded with peripheral drainage system and proposal is being worked out to harvest rain water into these lakes so that sufficient water remains throughout the year. A number of development works have already been taken up and are in progress.

7.7.11 **PVC Market, Tikri Kalan**

250 Acres of land at Tikri Kalan near the Mungesh Pur drain has been developed by DDA to organise a PVC Market. Additional land of about 0.85 Hect. is under acquisition to provide outfall drains. A sewerage pumping station is under construction which will be completed in a year's time. The allottees of plots have not yet started construction on their respective plots. Out of 2738 plots including ware housing/commercial/ light industries, 623 plots (40-45 Sqm.) have been allotted to those existing at Jwala Heri earlier and possession has also been taken over by 225 allottees.

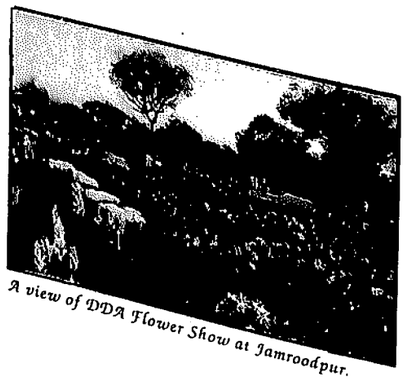

A view of DDA Flower Show at Jamroodpur.

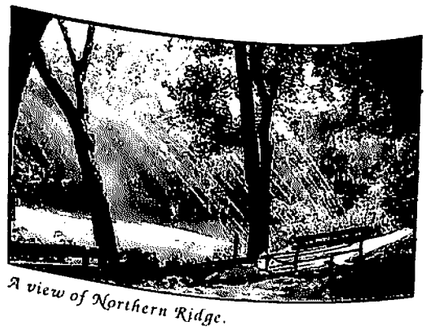

A view of Northern Ridge.

8. Architecture and Planning

One of the objectives of Delhi Development Authority is to plan and develop Delhi as per Plan. Thus planning is one of the basic objectives of DDA. Architecture & Planning Department is responsible for formulation of the plan and also to decide various long term and short term guidelines in realization of the planning process. The achievements of the Planning & Architecture Department of DDA during the year is as follows :

8.1 PLANNING

Development Control & Building Unit

8.1.1 DEVELOPMENT CONTROL

a) **Master Plan Unit**

Organised 14 Technical Committee meetings and follow up actions on the decision of the Technical Committee Meetings were taken.

3 Nos. Authority Meetings were held and follow up actions are being monitored. Issued Public Notices for inviting objections / suggestions and follow up actions with MOUA & E for the land use cases / amendment in MPD-2001 and processed Ministry references etc.

DDA formulated the first Master Plan in 1962. It was revised in 1990 with perspective upto 2001.

b) **Zonal / Development Control Unit**

Prepared and finalised guidelines for Rural Development Plans. Draft Zonal Development Plan for Zone 'L' prepared and approved from Technical Committee.

Scrutiny of reference related to Development code MPD-2001, assisting MOUA & E for finalisation of Unified Building Bye-laws-1998.

Coordination work regarding Gas Godown sites and printing of Zonal Plan of Zone E, F & C.

The work on review of the plan 2001 and the preparation of Master Plan for Delhi for 2021 has also been initiated.

c) **Policy Matter Unit**

Preparation of Presentation Drawings, Charts, 3-D Computerised Model for Zone-D.

Follow up actions for the policy matters related to Planning Department of DDA were taken on Public/Semi-Public facilities, Nursing Homes, Guest Houses, Banks, Banquet Halls, Motels, involvement of Private Developers, various other cases etc.

8.1.2 BUILDING

- The routine building permits of different use Zones issued as per the Building Bye-laws 1983.
- The Citizens' Charter is being followed.
- The work of transfer of files to MCD is being expedited.
- The status of Building Permits issued during the year are :

1. Sanction and Revalidation of Building Plans	2462
	0620
2. Issue of 'C' forms	2024
3. Issue of 'D' forms	0235
4. Issue of Occupancy Certificates	

The total revenue received in Building Section from April, 98 to Feb., 99 is Rs. 2,94,69,047.00.

8.1.3 AREA PLANNING UNIT

- Audio-visual presentation for Zone 'B' , 'C' and presentation drawings of Zone 'F' for MOUA & E.
- Identification & preparation of plans for CNG sites in Zone A,B,C,D,E,F,G & H.
- Denotification of Zone E.
- Development of area to be retained/denotified in Zone A,B & E
- Facility centre - 2, Chilla Dallupura and Service Centre - 1 approved from Screening Committee.
- Finalised the layout plans for Facility centre FC-26, SC-11 at Dallupura, FC-10 at Tahirpur, FC-13 CBD Shahadara, FC-33 at Jasola and facility centre at Geeta Colony.
- Zonal Plans for Zone A,B, & C presented to MOUA & E.
- Action taken report for Zone C as per recommendations of MOUA & E.
- Preparation of Action Report for Zone H according to the Screening Board recommendation.
- Preparation of layout plans for various vacant pockets in different Zones.
- OCF Pocket at Gali No. 10, Anand Parbat; H-Block, Vikas Puri; OCF in Airport apartments & CS in Vikas Puri Society area.
- Conceptual plan of Anand Parbat Indl. Area.
- Coordination & follow up action as per Supreme Court order / decisions for industries in GNCTD.
- Modification of Layout Plan of Mangolpuri Industrial Area Phase - II for allotment of land to Marble Traders.
- Plans for 3 Police Station sites sent for allotment.
- The Policy regarding development of land and norms of the major network as per disposal of land for Integrated Freight Complex.
- Allotment of land for firing range in North of Wazirabad (10 acres) approved by the Technical Committee.

8.1.4 URBAN DEVELOPMENT PROJECTS, RURAL ZONES & URBAN EXTENSION UNIT

I Rohini

- Layout Plan and Architectural drawings of one room tenements Sector - IV Extn., CS/OCF Layouts - 9 Pkts., approved by the Screening Committee.
- Layout plan of 2 CS/OCF pockets, Resettlement plots.
- Draft Zonal Development Plan for Rohini area approved by the Tech. Committee.
- Layout Plan of 21 hect. of acquired land in sector XXVI approved by the Screening Committee.

II Dwarka & International Hotels Complex - Vasant Vihar

i) Dwarka

- The matter regarding part area denotification from Development Area No. 171 & 172 placed before the authority.
- Zonal Plan for Dwarka Project (Pt. Zone K), modification in 66 KV route alignment, proposal for 66 KV and 220 KV additional grid stations along with route, 220 KV Pylon positions, Ready Mix Plant at Dwarka approved from the Technical Committee.
- Modified layout plan of Sector 16a and 16b, Isolated pocket - 5 approved from the Screening Committee.
- Garbage Collection Centre Design and Locations for the various sectors, Sinage Sub-City/Sector level Sector - 6, revised layout of Squatters Resettlement scheme, Transit Camp Layout, Modified Layout of Isolated Pocket-20B, Layout of 6 HAF pockets finalised and approved from the Competent Authority.
- The proposed 45 mt. Approach Road through Cantonment, Report with Plan and Model prepared.

ii) International Hotels Complex - Vasant Vihar

- Road formation level plans for 92 hect. Constraint Area adjacent to Hotels Complex prepared, finalised and approved and possessions were given as per allotment by Land Deptt., DDA in the Constraint Area.
- Detailed reply to Environment Pollution (Prevention & Control) Authority for NCR was given with reference to their letter regarding EIA clearance of project.

III. Narela

- Draft Zonal Development Plan of Narela Sub-City M(pt.), N(pt.), P(pt.) was approved by the Technical Committee.
- The Structural Plan for Industrial Area Narela was approved by the Technical Committee.
- Release of Building Activities for PVC Bazar, Tikri Kalan has been approved by the Competent Authority.

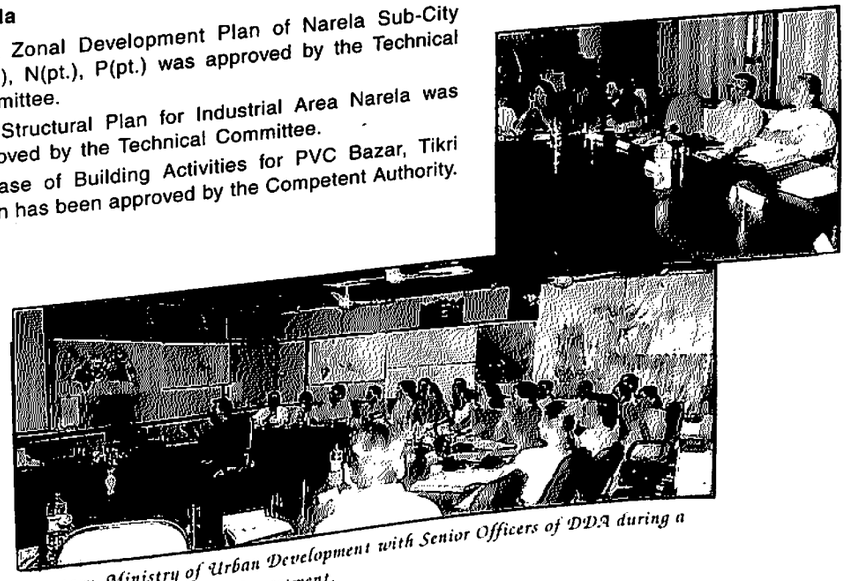

Secretary, Ministry of Urban Development with Senior Officers of DDA during a presentation by Planning Department.

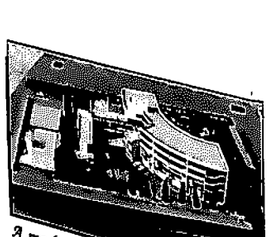

8.1.5 **MASTER PLAN 2021, 'O' ZONE, NCR, UC & MPD-2001 UNIT**

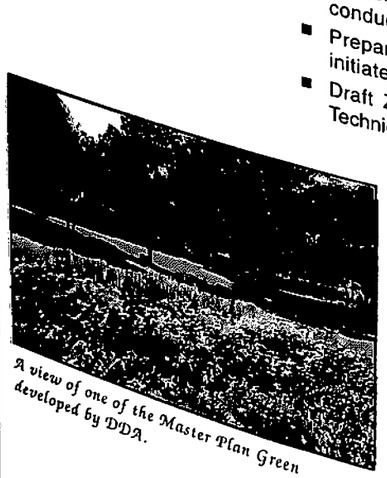

I. Master Plan 2021 & 'O' Zone

- Co-ordination for the preparation of Digital Base Map of Delhi by the NRSA, Hyderabad.
- Preliminary secondary data on some aspects such as Demography, Regional context, Transport, Shelter, Public and Semi-Public facilities, etc., relating to preparation of Master Plan Delhi - 2021 collected, compiled and put in the form of presentation graphics/drawings/transparencies.
- Formation of Sub-Groups for the preparation of MPD-2021.
- To enhance the Public participation in the preparation of MPD-2021 and to involve various specialised sectors, associations, citizen charters, a proposal was put up for conducting series of colloquiums/ workshops for MPD-2021.
- Preparation of a Mosaic of Zonal Land Use Plans has been initiated.
- Draft Zonal plan of River Zone 'O' has been placed in the Technical Committee Meeting as well as in the meeting of NCR.

A model of Local Shopping Centre.

A view of one of the Master Plan Green developed by DDA.

II. NCR, UC and MPD-2001

- MPD 2001 was reviewed by DDA on the basis of Steering Committee Report and the Seminar held at Vigyan Bhavan and the review may act as a feed back for the preparation of MPD-2021.
- The review of Regional Plan - 2001 was taken up by NCR Planning Board for the various aspects.
- The development plan along NH-10 was prepared indicating the development strategies on the basis of private participation.
- Relocation of the sites for Non Conforming Industries in the residential area need to be shifted in the Urban Extension as per the order of the Hon'ble Court were finalised.

- Under Research and Innovation Programme, research studies were taken up through outside Consultants. Three such studies whose reports were finalised were presented before the Experts in a Workshop.
- Inputs for the formulation of strategies for regularisation were indentified for more than 1000 Unauthorised Colonies.
- Base paper on the Traffic and Transportation along with base paper on physical infrastructure for the preparation of MPD-2021 has been completed.

8.1.6 **TRAFFIC AND TRANSPORTATION UNIT**

- 17 Petrol Pump sites were sent to DLM (HQ) for allotment.
- 10 HT route alignment cases have been approved by TC.
- Circulation plan of four sectors of Dwarka Project examined and finalised.
- 14 Nos. Grade Separators approved by the Technical Committee.

- Finalised circulation scheme for Vikas Sadan for the improvement of circulation in and around.
- The request of relaxation in set back in petrol pump sites to accommodate the CNG filling station was placed before the T.C.
- A presentation on MPD 2001 on transportation proposals was made before Malhotra Committee.

8.1.7 **LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL PLANNING UNIT**

- Sports Centre at Chilla and Sports Centre at Pitam Pura - Modified the layout and drawings sent to concerned departments.
- Sports Centre at Sector-D, Vasant Kunj, Pt.-A (behind E.S.S) Plantation Plans issued to Concerned Departments.
- Drawings completed for Sports Centre at Vasant Kunj, Pt.-B and Jasola.
- Musical Fountain at Saraswati Vihar - Plans approved and working drawings completed and sent to concerned departments.
- Landscape Plan for District Park at Jasola and Rohini, Sector-19, Green Belt at Maya Puri, Green Belt at Ring Road in front of Memorial Raj Ghat approved from the Screening Committee and Drawings sent to the concerned departments.
- Plan approved for :
  - Road Side Plantation, Sector - 11, Dwarka.
  - Memorial Park, Wazirabad completed.
  - Sarai Kale Khan, Landscape proposal for Vyayamshala.
  - Multigym, Covered badminton Court - Tahirpur Sport Complex; Multigym - Paschim Vihar; Sports Centre and Multigym - Partap Nagar.
  - Landscape Plans approved for 2 Nos. Sewage Pumping Stations and 1 No. Command Tank.
  - Various other Landscape Plans for Play Fields, Play Areas, Command Tank, Sewage Pumping Stations were prepared and has been put before the Screening Committee.

8.1.8 **MONITORING UNIT**

- Coordinated the work related to Planning Department of all Units/Wings of the Dept. with other Departments of DDA and outside Agencies / Depts.
- As a part of General Administration based on the reorganisation of various levels of Staff Redistribution in Planning Wing completed.
- Finalised and sent various progress reports of Planning & Architecture Department for monthly, quarterly & yearly as and when required.
- Assisted the Commissioner (Plg.) in review of various Projects as per Programme.

8.2 ARCHITECTURE

Housing & Urban Projects Wing

8.2.1 HOUSING

Designed and prepared Layout Plans for approximate 16121 houses during the period w.e.f April, 98 to March 99. It comprises of 1889 SFS (Cat. II, Cat. III), 824 MIG and 13408 Janta /EWS. Approval was taken from the Screening Committee for the Schemes of these houses and sent to Engineering Department for implementation.

8.2.2 COMMERCIAL

Work on various Commercial Centres namely Distt. Centres, Community Centres, Local Shopping Centres, Convenient Shopping Centres & Janta Markets.

i) **District Centres**

One No. Distt. Centre at Vasant Kunj approved from the Screening Committee and two nos. Distt. Centres approved for 1st stage from DUAC - one at Rohini Sector X and one at Paschim Puri.

ii) **Community Centres**

5 Nos. Community Centres design (1st stage) were approved from DUAC.

2 Nos. Community Centres Arch. Control (2nd Stage) approved from DUAC.

1 No. Facility Centre at Geetanjali and 1 no. commercial Centre at Jasola approved from the Screening Committee.

iii) **Local Shopping Centres**

7 Nos. Local Shopping Centres got approved from the Screening Committee at Narela, Dwarka & Kondli Gharoli.

iv) **Convenient Shopping Centres**

6 Nos. Local Shopping Centres design got approved from the Screening Committee.

v) **Janta Markets**

11 Nos. of Janta Markets were designed and got approved from the Screening Committee.

Other projects were designed and got approved from the Screening Committee - DDA Zonal Office at Madhuban Chowk, Swimming Pool at Vasant Kunj, 2 Nos. Toddler Pools at Saket and Yamuna Sports Complex.

Various plots were sent for auction in Commercial Centres & Local Shopping Centres as a whole.

8.2.3 SURVEY UNIT

Survey Unit conducts physical surveys for different areas as in-puts for the preparation of Layout/Area Plans.

8.2.4 SCREENING / TECHNICAL COMMITTEE

(i) A total no. of 9 Screening Committee meetings were held during April '98 to March '99 in which 120 items were discussed.

(ii) A total no. of 14 Technical Committee meetings were held during April '98 to March '99 in which 98 items were discussed.

9. Housing

9.1 Housing activity was started in DDA during 1967-68. So far 23 housing Schemes have been announced by the DDA. Upto 31.03.99, 293626 nos. allotments have been made under the various Housing Schemes. New Pattern Registration Scheme-1979, Ambedkar Awas Yojna - 1989 & JHRS-1996 are the live schemes, During the year under report (1998-99) 11033 nos. allotments have been made and category wise details of allotments is given alongside.

i)	S.F.S.	5937
ii)	E.H.S.	10
iii)	MIG/NPRS-79	1973
	A.A.Y.	663
iv)	LIG/NPRS-1979	1542
	A.A.Y. - 1989	417
v)	Janta	491
	Total	**11033**

ALLOTMENTS UNDER VARIOUS HOUSING SCHEMES MADE DURING THE YEAR 1998-99

Position of the live schemes is as follows :

i) NPRS - 1979

The NPRS - 1979 scheme was launched in the year 1979 for allotments of flats of MIG, LIG & Janta categories. This scheme was on All India Basis & 171272 persons were registered. Category wise details of allotments, registrants, backlog & priority covered is as under :

Category	Registrants	Allotments	Backlog	Priority covered
MIG	47521	36868	8022	25168
LIG	67502	51664	16208	35201
Janta	56249	58288	Nil	n.a.
	171272	146820		

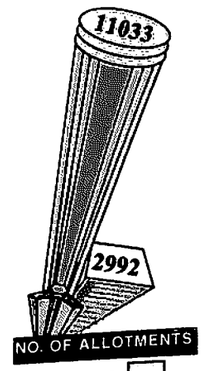

ii) Ambedkar Awas Yojna - 1989

Ambedkar Awas Yojna-1989 scheme was launched in the year 1989 to make up the deficiency of 25% SC/ST registrants of NPRS-1979 registrants. Under this scheme 20000 persons were registered for allotment of MIG, LIG and Janta Flats. Category wise details of registrants, allotments, backlog and priority covered is as under :

Category	Registrants	Allotments	Backlog	Priority covered
MIG	7000	2765	3140	3023
LIG	10000	3547	5601	3193
Janta	3000	2988	Nil	n.a.
	20000	**9300**		

Following reservations were made in this scheme :

1. 1% P.H.
2. 1% Ex-Servicemen
3. 1% War - widows

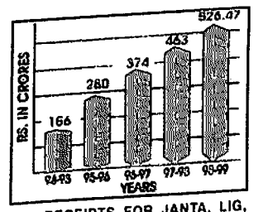

RECEIPTS FOR JANTA, LIG, MIG, EHS & CGHS

iii) JHRS - 1996

This scheme was launched in the year 1996 for registering 20000 persons of weaker sections of the society for allotment of Janta flats in phased manner. Following reservations were made under this scheme :

i) 25% SC/ST
ii) 1% Ex-servicemen
iii) 1% P.H.
iv) 1% War widows
v) 2% Widows with children.

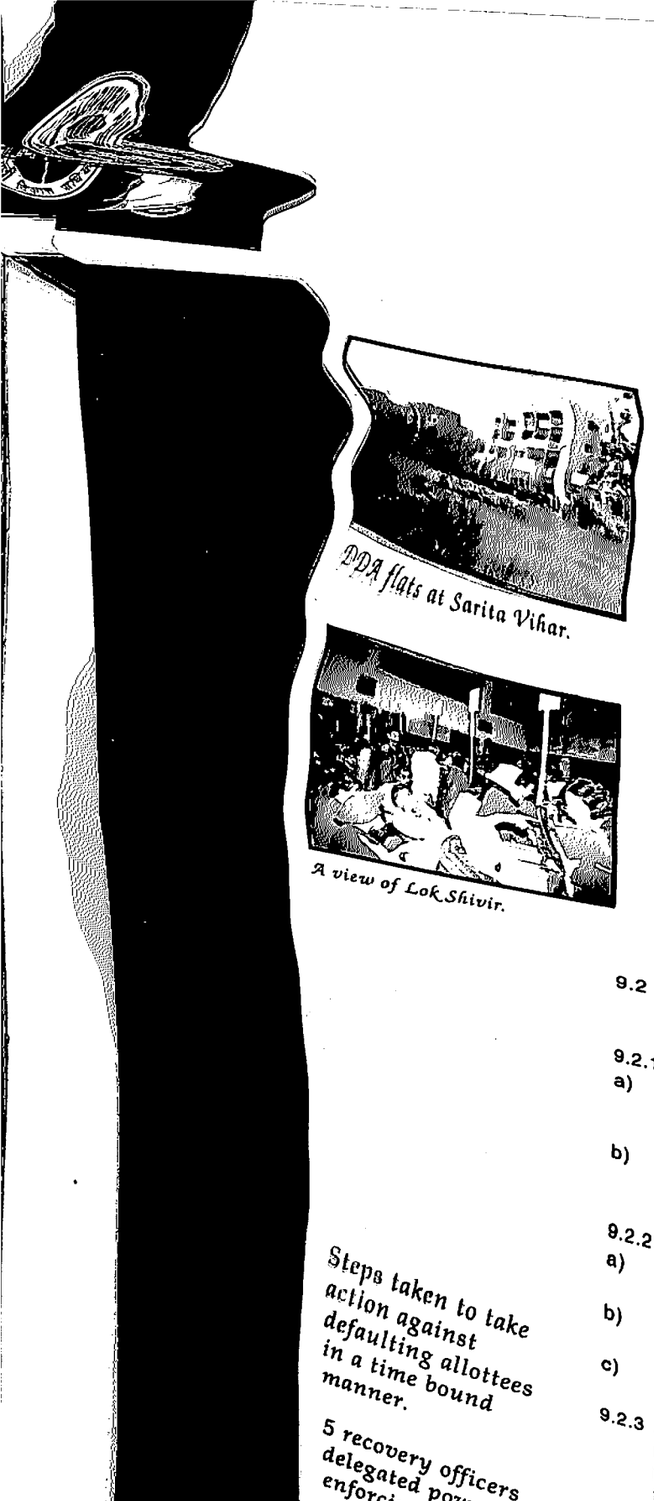

The latest position of the scheme is as under :

Registrants	Allotments made	Backlog	Priority covered
20000	5243	14696	4526

Under this scheme all the registrants of reserved category have been allowed to purchase the flat on hire purchase basis.

During the period under report, achievements made under various activities of Housing Department is as follows :

1. A. (a) Issue of demand-cum-allotment/ allocation letters 8662
   (b) Issue of possession letters 5736
   B. Mutation 755
   C. Grants of free hold rights 1486
2. Cooperative Group Housing Scheme
   i) Offer letters 59
   ii) Allotment letters 1
   iii) Possession letters 3

Steps taken to enhance consumer satisfactions

Two Lok Shivirs for on the spot disposal of pending cases of consumers were organized on 28-01-99 and 11-02-99. In those Lok Shivirs Officers/Officials of Management Wing, Finance Wing and Legal Department participated and all out efforts were made to finalise the cases on the same day.

DDA flats at Sarita Vihar.

A view of Lok Shivir.

9.2 **HOUSING ACCOUNTS WING**

Mainly Housing Accounts Wing has the following main activities/ achievements during the year 1998-99.

9.2.1 **Examination of Preliminary Estimates**

a) Financial concurrence to the preliminary estimates in respect of flats has been accorded for 10 housing schemes involving about 5600 flats.

b) Financial concurrence to the preliminary estimates in respect of shops has been accorded for 9 schemes involving about 230 shops.

9.2.2 **Costing of Flats**

a) Costing in respect of 27 housing schemes involving about 6500 flats have been finalised during the year 1998-99.

b) Costing in respect of about 6000 left out flats have been finalised / revised during the year.

c) Costing in respect of 7 schemes involving about 375 shops have also been finalised during the year.

9.2.3 **Steps taken for Acceleration of Recovery**

Under its drive to effect recovery of arrears of monthly instalments/penalty from the defaulting allottees, and with a view to mounting press... allottees and to take firm and ti... five recovery ... Land ...rs.

Steps taken to take action against defaulting allottees in a time bound manner.

5 recovery officers delegated powers for enforcing rec...

opportunity to the defaulting allottees.

b) In 511 cases, allotment has been proposed.

c) In 4262 attachments notices have been issued against defaulting allottee(s).

d) 47 properties have been attached.

9.2.4 **Some Other Items**

i) 4609 demand letters under SFS schemes have been issued.

ii) 2509 conversion cases from lease hold to free-hold have been decided.

iii) In 5620 cases No objection Certificate has been issued to management wing for issuance of possession letters.

iv) Refund in 2416 cases where allottees were not interested in allotment have been made.

v) In 12500 cases refund cheques have been issued to the unsuccessful applicant in respect of allotment of shops to SC/ST categories.

vi) In respect of allotment of shops to open categories, 360 tenders / offers were received and finalised.

9.2.5 **Launching of Some Special Allottee Friendly Incentive Schemes**

i) DDA announced "Amnesty Scheme 1998" w.e.f 01.10.98 which has been extended upto 31.08.99. Under the Scheme, relief upto 75% in penalty has been provided to the applicant who would make payment of up-to-date outstanding instalments and penalty on or before 31.03.99. For the guidance of the public, DDA has brought out a Booklet containing salient features, various forms to be used, model calculation for working out the interest payable under the Scheme. 16005 applications have been received under the scheme upto 31.03.99. The amount received under the Scheme was Rs. 44.38 crores.

ii) 880 cases pertaining to the Hire Purchase Penalty Relief Scheme 97 and 2183 cases under Amnesty Scheme-98 have been disposed of during the year.

iii) DDA also announced "Amnesty Finance Scheme" during the year. Under this Scheme, five financial institutions have agreed to grant loan to clear the outstanding dues on account of monthly instalments, ground rents, service charges, conversion charges etc. by execution of tripartite agreement. DDA has brought out a booklet on the scheme which contains salient features, specimen formats to be used, model calculations for working out the penalty, etc. 129 applications under this scheme have been received and 49 cases have been cleared upto 31.03.99.

DEMAND LETTERS ISSUED

POSSESSION LETTERS ISSUED

MUTATION AND CONVERSION CASES

DDA Amnesty Scheme 1998 extended upto 31.3.99

9.2.6 **Organisation of Lok Shivir**

Two Lok Shivirs of Housing wing were organised on 28.01.99 and 11.02.99 in which the Housing Accounts Wing had actively participated to rederess the public grievances. During the Lok Shivir held on 28.01.99 115 cases relating to Finance Wing came up, out of which 70 cases were cleared during the Shivir itself on the same day. Similarly, during Lok Shivir held on 11.02.99, total 106 cases came to Finance Wing out of which 82 cases were cleared during Shivir itself on the same day.

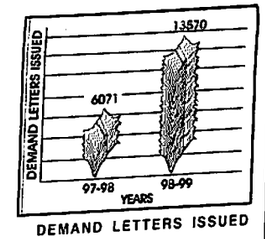

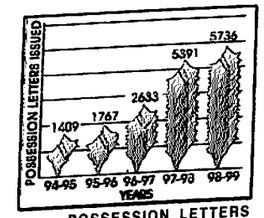

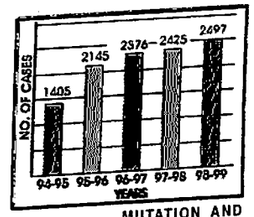

Two Lok Shivirs of Housing organised.

10. Land Management & Disposal Departments

10.1 LAND MANAGEMENT

10.1.1 Delhi Development Authority has vast area of land of different categories under its jurisdiction. Besides taking over of Nazul Land which came to DDA from erstwhile Delhi Improvement Trust, it also manages and takes care of Nazul - II land acquired by DDA after 1957. DDA has also some land which was taken over from Ministry of Rehabilitation under the package. In addition, some land of L& DO, Ministry of U A & E is also with DDA for care and maintenance. This land is utilised and allotted by L & DO Department.

40 Petrol Pumps, 13 Gas Godowns and 28 CNG sites allotted.

10.1.2 **Main Functions of the Land Management Department are as under :**

i) Acquisition of Land.
ii) Allotment of sites for Petrol Pumps and Gas Godowns.
iii) Maintenance of land records.
iv) Protection of land from encroachment.
v) Enforcement of Master Plan section against misuse.

10.1.3 This department deals with Nazul - I land which came to DDA from erstwhile Delhi Improvement Trust and Nazul - II land which was acquired under the policy of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi. The total land measuring 62707.08 acres was acquired upto 31.03.99 out of which the land measuring 59542.78 acres has been placed at the disposal of the DDA under section 22(i) of the DD Act, 1957.

10.1.4 During the year 1998-99 New Leases Branch allotted 40 Petrol Pumps and 13 Gas Godown sites and 28 CNG sites. The most important function of Land Management Department is to protect DDA land from encroachments. For protection of land DDA has set up the following six field zones : East Zone, West Zone, North Zone, Rohini Zone, South-East Zone, South - West Zone.

281 demolition operations to free 195 acres of land were carried out.

290 cases of prosecution launched by the Enforcement Branch.

10.1.5 Each Zone is headed by a Senior Officer of Jt. Director /Dy. Director level who are supported by Secretarial and Field Staff. Regular watch and ward is kept on DDA's land by the Security Guards who are deployed and assigned specific beat areas. Regular demolition operations are planned and carried out with the help of Police to check the tendency of encroachments. From April, 98 to March, 99 DDA has carried out 281 demolition operations and 195 acres of DDA land was made free from encroachments. In this process 2912 structures were removed. Land Management Department carried out some major demolition operations during the year which has drawn praise from all sections of the society and the Press, except the Land Mafia. This has helped to build DDA's image as an agency which protects its land effectively. Sometimes demolition operations are delayed because of litigation involved and non-availability of Police Force on account of their engagements. During this period DDA has also won some important court cases involving large chunks of prime land.

Co-operative Societies flats constructed on land developed by DDA at Dwarka.

10.1.6 The Damage Branch is entrusted with the work of eviction & assessment of damages and recovery from the unauthorised occupants squatting on the Govt. land under the control and management of DDA. It Initiates the eviction proceedings under the P.P. Act against the unauthorised occupants on Govt. land. There are 3 Estate Officers in Damage Branch who have been delegated powers under the above Act, to discharge their duties for assessment of damages and eviction. During 1.04.98 to 31.03.99 the following jobs were carried out.

1.	Total recovery of damages from 1.04.98 to 31.03.99	approx. Rs. 1,35,93,739
2.	Total No. of cases of damages as on 1.04.98	872
3.	Total No. of cases of damages added after 1.04.98 to 31.03.99	165
4.	Total No. of cases of damages decided by the Estate Officer	195
		1188
5.	No. of cases of eviction as on 1.04.98	57
6.	No. of cases of eviction added during 1.04.98 to 31.03.99	78 + 121
7.	No. of cases of eviction decided during 1.04.98 to 31.03.99 (121 eviction cases returned to Land owning Agency)	

10.1.7 **Enforcement Branch** has been entrusted with the job to ensure that Land & Buildings are not misused against the norms envisaged in the Master Plan, as provided in section 29 (ii) of the D.D. Act which reads as follows :

Section 29 (ii)

Any person who uses land in contravention of the provision of Section 14 or in contravention of any terms and conditions prescribed in by regulations under the provisions to that section shall be punishable with the fine which may extend upto Rs.5000/- (Rupees five thousand only) and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to Rs. 250 for every day during which such offenders continue after conviction for the first commission of the offence.

The position of prosecution cases launched during the period 1.04.98 to 31.03.99 and fine imposed by the courts are as under :

1)	Number of prosecution cases launched from 1.04.98 to 31.03.99	298
2)	Fine imposed by the various courts during the period	Rs. 5,04,300

10.2 LAND DISPOSAL DEPARTMENT

Land Disposal Department manages land in respect of 24 Revenue Estates entrusted by the Govt. of India to the erstwhile Delhi Improvement Trust under the Nazul Agreement 1937 and the land placed at the disposal of DDA under the scheme of Large Scale Acquisition, Development and Disposal of Land. In addition to this, the Land Disposal Department is also administering the land transferred by the Ministry of Rehabilitation under the package deal. The performance and achievements of the various branches under the control of Land Disposal Department are given as under:

10.2.1 **LEASE ADMINISTRATION BRANCH (RESIDENTIAL)**

Lease Administration Branch deals with disposal of residential plots by way of auction and allotment of alternative plots to the persons whose land is acquired under the scheme of Large Scale Acquisition, Development & Disposal of land in Delhi. Besides this the branch deals with other connected activities relating to the administration of leases such as mutation transfer, grant of mortgage permission and conversion of lease hold into free hold.

During the period the following achievements have been made :

- 7 Plots were disposed of through auction at a premium of Rs. 322.33 lakhs. Out of this, Rs. 117.00 lakhs were realised as earnest money.
- A sum of Rs. 318.10 lakhs has been recovered on account of premium from the allottees of alternative plots.
- A sum of Rs. 71.00 lakhs has been recovered on account of composition fee.
- Mutation was allowed in 215 Nos. of cases.
- Conversion from lease hold to free hold was allowed in 1258 cases.
- Physical possession of plots were given in 248 cases.
- Lease executed/registered in 248 cases.

7 plots disposed of through auction at a premium of Rs.322.33 lakhs.

Rs.318.10 lakhs recovered on account of premium from allottees of alternative plots.

Rs.71 lakhs recovered on account of composition fee.

Mutation allowed in 215 cases. Conversion from lease-hold to free-hold allowed in 1258 cases by residential branch and in 1186 cases in Co-operative Societies branch.

Show-cause notices issued in 51 cases for breach of terms and conditions.

10.2.2 CO-OPERATIVE SOCIETY CELL

Co-operative House Building Society Cell deals with the cases of 126 co-operative societies to whom land has been allotted for the development of plots. During the period under report the following achievements were made :

- Sub lease deeds were executed in 30 cases.
- Conversion from lease hold to free hold was allowed in 1186 cases.
- Mutation transfers were allowed in 178 cases.
- Show cause notices for breach of clause of the terms and conditions of sub lease deed i.e. non construction, benami sale/misuse etc. were issued in 51 cases.
- Mortgage permission was granted in 15 cases.
- A sum of Rs. 935.97 lakhs was recovered on account of composition fee/unearned increase.

10.2.3 LAND SALES BRANCH (ROHINI)

Land Sales Branch (Rohini) deals with the allotment of plots of various categories like MIG, LIG and Janta to the registrants of Rohini Residential Scheme, 1981 and the disposal of plot in Rohini by auction. During the period under report, the following achievements were made :

- Possession letters issued in 448 cases.
- Demand letters were issued in 68 cases.
- Mutations were allowed in 69 cases.
- 61 plots were disposed of by auction at premium of Rs.1312 lakhs.

10.2.4 LEASE ADMINISTRATION BRANCH (ROHINI)

This branch mainly deals with the cases of issue/execution of lease deed in respect of plots allotted/auctioned in Rohini Residential Scheme besides conversion from lease hold to free hold. During the period under report, following achievements were made :

- Lease deeds/conveyance deeds issued in 1648 cases.
- Execution of lease deed/conveyance deed was done in 1871 cases.

- Extension of time was granted in 1563 cases.
- Mortgage permission was allowed in 40 cases.
- Mutation/transfer was allowed in 64 cases.
- Conversion from lease hold to free hold was allowed in 504 cases.
- A sum of Rs. 154.00 lakhs was recovered on account of composition fee etc.

10.2.5 INDUSTRIAL BRANCH

The Industrial Branch deals with the disposal of industrial plots by way of auction/allotment. Besides the disposal, the branch is responsible for execution and administration of leases.

During the period under report, following achievements were made :

■ No. of allotments made	48
■ No. of lease deeds executed	58
■ No. of mortgage permission granted	26
■ Time extension granted	105
■ Subletting allowed	01
■ Lease cancellation	12
■ Possession letter issued	53
■ Mutation/conversion in PVT	57
■ Show cause notice issued	780
■ Target amount in crores	15.84 crores
■ Amount received	10.45 crores

Land allotted to 82 institutions and 48 industrial units.

10.2.6 INSTITUTIONAL BRANCH

The Institutional Branch deals with the allotment of land to various institutions like social-cultural, Govt. and semi-Govt., Post and Telegraphs, MTNL, MCD, DVB, Religious, Private and Govt. Schools. During the period under report the following achievements have been made:

■ No. of allotments made	82
■ No. of lease deed executed	11
■ No. of mortgage permission granted	17
■ No. of NOC issued	63
■ No. of extension granted	61
■ Total amount received	64.79 crores

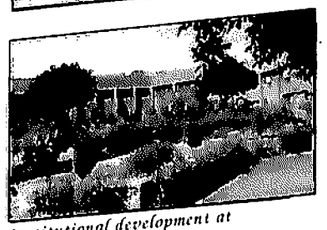

Institutional development at Katwaria Sarai.

10.2.7 OLD SCHEME BRANCH

Old Scheme Branch deals with the disposal of plots in the scheme of Redevelopment of Kingsway Camp, MOR land, transfer under package deal and 24 revenue estates. This branch also deals with the regularisation of plots under Gadgil Assurance Scheme. During the period under report, following achievements have been made :

■ No. of residential plots auctioned	13
■ Revenue fetched through auction	Rs.4.00 crores
■ Lease deed executed	51
■ No. of conversion cases allowed	189
■ No. of time extension cases	32

- No. of mutation and misuse notices 68
- Demand letters issued 212

10.2.8 **COMMERCIAL LAND BRANCH**

Commercial Land Branch deals with the disposal of commercial plots, mixed land use plots developed by the DDA in its various commercial centres. The commercial plots are disposed of by way of auction/tender/allotment. During the period under report the following achievements have been made :

60 commercial plots auctioned and 515 built-up units disposed of through tender.

- No. of plots auctioned 60
- No. of plots allotted to PVC dealers by draw of lots 1043
- No. of cases in which physical possession handed over 252
- Lease deed executed 182
- Mutation allowed 20
- Time extension granted 40
- Mortgage permission granted 25
- Amount recovered on account of premium Rs.119.17 crores

10.2.9 **COMMERCIAL ESTATE**

Commercial Estate Branch deals with disposal of built-up commercial properties through auction, tender and allotment to special/reserved categories viz. Scheduled Castes/Scheduled Tribes, physically handicapped persons, Land Acquired category, Freedom Fighters, Ex-servicemen, on OTA basis and allotment to Govt. Deptt./Public Sector Undertakings for which reservation has been made vide various resolutions of the Authority. Parking sites are also disposed off by this branch through tenders on licence fee basis.During the period under report, following achievements have been made :

294 built-up units allotted in draw of lots.

- No. of built up units including shops-offices, Stalls disposed of through auction/tender. 515
- Total amount recovered on account of premium Rs. 45.29 crores
- No. of lease deeds/conveyance deeds executed 297
- No. of parking sites disposed of by auction/tender on licence fee basis 13
- Number of built up units allotted in draw of lots 294

Community Centre, Saket.

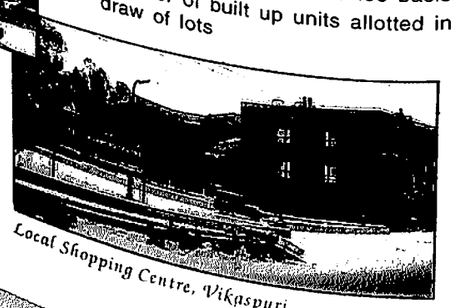

Local Shopping Centre, Vikaspuri.

11 Personnel Department

11.1 The objective of Personnel Department in DDA has been so to motivate the manpower as to achieve the goals and objectives and also to inculcate a system of working in teams. It also aims at developing leadership qualities and developing aptitudes by which the personnel identify themselves with the goals and objectives of the organisation.

During the year under report, the Personnel Department made concerted efforts to fulfil the needs of the organisation towards capacity building as well as to meet the aspirations of its employees by way of initiating welfare measures. The various measures which were taken during the year are as follows:

A total of 152 promotions in Group A, B & C done.
19 Compassionate Appointments were made and 111 cases of pension settled.

Validation Act empowering Vice Chairman, DDA with disciplinary powers over Group A officers passed by the Government of India.

11.2 **RECRUITMENT**

Direct recruitment has been made in Group 'A', 'B', 'C' & 'D' in General, SC and ST categories as under :-

Group	General	SC	ST	OBC	Physically Handicapped	Total
A	7	1	-	1	-	9
B	7	1	1	-	-	9
C	14	1	-	6	-	21
D	-	-	-	-	-	-
Total	28	3	1	7	-	39

Promotion in Group 'A', 'B', 'C' & 'D' category has been made as under :

A	23	-	-	-	-	23
B	47	15	3	-	-	65
C	52	7	5	-	-	64
D	29	10	-	-	-	39
Total	151	32	8	-	-	191

NOTE: In term of LPA No. 313/98 of Delhi High Court Order. Total 88 class IV employees have been promoted to the post of L.D.C. (General 78, SC 8 & P.H. 2)

11.3 **SELECTION GRADE TO GROUP 'A' OFFICERS**

Benefit of Selection Grade have been given to 6 officers.

11.4 **IN SITU PROMOTIONS TO GROUP 'B'**

The benefit of SITU Promotion to 222 group 'B' employees have been given.

11.5 **D.P.C. MEETINGS**

In all 45 D.P.C. Meetings were held to recommend promotions to various categories of employees. A total of 152 promotions with the following break-up were made :-

Group 'A'	23
Group 'B'	65
Group 'C'	64
Total	152

Vice Chairman presenting a cheque of dues and a memento to the employee on his retirement from the services.

11.6 **CROSSING OF EFFICIENCY BAR**

A total of 103 employees of various categories were allowed to cross efficiency bar.

11.7 **COMPASSIONATE APPOINTMENT**

During the period under report, a total of 19 appointments have been made on compassionate grounds (2 in Group 'C' and 17 in Group 'D').

11.8 **A.C.Rs**

A total of 5966 A.C.Rs were collected during the year 1998-99.

11.9 **GRANT OF PENSION CASES**

System of payment of pensionary dues on the day after retirement has been introduced in DDA. The dues are paid in a function organised for the purpose every month. 111 Pension cases including family pension were settled with the following break-up.

Group 'A'	10
Group 'B'	07
Group 'C'	21
Group 'D'	73
Total	111

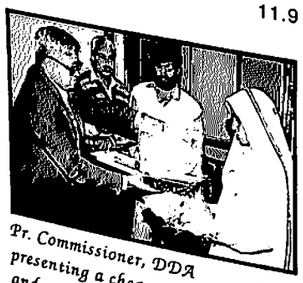

Pr. Commissioner, DDA presenting a cheque of dues and a memento to the employee of DDA on her retirement from the service.

11.10 **DISCIPLINARY CASES**

During the year under report 57 disciplinary cases of various categories were initiated with break up as under :

Group 'A'	0
Group 'B'	9
Group 'C'	48
Group 'D'	0
Total	57

and 73 disciplinary cases were decided during this year.

Commissioner (Personnel) presenting a cheque of dues and a memento to the employee of DDA on her retirement from the service.

11.11 **CADRE REVIEW**

The Review of Cadre of Engineering and Administration was completed and orders issued with the approval of Ministry. Cadre review of other categories like Horticulture, Security, Legal, Accounts, Planning is also under-way.

11.12 **GRIEVANCE REDRESSAL**

Officers of Personnel Department have fixed 12.00 noon to 1.00 P.M. as the visitors time for the redressal of grievances of the employees of DDA. In addition to this Commissioner (P) also meets the staff on all Wednesdays at 3.00 P.M. for redressing their grievances.

11.13 **POSITION OF STAFF**

Group	General	SC	ST	Total
'A'	357	41	5	403
'B'	1034	190	27	1251
'C'	5571	833	60	6464
'D'	2223	1133	34	3390
Total	9185	2197	126	11508
Work Charge (R) as on 31.10.98				12088
				23596

11.14 "During 1998-99, a long pending issue regarding V.C., DDA not having the disciplinary powers over Group 'A' officers for a certain period of time was solved by the passage of Validation Act by the Parliament".

12. Sports

12.1 DDA in accordance with the guidelines provided in the Master Plan of Delhi 2001, started developing sports complexes in Delhi in 1989. Till date 8 sports complexes have been developed and are fully functional. These sports complexes are in addition to 8 multigyms, 26 play fields and a number of fitness trails and parks spread all over Delhi. Whereas sports complexes and multigyms are run and maintained by the Sports Wing, the playfields, fitness trails and parks are looked after by the Horticulture Wing of the DDA.

12.2 DDA has been making every endeavour to cover the entire metropolis by providing sports facilities. It is proposed to develop 5 more sports complexes, 4 multigyms and 10 additional playfields during the next year.

5 Sports Complexes, 4 Multigyms and 10 additional Play Fields proposed.

12.3 The objective of developing these sports facilities is to create awareness of the importance of physical and mental health and making the public conscious of the need for a clean and healthy environment apart from facilitating mass participation in Sports.

Additional facilities provided in all the Sports Complexes.

12.4 With the above in view, developing of sports infrastructure and providing sporting environment continued to be given priority during the year under review. This was achieved by organising a number of sports activities such as Galas, Tournaments, Coaching Camps for mass participation. Perceptive improvement was also made in administration and financial health in managing Sports Complexes. Besides our efforts have continued in upgrading existing sports facilities and developing new ones.

Public Golf Course made operational.

DEVELOPMENT OF SPORTS INFRASTRUCTURE

Sports Complexes

12.5 Of the seven Sports Complexes which are fully operational i.e. at Siri Fort, Saket, Hari Nagar, Paschim Vihar, Rohini, Ashok Vihar and PDKP at Dilshad Garden area, considerable upgradation of sports facilities have taken place from within own resources of the complexes. The eighth Sports Complex i.e. Yamuna Sports Complex, which is the biggest complex so far built by DDA, is in advanced stage of development. It is partially functional at present and is exepected to be opened to public membership by June/July '99.

12.6 In addition a number of ongoing major projects in the existing sports complexes which were approved by the Sports Management Board are under various stages of development by Engineering Wing. Some of the major projects are :

i) Indoor Badminton Stadium and Pitch & Putt Course at Siri Fort Sports Complex.

ii) Toddlers Pool, additional two Squash Courts and Covered Badminton hall at Saket Sports Complex.

iii) Covered Badminton Courts at Hari Nagar Sports Complex.

iv) Swimming pool and Multigym in Paschim Vihar Sports Complex.

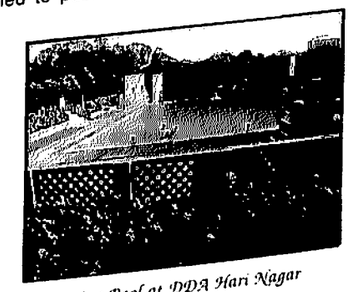

Swimming Pool at DDA Hari Nagar Sports Complex

v) Indoor Badminton Hall and Multigym at Rohini Sports Complex.

vi) Cricket field and covered Badminton hall at Ashok Vihar Sports Complex.

vii) Multigym and Indoor Badminton Hall at Poorv Delhi Khel Parisar.

viii) Facility Building, Athletic track, Artificial Mountaineering Wall, Olympic size swimming pool and Cricket ground at Yamuna Sports Complex.

ix) Swimming pool for physically handicapped.

x) Provision of Diesel generators at Sports Complexes.

12.7 Major strides in the development of Yamuna Sports Complex have taken place during the year. First Phase of Facility Building consisting of Administrative Block, Badminton Courts, Billiard facilities, Multigym and Table Tennis room etc. is ready for use. Besides an artificial Mountaineering Wall and a Jogging Track are almost complete. Development of Phase II of Facility Building, Athletic Track and Swimming Pool is in advance stage. The complex should be made fully operational by June/July '99 as finishing touches and water arrangements are yet to be made.

12.8 Considerable progress was made in the construction of Pitam Pura Sports Complex on which work was started during the year under review. Work is also in progress at Vasant Kunj Sports Complex and at Chilla Sports Complex.

12.9 The following Sports Complex are planned to be opened for membership during 99-2000.

i) YSC
ii) Pitam Pura
iii) Vasant Kunj
iv) Chilla
v) Jasola
vi) Dwarka

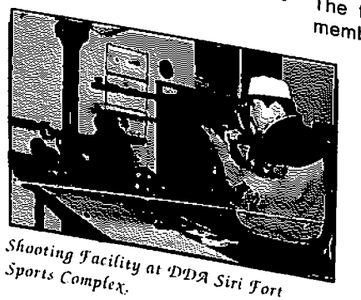

Shooting Facility at DDA Siri Fort Sports Complex.

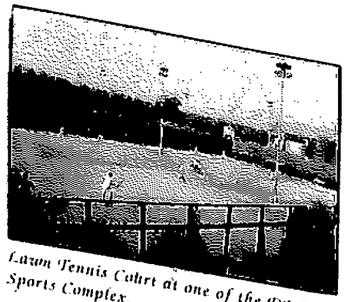

Lawn Tennis Court at one of the DDA Sports Complex.

Public Golf Course

12.9 The development of Public Golf Course at Lado Sarai is at an advanced stage and is likely to be made operational shortly. Course will be taken over after completion by the Engineering Wing and its readiness inspected by the Advisory Committee. This Golf Course will be the first Public Golf Course in India and is expected to set a new trend in the country. Initially it is planned to open the course with 9 holes. Work on the remaining holes will also be taken up concurrently.

12.10 Management arrangements have been approved for operationalising the Course. Nucleus staff including a Secretary, Financial Advisor, a Course Supervisor and some office and security staff are already in position.

Pitch & Putt Golf Course

12.12 DDA was the first in the Country to construct and run a flood lit Night Golf Driving Range at Siri Fort and we will soon be the first to develop a 9 hole Pitch & Putt Golf Course at Siri Fort. Work is in progress & the course is expected to be operational by mid 1999. Thus Siri Fort Sports Complex will be able to provide integrated golfing facility of driving, pitching & putting in one place.

Multigyms

12.13 Eight multigyms in play fields are fully operational and have been licensed out to professionals. These are not only being run professionally but are providing service to a large number of people at nominal rates which is also generating revenue for DDA.

Madan Lal, renowned cricketer, briefing participants during cricket coaching programme.

12.14 The following 4 multigyms are proposed to be operationalised during the next year :

i) Sunder Vihar
ii) Sarita Vihar
iii) Pratap Nagar
iv) Gokul Puri in Shahadra area.

12.15 In addition to the above multigyms, Siri Fort and Saket Sports Complex have fully equipped gyms whereas Paschim Vihar and P.D.K.P. have mini multigyms. All these gyms are being run professionally.

Play Fields

12.16 There are at present 26 play fields; 12 under Director (Hort.) South and 14 under Director (Hort.) North. These play fields are maintained by respective Horticulture Divisions, and sports complexes adjacent to these fields keep monitoring the activities in these playfields.

Sports Activities

12.17 The year 98-99 has been an extremely busy year with sports and allied activities being conducted throughout the year. Unparallel improvement in all the sports complexes have taken place. Most of the goals set for the year 98-99 in Annual Action Plan of Sports Wing were met with mass participation and tournaments at State and National level were organised as planned.

12.18 **Coaching & Talent Search**

Coaching was conducted in sports complexes in the following sports :

i) **Cricket** - Major coaching schemes are being run at Yamuna Sports Complex, Siri Fort and Saket Sports Complexes.

ii) **Table tennis** - Siri Fort organised Coaching camp under a National level coach during May-June '98.

iii) **Squash** - A short Squash Coaching Camp was run at Siri Fort during the summer and autumn vacation of '98.

iv) **Aerobics** - It has gained tremendous

Lt. Governor presenting trophy to the winners of DDA Open Hockey Tournament

popularity in South Delhi i.e. both in Siri Fort and Saket Sports Complexes. Specially trained instructors from Reebok conduct classes. Daily over 300 participants attend these classes.

Skating competetion at DDA Ashok Vihar Sports Complex.

v) **Yoga** - Almost all the Complexes have provided facility for Yoga in the morning.

vi) **Taekwondo/Karate** - A number of children in each complex attend Taekwondo/Karate coaching classes being held in the evening.

vii) **Roller Skating** - This sport is extremely popular amongst children. The skating rinks at Siri Fort, Ashok Vihar, Rohini and Hari Nagar are crowded with young boys and girls, specially during the evening session. Coaching is provided in each of these Complexes during specified timings by professional coaches.

viii) **Swimming** - All the swimming pools in our complexes at Siri Fort, Saket, Hari Nagar, Ashok Vihar & Poorv Delhi Khel Parisar were opened by 15 April '99. Thus we were the first organisation to open swimming session in Delhi. Swimming Pool at Saket was inaugurated on 15 April '98. With the opening of this pool, considerable load on Siri Fort has been reduced. Facility for Swimming Coaching was provided in all the pools at reasonable rates. There is great demand for special Coaching classes and it is planned to run such Camps in the next Swimming Season as well.

ix) **Tennis** - Unprecedented increase in the number of Tennis Coaching scheme was noticed during the year. Professionals were engaged in providing Coaching at the Complexes on revenue sharing basis.

12.19 Special coaching and talent search programmes are being run in cricket and tennis by S/Shri Madan Lal and Shyam Minotra in Siri Fort and Yamuna Sports Complex respectively.

12.20 Most of the Coaching Schemes in the Complexes are being run on revenue sharing basis.

12.21 **Autumn Sports Gala (25th Oct. - 7th Nov. 98)** - Complex, Inter Complex and Invitational Tournaments were organised in all the complexes as under :

Sh. K.P. Laxman Rao, Finance Member, DDA presenting the LG's Trophy to the winner of Ladies Open Single title in 6th DDA Open Squash Tournament.

i) Complex and Inter Complex tournaments were conducted in Tennis, Table Tennis, Badminton, Squash, Billiards and Snooker.

ii) Invitational Tournaments were organised as under :

a) Football in Siri Fort, Paschim Vihar, Rohini and Yamuna Sports Complex.

b) Basketball in Ashok Vihar Sports Complex.

c) Volley Ball in Hari Nagar Sports Complex.

d) Shooting Ball in Saket Sports Complex.

e) Kabbadi in Poorv Delhi Khel Parisar.

iii) **Sports for Special Children** - In addition sports for handicapped children were organised as under :

a) Cricket for deaf and dumb at Rohini Sports Complex.

b) Cricket for blind at Saket Sports complex.

c) Athletics for the handicapped organised at Poorv Delhi Khel Parisar and Yamuna Sports Complex.

d) Sports for Blind at Hari Nagar Sports Complex.

iv) Total participation in the Gala was 2,361; (802 participants in the Complex and Inter Complex Tournaments; 988 in Invitational Tournaments and 571 in Tournaments for disabled/Handicapped.) The response by the members was excellent in participation in the matches.

6th DDA Open Squash Tournament held at Siri Fort Sports Complex with 300 participants participating.

12.22 Inter School Athletics was conducted by North Delhi Public Schools organised in Rohini Sports Complex from 11th to 12th November, 98. 19 Schools of North Delhi participated.

12.23 Inter School Sub Junior Athletic Meet was also held on 24th to 25th Dec., 98 with the participation level of almost 300 students at Rohini Sports Complex.

Major Tournaments

12.24 **DDA Open Hockey Tournament** was organised in Ashok Vihar Sports Complex from 28th June to 7th July '98. The tournament was first of its kind in which 14 State level hockey teams took part. It was a prize money tournament in which following cash prizes were awarded in addition to trophies.

DDA Open Hockey Tournament organised in Ashok Vihar in which 14 State level Hockey Teams took part.

i) Winner Rs. 41,000/-

ii) Runners Up Rs. 21,000/-

12.25 **6th DDA Open Squash Tournament** - The tournament is also known as L.G.'s Cup tournament. It was held from 27th to 31st January, 99 at Siri Fort Sports Complex. A national level tournament which was organised for the sixth successive year by the DDA. This tournament has gained great popularity in the national circuit as it has one of the highest cash prize money in which approx. Rs.1.50 lacs is being presented. Over 300 participated in this tournament which was a grand success.

12.26 **DDA Inter School Championship** - Due to lack of sponsorship DDA Inter-school Tennis Tournament could not be organised in Saket. It is however planned that in the next year this tournament will be held in a scaled down form if sponsorship is not available, so that this important event for schools becomes an annual feature.

GENERAL ADMINISTRATION

Maintenance

12.27 Due to regular and timely maintenance being properly organised under the areas of civil, electrical and horticulture in each of the complexes, the standard of maintenance was of high order. Stress

was laid in keeping the complexes clean and developing horticulture to create better ambience.

12.28 An improvised toilet for field staff and drivers was developed from within the complex resources at Saket Sports Complex. Other complexes are now in the process of developing similar toilets.

12.29 Provisioning of offices and stores for the maintenance staff in each of the complex has been approved by the Sports Management Board. Once these are constructed by the Engineering Wing these will facilitate smooth functioning of the maintenance staff. Lack of sufficient water for Horticulture is a cause of concern. Keeping in view the problems being faced, it was decided in the 33rd meeting of the Sports Management Board to provide additional deep bore wells for Sports Complexes.

Membership to the Complexes

12.30 Membership drive was launched in Poorv Delhi Khel Parishar, Ashok Vihar and Paschim Vihar Sports Complexes at the beginning of the year. The response in both Poorv Delhi Khel Parisar and Ashok Vihar Sports Complex was good, while Paschim Vihar Sports Complex was not able to attract many new members. Perhaps this was due to the complex not having a Swimming Pool. It has been our experience that wherever swimming pool has been provided, the Complex has suddenly become popular and financially self sustaining.

12.31 Membership at Siri Fort and Saket has almost reached its ceiling. Thus granting of membership in these complexes is very restricted and done judiciously.

12.32 Updating for membership data was carried out in all the Sports Complexes. In the case of dependent children, membership cards are being replaced every 5 years.

12.33 **Term Membership Yamuna Sports Complex.** Being the largest Sports Complex which is spread over an area of 27.5 hectares, an innovative scheme for membership called, "Term Membership" for 5 years has been approved by Sports Management Board. Adopting Term Membership for this complex is due to the fact that complex has to serve a large clientele in East Delhi as well as that additional sports facilities have been provided such as Artificial Mountaineering Wall, two Cricket Grounds. Athletic Track etc.

Selection of Staff for Sports Complexes

12.34 Applications were invited for the post of Assistant Managers, Games Supervisors and Games Attendants as per the Recruitment Rules. Interviews were held by a Board headed by Commissioner (Personnel), however results are still awaited. Selected personnel in the above categories will soon be posted to the complexes to make up deficiencies.

Sports Consultancy

12.35 Consultancy in Sports is an area in which DDA has made a beginning. During March '99 a consultancy team headed by Finance Member, DDA, visited the Union Territory of Daman & Diu and Dadar & Nagar Haveli on the invitation of the

Administrator of the Union Territory to help them in developing Leisure-Cum-Sports Centres and Golf Courses in the area. The team has already submitted a preliminary report and asked for detailed topographical, demographic and other allied information from the Union Territory. An agreement in consultation with Legal Department of DDA is being drawn which will now be approved by both the parties. Once the agreement is signed, DDA will provide consultancy to the UT of D&D and D & NH. Consultancy Cell under the aegis of Finance Member with Director (Sports) as the coordinator and representatives from Landscape, Architects, Engineering, Horticulture and Sports Wing is in the process of being created. Initially seed money of Rs. 2 Lacs will be provided to the Cell from DDA main for venturing into consultancy business in sports.

FINANCIAL MANAGEMENT

12.36 There has been considerable improvement in the financial health of Sports Complexes. This is due to :

i) Improved financial discipline.
ii) Increase in the rates of subscription.
iii) Improvement in realisation of outstanding dues.
v) Increase in collection for coaching and other sports activities on revenue sharing basis.

Although the receipts have been substantial compared to previous years, expenditure has also increased manifold due to :

i) Increase in staff salaries in accordance with the recommendations of the 5th Pay Commission.
ii) Substantial increase in electricity tariff and general increase in every sphere to include cost of maintenance as also price escalation in view of high inflation.

Self Sustainability

12.37 All the complexes except Paschim Vihar Sports Complex have become self sustaining. Every effort is being made to make this complex also to generate sufficient funds. The situation will improve as soon as the proposed swimming pool and multigym comes up in the complex.

Entry Fee

12.38 Except for Paschim Vihar, all other complexes have reimbursed upto date entry fee amount to DDA main in its Nazul II account. This entry fee is deposited every quarter for the collections made during the previous quarter. Amount Rs. 14.6 crores has so far been returned to DDA main towards entry fee.

Monthly Accounts

12.39 Monthly Accounts of each complex duly reconciled by 7th of the month for the previous month are being submitted to CAO by 15th of each month on regular basis.

Audit

12.40 Accounts of all complexes have been audited by CAG's team. No major irregularity has been observed by Audit. Most of objections have been settled and remaining are being pursued vigourously for settlement.

DDA SPORTS

Introduction

12.41 DDA has continued to promote sports for its employees as a welfare measure. In doing so it sends its cricket, hockey and football teams as also other players to take part in tournaments within as well as outside Delhi. DDA also holds tournaments for various Indoor Games annually. This report covers the sports activities in respect of DDA employees during the year 1998-99.

Outdoor Sports

12.42 DDA teams has put in their best during the year under review. Their performance is given below :

a) **Cricket** - The performance of DDA cricket team has been quite encouraging. The team won more matches this year as compared to last year. In the Trans Yamuna Cricket Association (TYCA) league of Delhi, DDA team won 5 matches out of 8. In the All India Gymkhana Cup matches DDA reached the Semifinals stage.

b) **Football** - DDA's football team combined well to lift the All India Rampur Challenge Cup at Nainital. Although the team played well in another tournament, the All India Khekra Cup which was held in U.P. yet could not retain the trophy this year. During the league matches DDA's football team reached the Qtr. finals stage but lost to Oriental Bank of Commerce.

c) **Hockey** - The performance of DDA's hockey team remained satisfactory during the year.

d) DDA's Carrom, Table Tennis and Chess teams also participated in various competitions at State level and performed well.

e) Individual Events - In the Delhi State Veterans Athletics meet held at Jawaharlal Nehru Stadium, the following DDA personnel won laurels :

i) Jaibir Singh, Technical Supervisor of Hort. Divn. VI, won Gold and Silver medals in Long Jump and 100 mtr. Sprint respectively.

ii) Maharaj Kishan won a Silver medal in Javellin Throw.

iii) Shri K.B.L. Srivastav, UDC in Housing Accounts won Dr. Bhim Rao Ambedkar Chess Tournament in Delhi.

Indoor Sports

To develop sports talent and also to inculcate sportsman spirit amongst DDA employees, Annual Indoor Games in Badminton, Table Tennis, Chess, Carrom, Billiards and Snooker were organised.

The XIIth Annual Indoor Sports were held during October '98 to December '99. A record number of 523 employees participated in tournaments. In addition, indoor games in 3 events i.e. Badminton, Carrom and Table Tennis were also organised for Group 'A' Officers in which 103 Sr. level Officers took part.

Trekking Expedition - For the first time a 20 member team trekked to Kaphani Glacier at the height of about 13,200 feet and enroute cleaned the Himalayas.

13. Quality Control Cell

13.1 The Quality Control Cell was created in 1982 under the charge of CE (QC) with the twin objectives of checking the quality of engineering works assigned from time to time to the various engineers of DDA and simultaneously to educate/guide the field engineers on the various aspects of quality assurance.

13.2 5 EEs (Civil) and one EE (Electrical), assisted by an AE and a JE each, form the technical staff of the QCC, for the purpose of conducting inspections of the civil and electrical works of different zones. In addition, one SE (QC) overlooks the work of these EEs and periodic inspections of the works of different zones are carried out by the SE (QC) and the CE (QC) also at their levels. One AD (Hort.) also forms a part of the QCC technical team to assist in inspecting and ensuring the quality of horticulture works.

Construction material being tested by Quality Control Officers at site.

13.3 Periodic inspections of the various works being executed are carried out both with prior intimation to the field staff as well as without such intimation at times. These inspections are conducted at all the important stages of construction and improvements, wherever necessary, are suggested at every stage so as to ensure that acceptable standard of quality is achieved on the work as a whole. The emphasis during these inspections is not only on checking the conformity of the construction and materials to the stipulated specifications but also on seeing that specified procedures and norms are adhered to right from conception to the completion of the works.

A total of 341 inspections were carried out.

13.4 Inspections are planned in such a way that all works costing more than Rs. 7.00 lacs (Civil) and Rs. 1.00 lac (Electrical & Horticulture) are invariably inspected during execution. The housing and all other major works are inspected in a proper sequence to cover the important stages of construction. For example, in the case of housing works, the first inspection is carried out when the work has progressed up to about plinth level and 15-20% progress has been achieved. Second inspection is planned at the time when the structural works are in progress (progress about 40-50%). Third inspection is carried out when the structure gets completed and the finishing works are taken up and 4th and the final inspection is conducted at the finishing/ completion stage when the progress reaches 90-95%.

412 samples collected for testing.

6462 number of tests conducted.

13.5 The number of inspections to be carried out on a work depends upon the magnitude of the work. However, the minimum number of inspections normally conducted by the QCC in the case of works of different magnitudes are indicated below :

Cost of work	Minimum number of QCC inspections
Upto Rs. 10.00 lacs	1
Rs. 10 to 80 lacs	2
Rs. 50 to 250 lacs	3
Above Rs. 250 lacs	4

13.6 The QCC has also set up a well equipped Testing Laboratory at the AGVC where majority of the mandatory tests of materials can be conducted. In addition to the testing of the samples collected by the QCC inspecting officers during their inspections the field engineers are also encouraged to collect and send the samples to this Laboratory for testing, besides the field tests being carried out by them. The QCC Laboratory is under the charge of an EE (QC) and has set high standards of reliability. During this year, an important addition to this Laboratory has been the construction and commissioning of a Humidity and Temperature Controlled Chamber at a cost of Rs. 3.50 lacs, where the tests on the flush door shutters, requiring the controlled conditions of temperature and humidity, can be conducted.

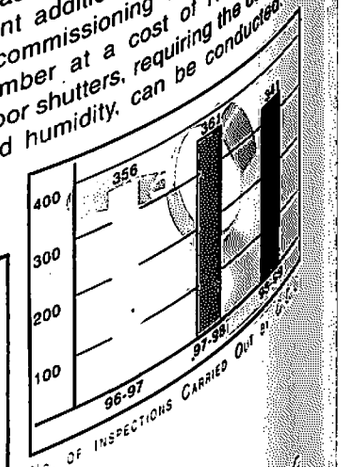

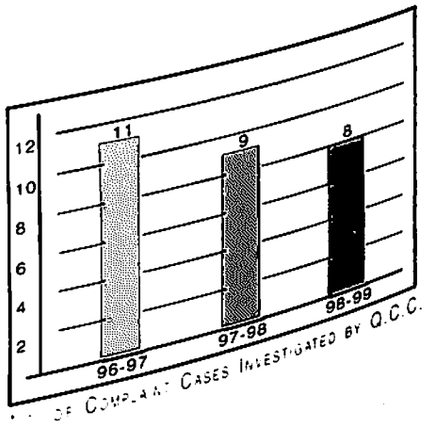

No. of Inspections Carried Out by Q.C.C.

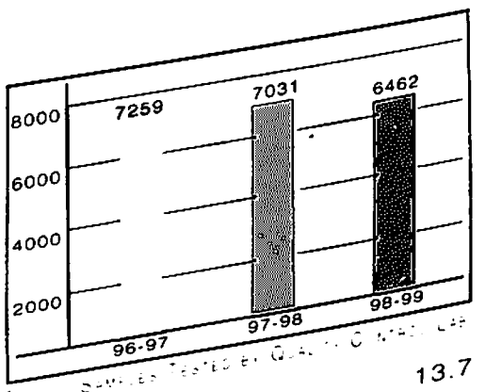

No. of Complaint Cases Investigated by Q.C.C.

Samples Tested by Q.C. [illegible]

13.7 This year, a total of 341 inspections were carried out by the QCC and 412 samples collected for testing. The total number of tests conducted this year in the QCC Laboratory was 6462, out of which, 75 samples failed.

13.8 Beside the normal inspections conducted as detailed above, 8 complaint cases were also investigated by the QCC during the year.

13.9 As far as electrical works are concerned, it is ensured through the QCC inspections that ISI marked materials are used in all electrical works and standards of quality as per Indian Electricity Rules are adhered to. During this year, special emphasis [illegible] proper checking and quality assurance of the [illegible] equipment required for the Sewage Pumping [illegible] is being monitored by the Apex [illegible] sewage pumps of large capacity [illegible] order of 110 KW to 350 KW [illegible] rated equipment [illegible] duly checked and tested [illegible] accordance with [illegible]

14. Finance & Accounts

14.1 The Finance & Accounts Wing of the authority is headed by the Chief Accounts Officer, a statutory officer appointed by the Central Government under the Delhi Development Act, under the overall supervision of the Finance Member, DDA. Finance Member is also assisted by Financial Advisor (Housing) and Director (Land Costing) in the Housing and Land Costing Wings, respectively.

14.2 **ANNUAL ACCOUNTS OF THE AUTHORITY**

a) For Budgetary and Accounting purposes, the Accounts of the Authority are maintained under the following three broad heads :

1. Nazul Account-I
2. Nazul Account-II
3. B. General Development Account.

b) The forms for compilation of these accounts are given in the DDA (Budget and Accounts Rules, 1982) which have been approved by the Government of India in exercise of powers under the Delhi Development Act, 1957.

c) The provisional financial position of the three accounts as on 31-3-99 is summarised in the succeeding paras.

(I) NAZUL ACCOUNT-I

Nazul Account-I represents the transactions relating to the old Nazul Estates entrusted for management by the Government to the erstwhile Delhi Improvement Trust under the Nazul Agreement, 1937 and taken over by the DDA in December, 1957 the successor body. The accounts also include transactions relating to the preparation and implementation of the Delhi Master Plan and Zonal Development Plans. The approximate gross receipts under this account during 1998-99 is assessed to Rs. 7.99 crores as against the approximate expenditure of Rs. 15.15 crores.

(II) NAZUL ACCOUNT-II

i) This comprises transactions pertaining to the scheme of 'Large Scale Acquisition, Development and Disposal of Land in Delhi'. The sale proceeds of land and recovery of Ground Rent etc. are accounted for under this accounts and expenditure is mainly on development and acquisition of land. The surplus of receipts over expenditure in this account is remitted to Delhi Administration for providing funds for land acquisition. In 1998-99 approximately receipts from land were higher by 18% compared to 1997-98.

ii) The total anticipated receipts under this account during 1998-99 is Rs. 924.33 crores as against the expenditure of Rs. 942.60 crores. A sum of Rs. 504.61 crores has been remitted to the revolving fund during the year for land acquisition and enhanced compensation.

(III) GENERAL DEVELOPMENT ACCOUNT

This is the main account of the Authority. All properties and land vesting in the Authority are paid for out of the revenues of this account. Under this account D.D.A. undertakes Housing programmes for the weaker sections, lower income and middle income group besides housing under the self financing schemes. Also commercial activities like the development of Distt. Centre at Nehru Place, Bhikaji Cama Place, Laxmi Nagar and Janakpuri

as also land transferred by the Ministry of Rehabilitation are financed from this account. The approximate receipt under this head during 1998-99 is amounting to Rs. 2955.27 crores and the approximately expenditure is Rs. 2699.55 crores. In 1998-99 approximately receipt is 2% lower as compared to 1997-98. The receipt in 1997-98 was Rs. 3015.58 crores.

(IV) URBAN DEVELOPMENT FUND

In 1992-93 Government of India had announced the scheme for conversion of Lease Hold tenure to free hold. Under this scheme a sum of Rs. 164.51 Crores had been accumulated up to the year 1998-99. The Project Approval Committee under the Chairmanship of Lt. Governor, Delhi has approved six projects to be financed out of the Urban Development Fund. The total works outlay of the scheme approved so far (UDF share only) works out to Rs. 17.00 crores. A sum of Rs. 6 crores transferred from UDF account to flyover account during 1998-99 for construction of various flyovers in Delhi under PWD programme.

DDA Urban Heritage Award being presented to one of the Awardees.

(V) URBAN HERITAGE AWARD FUND

For any city heritage is the source of inspiration for its creative endeavour. In order to encourage and also to contribute its bit in the task of preserving, protecting and maintaining and up keep of at least a hundred years old and still in use historical buildings of Delhi, DDA has instituted an award in 1993 known as "DDA Urban Heritage Award" which is given by the Lt. Governor of Delhi. Necessary funds amounting to Rs. 23.00 lac have been kept apart and invested to finance the cost of awards given every year.

(VI) OUTSTANDING LOANS AND OTHER DUES

An outstanding loan is only on accounts of debenture amounting to Rs. 15.00 Crores floated during 1986-87 and due for maturity in the year 2001. A sinking fund has been created for redemption of debentures on maturity. All loans becoming due for repayment have been paid with interest on due dates. There are no overdue outstanding loans pending for payment as on 31.03.99 except the payment of debenture on redemption.

d) **Receipts** : The total approximate receipts under all heads (Nazul-I, Nazul-II & BGDA) during the year 1998-99 is Rs. 3991.91 crores as against Rs. 3477.42 crores during the year 1997-98.

e) **Annual Accounts** : Annual Accounts of the Authority for 1997-98 and 1998-99 is under preparation. However, the figures given in this report are provisional and subject to finalization of the accounts. Audit of accounts upto 1996-97 has also been completed and their certificates are expected shortly.

14.3 **BUDGET**

a) The budget estimates of the Authority for the ensuing year and the Revised Estimates for the current financial year in respect of all the receipts and payments of the Authority are compiled in accordance with the provision contained in DDA Budget & Accounts Rules 1982 and got approved by the Authority. The budget Estimates duly approved by the Authority were forwarded ... in accordance with the provisions contained in Section 24 of Delhi Development Act. Effective budgetary control is being exercised by releasing the funds for various works expenditure with reference to the budgetary provisions of various Civil, Electrical and Horticulture works by the respective payments units. The actual receipts and expenditure are also reviewed with reference to the budgetary provisions periodically and necessary steps are taken well in time to prevent any slippages in targets.

b) The zone-wise performance budget indicating the physical and financial progress of various works/schemes, is being compiled every year. The fund releases for various scheme/projects are co-related with the physical progress of the schemes as reflected by the concerned Chief Engineers. This facilitates effective monitoring of various projects/schemes and helps in controlling the time and cost over run.

c) **Deficiency charges to MCD** : DDA handed over large number of colonies for maintenance to MCD in 1998-99. A sum of Rs. 5.30 crores has been paid to the MCD towards the deficiency charges. Some employees were transferred with the colonies to MCD. This will result in annual saving in our annual wage bill.

d) **Fund Management:** There are 9 Drawing & Disbursing Officers in DDA who are drawing funds from the Head Quarters for various activities assigned to them. During the year 1998-99 funds to the tune of Rs. 667.03 crores were released upto 3/99 for execution of works and payment of salaries etc. to these DDO's.

14.4 **MEDICAL FACILITIES TO THE EMPLOYEES**

a) During the financial year 1998-99 the D.D.A. has enhanced the monetary Annual Ceiling of medical re-imbursements for O.P.D. treatment in r/o its staff/officers and the pensioners at the following rates:

Serving Staff

S.No.	Grade/Pay Scale	Monthly rate of Medical Allowance
1.	S1 to S-4 (Rs.2550-3200/- to Rs.2750-4400/-)	Rs.175/- p.m.
2.	S-5 to S-9 (Rs.3050-4590/- to Rs.5000-9000/- and other Group "C" Officials in the pay scale of Rs. 5500-9000/- & Rs.6500-10500/- to Rs.7500-12000/-)	Rs.190/- p.m.

Financial Advisor (Housing) with representatives of various RWA of trans-Yamuna area.

Serving Officer

Sl. No.	Grade/Pay Scale	Revised annual ceiling of medical re-imbursement	Revised rate of monthly medical contribution
1.	S-10 to S-14 Rs.5500-9000/- (Officers falling under Gr. "B" only) to Rs.7500-12000/-	Rs.3600/- p.a.	Rs.12/- p.m.
2.	S-15 to S-34 (Rs. 8000-13500/- & onwards)	Rs. 6000/- p.a.	Rs. 18/- p.m.

Pensioners

Sl. No	Grade/Pay Scale	Revised annual ceiling of medical re-imbursement	Revised rate of monthly medical contribution
1.	S-1 to S-4 (Rs.2250-3200/- to Rs.2750-4400/-)	Rs.1350/- p.a.	Rs.3/- p.m.
2.	S-5 to S-9 (Rs.3050-4500/- to Rs.5000-8000/- and other Gr. "C" Pensioners in the Pay scale of Rs.5500-9000/- & Rs.6500-10500/- to 7500-12000/-)	Rs.1620/- p.a.	Rs.5/- p.m.
3.	S-10 to S-14 [Rs.5500-9000/- (Pensioners falling under Gr. "B" only) to Rs.7500-12000/-]	Rs.2400/- p.a.	Rs.6/- p.m.
4.	S-10 to S-34 (Rs.8000-13500/- & above)	Rs.3600/- p.a.	Rs.12/- p.m.

b) Apart from outdoor treatment, DDA employees are also entitled to reimbursement of indoor hospitalisation expenses. Govt. Hospitals, Nursing Homes and private hospitals, registered with Delhi Govt. are on approved panel for taking indoor treatment by all categories of employees including pensioners.

14.5 **G.P.F. SCHEME**

G.P.F. Scheme of DDA is akin to G.P.F. scheme as Central Govt. has for its employees. DDA is required to invest GPF accumulations as per guidelines issued by the Ministry of Finance, Department of Economics Affairs from time to time. We have as on 31-03-99 invested a sum of Rs. 121.87 crores, in accordance with these guidelines, out of the GPF accumulations. Beside this loans/withdrawls are also being sanctioned to the employees, as per rules.

14.6 **PENSION SCHEME**

a) CCS (Pension) Rules, 1972, as applicable to Central Govt. Employees, are applicable to DDA employees from 1973 onwards. There are 2024 pensioners getting monthly pensions from the sum of Rs. 9.64 crores has been paid as Pensionary benefits to the Pensioners during the year 1998-99. The projected payment during the year 1999-2000 is Rs. 15.00 crores.

b) We have also set apart substantial funds to meet the future pension liabilities of the retired/retiring employees of the Authority. The total funds towards pensions fund invested outside, as on 31-3-99 stood at Rs. 62.00 crores.

14.8 **ADMINISTRATIVE APPROVAL & EXPENDITURE SANCTIONS**

During the year 1998-99 after detailed project appraisals of the various schemes brought forward by the Engineering Wing for developmnt of land and housing, financial concurrence was given for Rs. 165.74 crores. Savings of Rs. 7.41 crores were achieved as a result of detailed financial scrutiny of the proposal brought forward by the Engineering Wing.

14.9 **"COST BENEFIT ANALYSIS"**

For proper financial management and scientific project appraisal, the cost benefit analysis of Dwarka, Rohini, Phase-III, Narela are being carried out annually.

Cost benefit Analysis for Rohini Ph. III, Dwarka and Narela Projects for the year 98-99 are being worked out. They are submitted to the authority for its approval and thereafter they are sent to the Ministry of U.A. & E. for notification of the land rates.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Figures in Crores of Rs.)

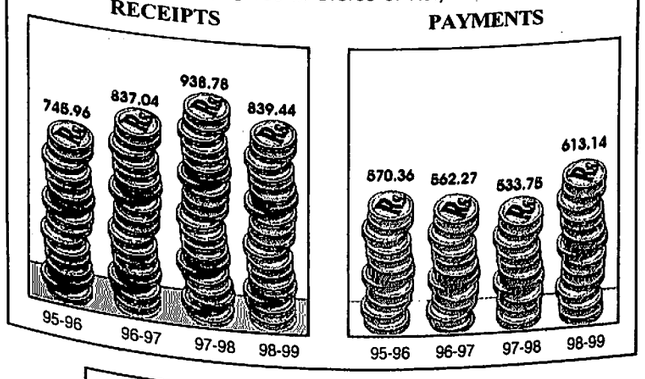

PAYMENT FOR LAND ACQUISITION / ENHANCED COMPENSATION

(Figures in Crores of Rs.)

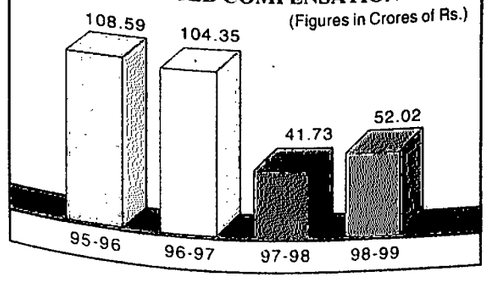

PROVISIONAL RECEIPT & PAYMENT POSITION OF DDA.

RECEIPT

(Figures in crores of rupees)

Sl. No.	Description of items	Actual 1997-98	R.E. 1998-99	Provisional 1998-99
	Opening cash balance	258.55	52.79	199.94
1.	Revenue/Capital receipts from works & Dev. Scheme including damage	3.67	61.69	36.99
2.	Receipt from disposal of houses under H.P. Scheme & Shops	462.51	341.06	337.70
3.	Receipt from disposal of land			215.06
4.	Interest	180.73	482.21	109.20
5.	Other receipts	67.26	106.48	140.49
6.	Plan Schemes & Dev. works	224.62	41.66	1.09
7.	Grant from Central Govt.	2.10	29.75	-
8.	G.P. Fund/Group Insurance Scheme/ Sports Complex funds	-	-	55.25
9.	Loan & Debentures	40.84	45.40	
10.	Deposit & advances			-
	a) Encashment of Investment	-	-	
	b) Revolving Fund	1060.07	-	2048.15
	c) Personal Ledger Account	241.00	409.56	160.36
	d) Reserve Fund	608.05	800.00	634.74
	e) Other deposit & advance other Suspense	5.64	-	-
	Total	580.93	1569.78	252.94
		3735.97	**3940.38**	**4191.91**

PAYMENT

(Figures in crores of rupees)

Sl. No.	Description of Items	Actual 1997-98	R.E. 1998-99	Provisional 1998-99
1.	Cost of Admn. i/c Share cost charged to dev. schemes Master Plan	88.83	143.66	197.32
2.	Deduct cost of Admn.			201.12
3.	Expenditure on Dev. of land etc. financed from R. Fund	240.72	-	31.66
4.	Expenditure on works & Dev. Schemes	29.39	332.74	52.02
5.	Land Acquisition enhanced Compensation	41.73	-	122.71
6.	Construction Houses/Shops	127.22	190.87	4.04
	Payment of interest on loans,	13.79	15.10	14.28
7.	G.P. Fund and advanced Deposit	16.21	29.74	4.27
8.	Plan Schemes & Deposits Works	0.42	65.58	-
9.	Other expenditure (LIC Premium Sports Complex)	-	21.63	27.61
10.	Payment of loan	18.67	-	2353.62
11.	G.P Funds/GIS			-
	Deposits & Advances :	1745.32	-	160.36
	a) G.P.F. investment Pension Fund			10.06
	General investment, UDF	31.57	504.61	667.03
	b) Provision of redemption of debts	241.00	-	102.47
	c) Amount paid to Revolving Fund	6.94	650.00	0.43
	d) Reserve Fund	599.37	1675.54	242.91
	e) Personal Ledger Accounts	380.85	28.43	
	f) Other Deposits & Advances	100.66	283.08	**4191.91**
	g) Other suspense items etc	53.28		
	Closing balance			
	Total	**3735.9**	**3940.38**	

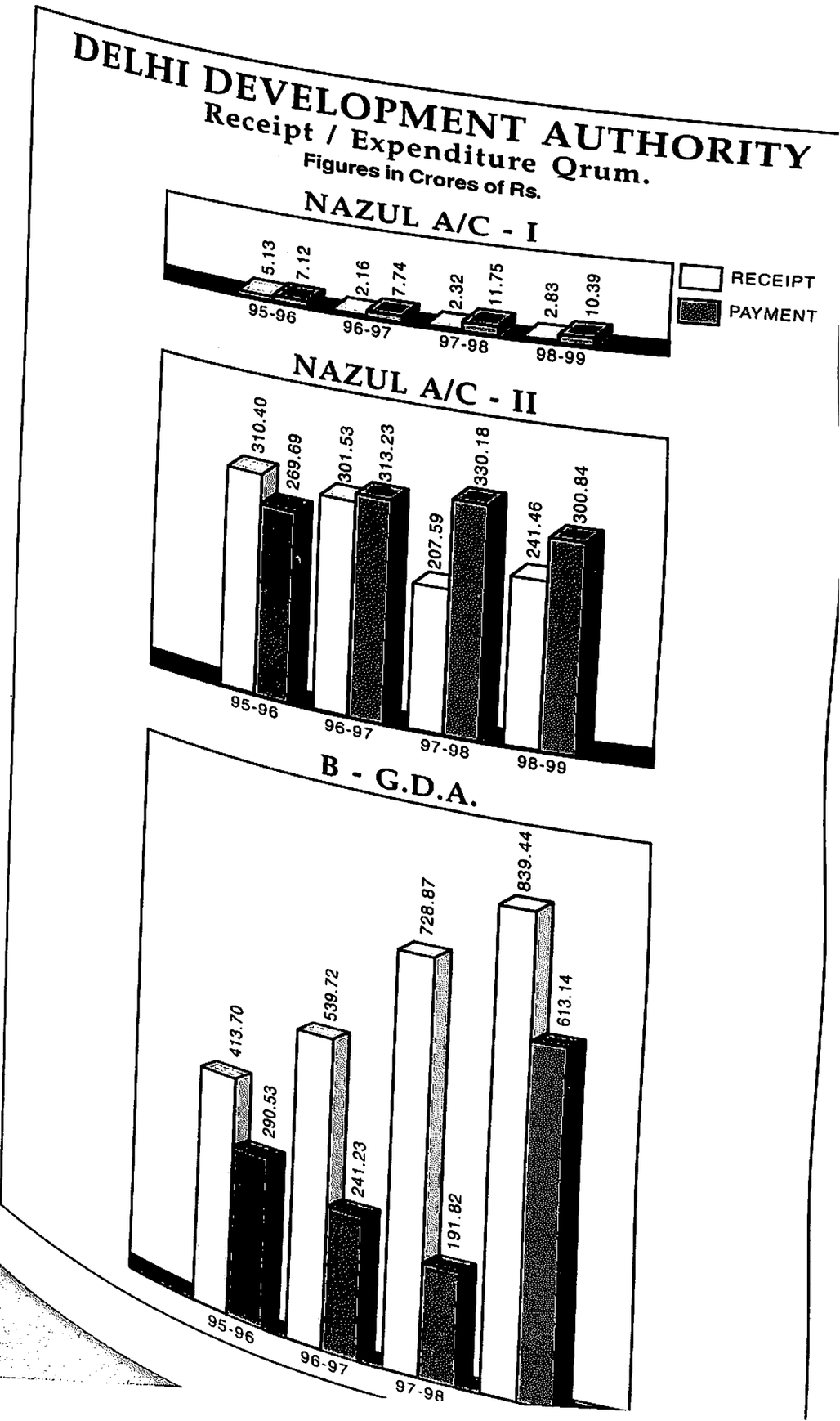

From Where The Rupee Came In 1998-99

(Figures in Crores of Rs.)

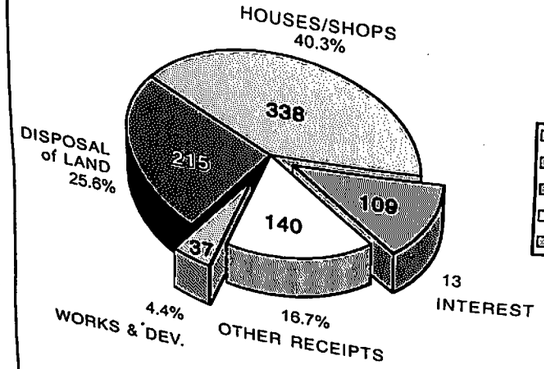

HOUSES/SHOPS	338
DISPOSAL OF LAND	215
WORKS & DEVP.	140
OTHER RECEIPTS	109
INTEREST	13
TOTAL	839

Where Rupee Went During 1998-99

(Figures in Crores of Rs.)

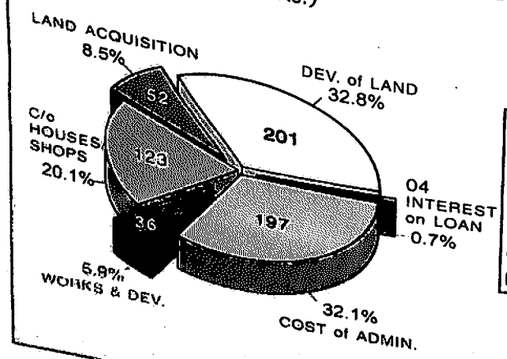

DEV. of LAND	201
LAND ACQUISITION	52
C/o HOUSES/SHOPS	123
WORKS & DEV.	36
COST of ADMN.	197
INTEREST on LOAN	04
TOTAL	613

Lt. Governor in a meeting with DDA Officers.

Secretary, Department of Public Grievances, inspecting the Reception Counter at Vikas Sadan.

of DDA Lok Shivir at Vikas Sadan.

Vikas Minar

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

GOVERNMENT OF INDIA